ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग, उत्तराखण्ड़, पौड़ी गढ़वाल

जनपद बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने एवं पलायन को कम करने हेतु सिफारिशें

नवम्बर 2020

प्रस्तावना

बागेश्वर जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,246 वर्ग किमी एवं वन क्षेत्रफल 659.30 वर्ग किमी है। बागेश्वर के अन्तर्गत तीन विकासखण्ड गरूड़, कपकोट, बागेश्वर हैं। जनपद उत्तर पूर्व में पिथौरागढ़, दक्षिण में अल्मोड़ा तथा पश्चिम में चमोली जनपद की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। जनपद बागेश्वर की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल 2,49,462 है, जो वर्ष 2011 की जनगणना में बढ़कर 2,59,898 हुई, इनमें 1,24,326 पुरूष तथा 1,35,572 महिलाएं हैं।

पिछले 10 वर्षो में 346 ग्राम पंचायतों से कुल 23,388 व्यक्तियों द्वारा अस्थायी रूप से पलायन किया गया है, हालांकि वे समय–समय पर अपने घरों में आना–जाना करते हैं क्योंकि उनके द्वारा स्थायी रूप से पलायन नहीं किया गया है। पिछले 10 वर्षों में 195 ग्राम पंचायतों से 5912 व्यक्तियों द्वारा पूर्णरूप से स्थायी पलायन किया गया है, जो कि गम्भीर चिन्ता का विषय है। आंकड़ें दर्शातें हैं कि जनपद के सभी विकास खण्ड़ों में स्थायी पलायन की तुलना में अस्थायी पलायन अधिक हुआ है।

जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन की समस्या कई चुनौतियां पैदा कर रही हैं, जिनका कारण आर्थिक विषमताएं, कृषि में गिरावट, कम ग्रामीण आय और एक तनावग्रस्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। इस संदर्भ में आयोग ने बागेश्वर जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड़ का एक विस्तृत सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण किया है। यह रिपोर्ट जनपद के सामाजिक–आर्थिक मापदण्डों की विस्तार से अध्ययन करती है, विशेष रूप से जिन कारणों से पलायन पर असर पड़ता है। जनपद की ग्रामीण सामाजिक–अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं, जो इन क्षेत्रों से लोगों के पलायन को कम करेगी। सिफारिशों पर पहुँचने से पहले जनपद के अधिकारियों और स्थानीय लोगों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार–विमर्श किया गया है।

आयोग अपने अध्यक्ष श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और प्रोत्साहन; श्रीमती मनीषा पवार, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन को उनके सुझाव और समर्थन के लिए; जिलाधिकारी, बागेश्वर एवं उनके अधिकारियों की टीम; विभिन्न लाइन विभागों के अधिकारी और कर्मचारी; जिले के सभी जनप्रतिनिधि; जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी; एन.जी.ओ. और ग्रामीणों, श्री रोशन लाल, सदस्य सचिव, ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग, श्री गजपाल चन्दानी, शोध अधिकारी, ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग तथा श्री भूपाल सिंह रावत, वैयक्तिक सहायक द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार करने के अथक प्रयासों को विनम्रता के साथ स्वीकार करता है।

नवम्बर, 2020

डॉ0 शरद सिंह नेगी
उपाध्यक्ष

अन्तर्वस्तु

अध्याय 1 :	परिचय	1
अध्याय 2 :	सामाजिक–आर्थिक आंकड़े	11
अध्याय 3 :	पलायन की स्थिति	30
अध्याय 4 :	ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु जनपद में विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों का विश्लेषण	42
अध्याय 5 :	विश्लेषण एवं सिफारिशें	82

अध्याय–1

परिचय

जनपद की रूपरेखा

बागेश्वर जनपद का गठन 15 सितम्बर, 1997 को हुआ, जिसे पूर्व में जनपद अल्मोड़ा की एक तहसील के रूप में जाना जाता था। जनपद उत्तर पूर्व में पिथौरागढ़, दक्षिण में जनपद अल्मोड़ा तथा पश्चिम में चमोली जनपद की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। बागेश्वर शहर सरयू नदी के तट पर बसा है। मान्यता है कि भगवान विश्वेश्वर बागीश्वर का पुण्य तीर्थस्थल भी यहीं पर स्थित है। कहा जाता है कि सरयू नदी के तट पर भगवान राम, भारद्वाज और मार्कण्डेय ऋषि ने भी तपस्या की थी।

भगवान शिव ने अपने परम्प्रिय गण चण्डीश से दुनिया में मोक्षदायिनी वाराणसी के अलावा एक अन्य वाराणसी बसाने का आदेश दिया। पुराणों के अनुसार चण्डीश ने सरयू, गोमती व सुप्त सरस्वती के संगम बागेश्वर की खोजकर भगवान शिव के लिये एक अन्य वाराणसी की स्थापना की। कहा जाता है कि इस तीर्थ स्थान में आकर मनुष्य समस्त पापों से मुक्ति पाता है।

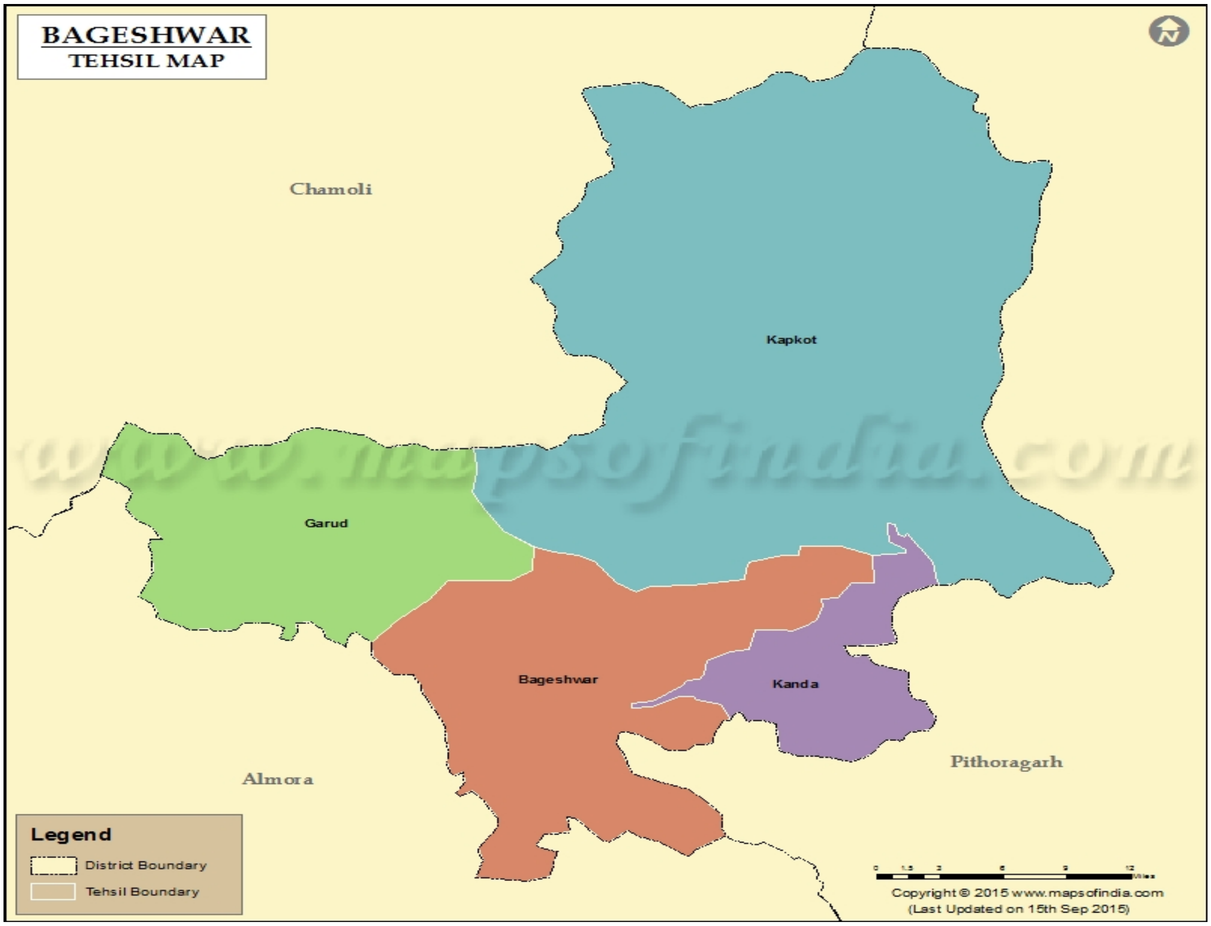

भौगोलिक स्थिति

बागेश्वर जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,246 वर्ग किमी एवं वन क्षेत्रफल 659.30 वर्ग किमी है। बागेश्वर के अन्तर्गत तीन विकासखण्ड गरूड़, कपकोट, बागेश्वर हैं।

भौगोलिक दृष्टि से जनपद को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम समुद्र सतह से 960 मीटर से 1850 मीटर तक वह क्षेत्र जिसमें तीनों विकासखण्ड के घाटी में बसे नगर तथा ग्राम स्थित है। द्वितीय वह क्षेत्र जो 1850 मीटर से 3920 मीटर दुर्गम क्षेत्र जहाँ कफनी, पिण्डारी जैसे ग्लेशियर नदियों के उद्गम है। इस हिमाच्छादित क्षेत्र में नन्दादेवी 7822 मीटर, त्रिशूल 7175 मीटर, नन्दाकोट 6865 मीटर आदि ऊँचे हिमाच्छादित क्षेत्र मौजूद हैं।

जलागम क्षेत्र के अनुसार भी जनपद बागेश्वर को दो जलागम क्षेत्रों में बांटा जा सकता है जिसमें से अधिकांश भाग गोमती तथा सरयू क्षेत्रों में फैला है जबकि कुछ गांव व क्षेत्र पिण्डर तथा पूर्वी रामगंगा के जलागम क्षेत्रों में बसे हैं।

ऋतु

मौसम की दृष्टि से जनपद की घाटियाँ गर्मी तथा उमस वाली हैं, तथा ऊँचे क्षेत्र अत्यन्त शीतल। तापमान जहाँ एक ओर घाटियों में 40^0C तक बढ़ता है, वहीं ऊँचे क्षेत्रों में शून्य से कई डिग्री नीचे चला जाता है तथा साल के चार पांच माह बर्फ से उत्तरी भाग ढका रहता है।

जनपद हिमालय की घाटियों और उच्च श्रृंखलाओं में स्थित होने के कारण वर्ष 2019–20 के माह जनवरी में न्यूनतम तापमान 1.1^0C तथा अधिकतम 23.7^0C मई माह में रिकॉर्ड किया गया। साल में जुलाई से सितम्बर तक वर्षाऋतु का मौसम रहता है, जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

जनपद में वर्षीय मौसम एवं तापमान का विवरण

माह	तापमान			
	औसत तापमान	सबसे गरम	सबसे ठण्डा	सामान्य
जनवरी	6.4^0C	11.6^0C	1.1^0C	4^0C
फरवरी	7.1^0C	12.3^0C	1.7^0C	5^0C
मार्च	10.9^0C	16.6^0C	5.1^0C	6^0C
अप्रैल	15.4^0C	21.5^0C	9.3^0C	4^0C
मई	17.7^0C	23.7^0C	11.7^0C	7^0C
जून	18.3^0C	23.4^0C	13.1^0C	11^0C
जुलाई	17.2^0C	21.1^0C	13.4^0C	18^0C
अगस्त	16.9^0C	20.5^0C	13.2^0C	18^0C
सितम्बर	16.1^0C	20.5^0C	11.6^0C	12^0C
अक्टूबर	14.3^0C	19.9^0C	8.8^0C	3^0C
नवम्बर	11.2^0C	17.0^0C	5.3^0C	0^0C
दिसम्बर	8.4^0C	13.9^0C	2.9^0C	2^0C

भूमि व्यवस्था

जनपद बागेश्वर, 2246 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्रफल में फैला है, जिसका श्रेणीवार विवरण तालिका में दर्शाया गया है। जनपद का अधिकांश भाग घने जंगलो से आच्छादित है।

विस्तृत तथा उबड़ खाबड़ क्षेत्र होने के कारण विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पायी जाती है। मिट्टी का स्वरूप मूलतः अपनी मूल चट्टान पर निर्भर करती है। नदी घाटियों या बगड़ों में नवीन जलोढ़ मिट्टी जो खड़िया, डोलोमाईट तथा चूने के पत्थर के क्षेत्र में बलुई सफेद मिट्टी पायी जाती है, जिसका खनन कर घरों की पुताई में प्रयोग किया जाता है।

जनपद की कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल (वर्ग किमी0)		
जनपद	भूमि उपयोगिता का प्रकार	2014
बागेश्वर	निर्माण भूमि	0.6
	कृषि योग्य भूमि	261.7
	वन भूमि	1417.6
	चारागाह	306.1
	बंजर भूमि	98.2
	नदी नाले वाली भूमि	9.8
	बर्फ/ग्लेशियर वाली भूमि	151.7
योग		2246

प्रशासनिक व्यवस्था

बागेश्वर जनपद में वर्ष 2011–12 तक 04 तहसीलें क्रमशः बागेश्वर, कपकोट, गरूड़ व काण्ड़ा तथा एक उप तहसील काफलीगैर थी जो आज बढ़कर 06 तहसीलें क्रमशः बागेश्वर, कपकोट, गरूड़, काण्ड़ा, काफलीगैर व दुग नाकुरी के साथ–साथ तीन विकासखण्ड क्रमशः कपकोट, बागेश्वर, गरूड़ प्रशासनिक इकाईयाँ सम्मिलित हैं। जनपद में 01 नगरपालिका परिषद बागेश्वर तथा 01 नगर पंचायत कपकोट का सृजन किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार जनपद बागेश्वर में कुल 416 ग्राम पंचायतें तथा 35 न्याय पंचायतें हैं, जिनके अन्तर्गत कुल 923 ग्राम मौजूद हैं जबकि वर्ष 2011 के पश्चात 24 ग्राम नगरपालिका और नगर पंचायत में सम्मिलित हुई हैं। जिनका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

जनपद	तहसील	नगरपालिका	नगर पंचायत	विकासखण्ड	न्याय पंचायत की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या
बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर	कपकोट	बागेश्वर	16	192
	कपकोट					
	गरूड़			कपकोट	12	118

	काण्डा					
	काफलीगैर			गरूड	7	106
	दुग नाकुरी			योग	**35**	**416**

DPRO BAG

क्र0स0	ग्राम	जनगणना 2011 के अनुसार ग्राम	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार ग्राम	अन्तर
1	आबाद ग्राम	854	830	24
2	गैर आबाद ग्राम	46	46	0
3	आबाद वन ग्राम	20	20	0
4	गैर आबाद वन ग्राम	27	27	0
कुल ग्राम		947	923	24

DSTO BAG

जनसंख्या विवरण

जनपद बागेश्वर की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल 2,49,462 है, जो वर्ष 2011 की जनगणना में बढ़कर 2,59,898 हुई, इनमें 1,24,326 पुरूष तथा 1,35,572 महिलाएं हैं।

जनपद में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 57,941 परिवार हैं। जो वर्ष 2001 में 51,694 परिवार हुआ करते थे। वर्ष 2001 की अपेक्षा वर्ष 2011 में कुल परिवारों में 12% जनसंख्या में 4% की बढ़ोत्तरी हुई है। जनपद में महिलाओं की जनसंख्या वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 में पुरूषों की जनसंख्या की अपेक्षा क्रमशः 10% व 9% अधिक रही है वहीं कुल जनसंख्या में 52% की हिस्सेदारी महिलायें रखती हैं जिसका विवरण नीचे दी गयी तालिका में दर्शाया गया है।

वर्ष	जनपद	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	कुल परिवार	कुल जनसंख्या			जनसंख्या घनत्व
				पुरूष	महिला	योग	
2001	बागेश्वर	2246	51694	118510	130952	249462	111
2011	,,	2246	57941	124326	135572	259898	116
दशकीय परिवर्तन ±			6247	5816	4620	10436	5
			12%	5%	4%	4%	5%

जनपद की कुल जनसंख्या में 0 से 39 आयु वर्ग के पुरूषों और महिलाओं द्वारा 34% व 36% का योगदान किया जाता है, जबकि इससे अधिक आयु वर्ग के पुरूष व महिलाओं का योगदान मात्र 14% और 16% पर सिमट जाता है परन्तु 0 से 19 साल की आयु वर्ग के भीतर स्त्रियों की जनसंख्या में गिरावट हुई है, जो तालिका के आंकड़ों से स्पष्ट होता है।

जनपद में आयु वर्गानुसार जनसंख्या (जनगणना 2011)						
आयु वर्ग	कुल		ग्रामीण		नगरीय	
	पुरूष	स्त्रियां	पुरूष	स्त्रियां	पुरूष	स्त्रियां
सभी आयु	124326	135572	119615	131204	4711	4368
00—09	26871	24711	25048	24018	823	693
10—14	14777	14315	14267	13901	510	414
15—19	13714	13247	14146	12806	568	441
20—24	9294	11978	8870	11541	424	437
25—29	7954	10627	7553	10217	361	410
30—34	7444	9145	7057	8767	387	378
35—39	7311	8949	6085	8585	322	364
40—44	6591	7891	6267	7578	304	313
45—49	6173	7065	5067	6824	271	241
50—54	5480	6173	6016	5999	264	174
55—59	4422	5417	4265	5277	147	140
60—64	5205	5823	6028	5700	127	123
65—69	3471	3745	3595	3660	75	85
70—74	2590	2924	2500	2845	51	79
75—79	1427	1598	1289	1564	38	34
>=80	1518	1879	1486	1838	32	41
आयु नहीं बताई	84	85	84	84	0	1

जनपद बागेश्वर में वर्ष 1901 से वर्ष 2011 के मध्य जनसंख्या में हुए दशकीय बदलाव को तालिका में दर्शाया गया है, जिसमें वर्ष 1971 तक जनसंख्या में 24.16 प्रतिशत की वृद्वि दर दिखाई देती है जबकि वर्ष 1981 से जनसंख्या में हर दशक में गिरावट होते हुए वर्ष 2011 तक जनसंख्या में 4.18 प्रतिशत की वृद्धि दर रह चुकी है, जिससे जनपद बागेश्वर में पलायन की पुष्टि होती है।

वर्ष 1901 की स्थिति से वर्ष 2011 के मध्य जनसंख्या में दशकीय बदलाव						
जनपद	जनगणना वर्ष	जनसंख्या	पूर्ववर्ती जनगणना के बाद से बदलाव		पुरूष	महिला
			शुद्ध बदलाव	प्रतिशत		
बागेश्वर	1901	68,144	----	----	34,486	33,658
	1911	78,968	+10,824	+15.88	40,080	38,888
	1921	79,675	+707	+.90	39,850	39,825
	1931	87,633	+7,958	+9.99	43,870	43,763
	1941	1,03,254	+15,621	+17.83	51,377	51,877
	1951	1,16,116	+12,862	+12.46	57,702	58,414
	1961	1,32,691	+16,575	+14.27	65,527	67,164
	1971	1,64,746	+32,055	+24.16	80,084	84,662
	1981	1,96,992	+32,246	+19.57	96,500	1,00,492
	1991	2,26,164	+29,172	+14.81	1,09,979	1,16,185
	2001	2,49,462	+23,298	+10.30	1,18,510	1,30,952
	2011	2,59,898	+10,436	+4.18	1,24,326	1,35,572

जनपद बागेश्वर में विगत दशकीय वर्ष में जनसंख्या में बदलाव				
विकासखण्ड / जनपद	वर्ष 2001 की जनसंख्या	वर्ष 2011 की जनसंख्या	वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के मध्य बदलाव	बदलाव प्रतिशत
कपकोट	77018	74954	-2064	-3%
गरूड़	63266	68617	5351	7%
बागेश्वर	99063	86199	-12864	-17%
वन क्षेत्र	13	155	142	0%
नगरीय क्षेत्र	7803	29973	22170	29%
जनपद	247163	259898	12735	17%

जनपद में वर्षवार जनसंख्या के अनुसार ग्रामों की संख्या									
क्र0स0	वर्ष / विकासखण्ड	200 से कम	200 से 499	400 से 999	1000 से 1999	2000 से 4999	5000 से 9999	10000 से ऊपर	कुल ग्राम
1	1991	474	282	74	14	7	2	0	857
2	2001	474	285	96	17	6	5	0	883
3	2011	468	273	97	16	4	6	1	865
वर्ष 2011 में विकासखण्डवार ग्रामों की संख्या									
2	कपकोट	75	70	40	4	4	2	0	195
3	बागेश्वर	298	134	29	2	0	2	1	466
4	गरूड़	74	71	28	10	0	2	0	185
5	योग विकासखण्ड	447	275	97	16	4	6	1	846
6	वन	20	0	0	0	0	0	0	20
योग जनपद		467	275	97	16	4	6	1	866

200 से कम या 1000 से ऊपर जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या का विवरण तालिका में वर्षवार एवं विकासखण्ड़वार उपलब्ध है। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जनपद में 200 से कम जनसंख्या वाले 467 ग्राम, 200 से 499 तक की जनसंख्या वाले 275 ग्राम तथा 400 से 999 की जनसंख्या वाले 97 ग्राम हैं, इससे अधिक जनसंख्या वाले मात्र 27 ग्राम हैं।

अर्थव्यवस्था

मौजूदा कीमतों पर अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वर्ष 2011–12 में 1,90,179 लाख रूपये, वर्ष 2012–13 में 2,18,960 लाख रूपये, वर्ष 2013–14 में 2,53,017 लाख रूपये, वर्ष 2014–15 में 2,75,059 लाख रूपये, वर्ष 2015–16 के लिए 2,93,260 लाख रूपये अनुमानित एवं वर्ष 2016–17 के लिए अनंतिम रूप से 3,26,782 लाख रूपये का अनुमान है। अर्थव्यस्था की वृद्धि यानि जीडीपी लगातार कीमतों पर वर्ष 2011–12 में 1,90,179 रूपये, वर्ष 2012–13 में 1,92,719 रूपये, वर्ष 2013–14 में 2,14,630 रूपये, वर्ष 2014–15 में 2,34,985 रूपये, वर्ष 2015–16 के लिए 2,44,039 एवं वर्ष 2016–17 के लिए 2,59,799 रूपये अनंतिम रूप से अनुमानित है।

प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2011–12 में 66,388 रूपये, वर्ष 2012–13 में 74,460 रूपये, वर्ष 2013–14 में 80,417 रूपये, वर्ष 2014–15 में 86,582 रूपये, वर्ष 2015–16 के लिए 91,145 एवं वर्ष 2016–17 के लिए 1,00,117 रूपये अनंतिम रूप से अनुमानित है।

जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण वर्ष 2011

श्रमिक और गैर श्रमिक							
कुल श्रमिक	मुख्य कर्म करों की जनसंख्या	सीमान्त कमकरों की जनसंख्या	गैर श्रमिक की जनसंख्या	कुल श्रमिकों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	मुख्य कर्म करों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	सीमान्त कमकरों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	गैर श्रमिक का कुल जनसंख्या से प्रतिशत
123638	78085	45553	136260	47.57%	30.04%	17.53%	52.43%

जनपद में जनसंख्या के आर्थिक वर्गीकरण से स्पष्ट होता है कि गैर श्रमिकों का आंकड़ा अन्य से अधिक है जिसका आशय है कि जनपद में रोजगार हेतु मैन पावर उपलब्ध है जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन पर अंकुश लगाया जा सकता है।

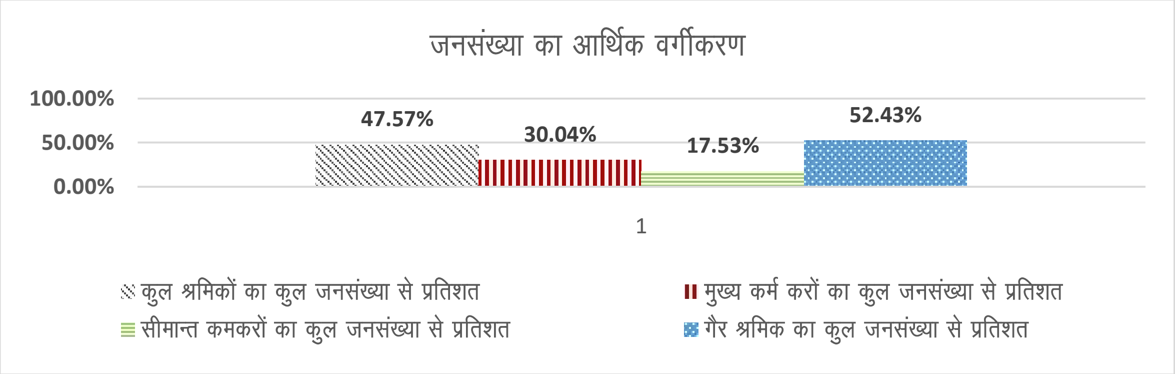

जनपद में जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण							
वर्ष/विकासखण्ड	मुख्य कर्मकर					सीमान्त कर्मकर	कुल कर्मकर
	कृषक	कृषि श्रमिक	पारिवारिक उद्योग	अन्य	कुल		
1991	81284	1161	980	17796	101223	17247	118470
2001	62976	843	1676	18382	84877	32846	117723
2011	54056	2733	1648	19848	78085	45558	123638
वर्ष 2011 में विकासखण्डवार जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण							
कपकोट	20331	1127	477	3186	25121	13203	38324
बागेश्वर	26012	900	680	7802	35394	13362	48756
गरूड़	6659	639	449	5852	13599	17573	31172
समस्त	53002	2666	1606	16840	74114	44138	118252

विकासखण्ड							
वन	0	0	1	73	74	3	77
ग्रामीण क्षेत्र	53002	2666	1607	16913	74188	44141	118329
नगरीय	1054	67	41	2735	3897	1412	5309
योग जनपद	54056	2733	1648	19648	78085	45553	123638

DSTO BAG

खनिज सम्पदा

जनपद बागेश्वर का अधिकांश भूभाग मध्य हिमालय एवं उच्च हिमालय के अन्तर्गत आता है, जो आग्नेय एवं रूपान्तरित चट्टानों से बने हुए हैं। यहाँ की चट्टानों में धात्विक एवं अधात्विक पदार्थो की प्रचुर मात्रा है। इस क्षेत्र में मैग्नेसाइट, खड़िया, चूना पत्थर, डोलामाइट, कायनाईट, गारनेट, स्लेट, रेता, ग्रिट बोल्डर आदि व्यवसायिक स्तर पर उपलब्ध है।

कुमांऊ मण्डल की खनिज सम्पदा के लिये परम्परागत इतिहास रहा है। राजा पृथ्वी चंद के शासन काल में तांबे के दोहन का उल्लेख मिलता है। ब्रिटिश शासन काल में खनिज सम्पदा के विकास के लिये अंग्रेज अधिकारियों द्वारा भी सर्वेक्षण कार्य करवाया गया था क्योंकि यहां के स्थायी निवासी अपनी अवश्यकताओं की पूर्ति के लिये लोहा, तांबा, सोना, सीसा, चूना पत्थर आदि का खनन एवं शुद्धी करण किया करते थे।

जनपद बागेश्वर में खनिजों की उपलब्धता, उपयोगिता तथा मात्रा के आधार पर खनिज सम्पदा को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता हैः

1. अधात्विक खनिज– मैग्नेसाइट, खडिया, चूना पत्थर की प्रचुर मात्रा होने से इनका दोहन लम्बे समय से किया जाता रहा है।
2. धात्विक खनिज– तांबा, जस्ता, लोहा तथा सीसा आदि का दोहन एवं उपयोग प्राचीन समय से ही स्थानीय निवासियों द्वारा किया जाता रहा है।
3. भवन निर्माण वाले खनिज– पत्थर, बोल्डर, ग्रिट, रेता, बजरी एवं संगमरमर की प्रचुर मात्रा होने की कारण आज भी स्थानीय निवासियों द्वारा उपयोग किया जाता है।
4. सम्भाव्य खनिज– काइनाईट, सिलीमेनाईट, गारनेट, क्वार्टज, अभ्रक आदि उच्च हिमालय क्षेत्र में विद्यमान हैं, जिनके समुचित दोहन एवं उपयोग की सम्भावनाये हैं।
5. विशिष्ट खनिज– टंगस्टन, ग्रेनाइट, यूरेनियम, टिन, सोना आदि का राष्ट्रीय महत्व है जिनके विकास के लिये प्रयोग किये जाने की आवश्यकता है।

जनपद के झिंरोली, देवलधार, रैखोली, गिरीछिना, डुंगरी, रीमा कांडा, असौं, बागेश्वर, मटैला, विजयपुर, छातीखेत, तुपेड, चौरा, लीती, लोहारखेत, चौडास्थल, विरखाल, सुराग, कर्मी, हरप, जंखेडा, गोलाआगर, सीसाखानी आदि स्थानो पर खनिज सम्पदा की प्रचुर मात्रा के प्रमाण सर्वविदित हैं। इन सभी स्थानो से जनपद को अत्यधिक रॉयल्टी प्राप्त होती है।

साक्षरता

जनपद की औसत साक्षरता 84.11 प्रतिशत है जिसमें पुरूषों द्वारा 92.33 प्रतिशत और महिलाओं 69.03 प्रतिशत की भागीदारी है। जिसका विवरण तालिका में दर्शाया गया है।

जनपद में विकासखण्डवार साक्षर व्यक्ति तथा साक्षरता का प्रतिशत						
वर्ष/ विकासखण्ड	साक्षर व्यक्ति			साक्षरता का प्रतिशत		
	पुरूष	स्त्री	कुल	पुरूष	स्त्री	कुल
1991	68432	33394	101826	77.85%	35.05%	68.51%
2001	84341	62795	147136	87.64%	57.03%	71.71%
2011	97546	81937	179483	92.33%	69.03%	84.11%
वर्ष 2011 में विकासखण्डवार साक्षरता						
कपकोट	26986	21336	48322	89.57%	63.04%	78.40%
बागेश्वर	39276	32812	72088	92.92%	70.74%	81.00%
गरूड़	25142	22758	47900	94.05%	70.57%	81.21%
योग ग्रामीण	91404	76906	168310	92.21%	68.37%	71.04%
वन	93	47	140	100%	95.92%	91.02%
नगरीय	6049	4984	11033	94.18%	80.84%	87.00%
योग जनपद	97546	81937	179483	92.33%	69.03%	84.11%

DSTO BAG

प्रक्रिया और पद्धति

यह रिपोर्ट जनपद की सामाजिक–आर्थिक मानकों का, विशेषतः उन कारणों के संदर्भ में जो पलायन पर असर डालती है का विस्तार से जांच करती है। माध्यमिक जानकारी का आधार जनपद के रेखीय विभागों के जनपदस्तरीय अधिकारियों की प्रकाशित और अप्रकाशित सूचनाएं हैं। प्राथमिक जानकारी, आयोग की टीम, खण्ड विकास अधिकारियों और ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा क्षेत्र भ्रमण से संकलित की गई सूचनाओं पर आधारित है। विकास खण्डवार आंकडे एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

इस रिपोर्ट में जनपद की ग्रामीण सामाजिक–अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की लिये सिफारिशें प्रस्तुत की गयी हैं जिससे पलायन को कम किया जा सके। इससे स्थानीय सामाजिक–अर्थव्यवस्था को भी बढावा मिल सकता है एवं पलायन पर अंकुश भी लगेगा।

अध्याय–2

सामाजिक-आर्थिक आंकड़े

एक दृष्टि में जनपद

क्र0			अवधि	इकाई	विवरण
	भौगोलिक आंकड़े				
1	भौगोलिक क्षेत्रफल		2019	वर्ग कि0 मी0	2246
2	वन क्षेत्र		2019	वर्ग कि0 मी0	659.3
	मौसम सम्बन्धी आंकड़े				
1	औसत वर्षा (जनवरी से दिसम्बर)		2018	मि0मी0	1239.33
2	तापमान				
	(i)	न्यूनतम (वि0प0कृ0अ0के0 अल्मोड़ा)	2018–19	डिग्री सेन्टीग्रेड	11.4
	(ii)	उच्चतम (वि0प0कृ0अ0के0 अल्मोड़ा)	2018–19	डिग्री सेन्टीग्रेड	21.9
	प्रशासनिक इकाईयां				
1	तहसील		2019	संख्या	6
2	उपतहसील		2019	संख्या	1
3	सामुदायिक विकासखण्ड		2019	संख्या	3
4	न्याय पंचायत		2019	संख्या	35
5	ग्राम पंचायत		2019	संख्या	407
6	(अ)	जनगणना ग्राम (जनगणना 2011 के अनुसार)			
	(i)	कुल ग्राम	2011	संख्या	947
	(ii)	आबाद ग्राम	2011	संख्या	854
	(iii)	गैर आबाद ग्राम	2011	संख्या	46
	(iv)	आबाद वन ग्राम	2011	संख्या	20
	(v)	गैर आबाद वन ग्रम	2011	संख्या	27
	(ब)	जनगणना ग्राम (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार)			
	(i)	कुल ग्राम	2019	संख्या	923
	(ii)	आबाद ग्राम	2019	संख्या	830

	(iii)	गैर आबाद ग्राम	2019	संख्या	46
	(iv)	आबाद वन ग्राम	2019	संख्या	20
	(v)	गैर आबाद वन ग्रम	2019	संख्या	27
	नोट– जनगणना 2011 के पश्चात् 24 ग्राम नगर क्षेत्र में सम्मिलित किये गये हैं				
7	नगर/नगर समूह		2019	संख्या	2
	(i)	नगर निगम	2019	संख्या	0
	(ii)	नगर पालिका परिषद	2019	संख्या	1
	(iii)	नगर पंचायत	2019	संख्या	1

जनसंख्या सूचनायें

क्र0			अवधि	इकाई	विवरण
	लिंगानुसार वितरण				
1	कुल जनसंख्या		2011	संख्या	259898
	(i)	पुरूष	2011	संख्या	124326
	(ii)	स्त्री	2011	संख्या	135572
	(iii)	दशक में जनसंख्या वृद्धि	2001–11	प्रतिशत	5.15
2	लिंगानुपात प्रति हजार पुरूषों पर महिलायें		2011	संख्या	1090
3	शिशु जनसंख्या (0–6 आयु समूह की जनसंख्या)				
	(i)	कुल	2011	संख्या	35560
	(ii)	बालक	2011	संख्या	18679
	(iii)	बालिका	2011	संख्या	16881
	(iv)	शिशु लिंग अनुपात	2011	संख्या	904
4	जनसंख्या घनत्व		2011	प्रति वर्ग कि0मी0	116
5		ग्रामीण जनसंख्या			
	(i)	कुल	2011	संख्या	229925
	(ii)	पुरुष	2011	संख्या	109030
	(iii)	स्त्री	2011	संख्या	120895
नोटः– जनगणना 2011 के उपरान्त जनपद में एक नगर पंचायत का गठन हुआ है, तथा नगर पालिका परिषद बागेश्वर का विस्तार होने के कारण 10 ग्राम पंचायत (17 राजस्व ग्राम) को नगर क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, जिस कारण जनसंख्या वर्तमान स्थिति के अनुसार दी गई है।					

	साक्षर (6 वर्ष से अधिक आयु)				
	(i)	कुल	2011	संख्या	179483
	(ii)	पुरूष	2011	संख्या	97546
	(iii)	स्त्री	2011	संख्या	81937
	साक्षरता दर				
1	कुल		2011	संख्या	80.01
	(ii)	पुरूष	2011	संख्या	92.33
	(iii)	स्त्री	2011	संख्या	69.03
	1	लिंगानुसार कर्मकर (कुल कर्मकर)			
	(i)	कुल	2011	संख्या	123638
	(ii)	पुरूष	2011	संख्या	58708
	(iii)	स्त्री	2011	संख्या	64930
	2	ग्रामीण			
	(i)	कुल	2011	संख्या	112922
	(ii)	पुरूष	2011	संख्या	51781
	(iii)	स्त्री	2011	संख्या	61141
	श्रेणीवार कर्मकर				
1	मुख्य कर्मकर		2011	संख्या	78085
	(i)	कृषक	2011	संख्या	54056
	(ii)	कृषि श्रमिक	2011	संख्या	2733
	(iii)	पारिवारिक उद्योग	2011	संख्या	1648
	(iv)	अन्य	2011	संख्या	19648
2	सीमान्त कर्मकर		2011	संख्या	45553
	(i)	कृषक	2011	संख्या	31069
	(ii)	कृषि श्रमिक	2011	संख्या	6252
	(iii)	पारिवारिक उद्योग	2011	संख्या	1343
	(iv)	अन्य	2011	संख्या	6889

कृषि

क्र0	मद		अवधि	इकाई	विवरण
(क)	भूमि उपयोगिता				
1	कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल		2017—18	हैक्टेयर	207902
2	वन क्षेत्र		2017—18	हैक्टेयर	110160
3	कृषि योग्य बंजर भूमि		2017—18	हैक्टेयर	11287
4	परती		2017—18	हैक्टेयर	894
	(i)	वर्तमान परती	2017—18	हैक्टेयर	54
	(ii)	अन्य परती	2017—18	हैक्टेयर	840
5	ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि		2017—18	हैक्टेयर	6702
6	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि		2017—18	हैक्टेयर	4882
7	स्थायी चारागाह		2017—18	हैक्टेयर	20738
8	उद्यानों, बागों, वृक्षों व झाड़ियों का क्षेत्रफल		2017—18	हैक्टेयर	28834
9	शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल		2017—18	हैक्टेयर	24405
(ख)	मुख्य फसलों के अर्न्तगत क्षेत्रफल (अनन्तिम)				
1	अनाज		2018—19	हैक्टेयर	36580
	(i)	चावल	2018—19	हैक्टेयर	13990
	(ii)	गेंहूँ	2018—19	हैक्टेयर	15380
	(iii)	जौ	2018—19	हैक्टेयर	1210
	(iv)	मक्का	2018—19	हैक्टेयर	500
	(v)	मंडुवा	2018—19	हैक्टेयर	5000
	(vi)	सांवा	2018—19	हैक्टेयर	500
2	दालें				3791
	(i)	उर्द	2018—19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	985
	(ii)	मसूर	2018—19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	2100
	(iii)	मटर	2018—19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	18
	(iv)	गहथ (कुल्थी)	2018—19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	50
	(v)	राजमा	2018—19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	8
	(vi)	चना	2018—19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	50

	(vii)	भट्ट (काला सोयाबीन)	2018–19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	480
	(viii)	अन्य दालें	2018–19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	100
3	तिलहन				1177
	(i)	लाही सरसों	2018–19	हैक्टेयर	190
	(ii)	तिल	2018–19	हैक्टेयर	25
	(iii)	मूंगफली	2018–19	हैक्टेयर	0
	(iv)	सोयाबीन	2018–19	हैक्टेयर	962
4	अन्य फसलें				210
	(i)	गन्ना	2018–19	हैक्टेयर	0
	(ii)	प्याज	2018–19	हैक्टेयर	210
(ग)	**कृषि उत्पादकता (अनन्तिम)**				
1		अनाज	2018–19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	17.50
	(i)	चावल	2018–19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	17.50
	(ii)	गेंहूँ	2018–19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	12.25
	(iii)	जौ	2018–19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	20.25
	(iv)	मक्का	2018–19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	20.50
	(v)	मंडुवा	2018–19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	15.50
	(vi)	सांवा	2018–19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	13.50
2	दालें				8.4
	(i)	उर्द	2018–19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	10.50
	(ii)	मसूर	2018–19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	10.00
	(iii)	मटर	2018–19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	6.50
	(iv)	गहथ (कुल्थी)	2018–19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	5.80
	(v)	राजमा	2018–19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	7.40
	(vi)	चना	2018–19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	10.40
	(vii)	भट्ट (काला सोयाबीन)	2018–19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	10.10
	(viii)	अन्य दालें	2018–19	कुन्तल प्रति हैक्टेयर	0.00
3	तिलहन				
	(i)	लाही सरसों	2018–19	हैक्टेयर	3.60

	(ii)	तिल	2018—19	हैक्टेयर	1.80
	(iii)	मूंगफली	2018—19	हैक्टेयर	0.00
	(iv)	सोयाबीन	2018—19	हैक्टेयर	11.40
4		अन्य फसलें			
	(i)	गन्ना	2018—19	हैक्टेयर	0.00
	(ii)	प्याज	2018—19	हैक्टेयर	48.50
(घ)	क्रियात्मक जोत				
1		सीमान्त जोतों की संख्या (1.0 हे0 से कम)	2015—16	संख्या	43959
2		लघु जोतों की संख्या (1.0 हे0 से 2.0 हे0)	2015—16	संख्या	3381
3		अर्द्ध मध्यम जातों की संख्या (2.0 हे0 से 4.0 हे0)	2015—16	संख्या	176
4		मध्यम जोतों की संख्या (2.0 हे0 से 4. 0 हे0)	2015—16	संख्या	5
5		वृहद जोतों की संख्या (10.00 हे0 से अधिक)	2015—16	संख्या	1
6		सीमान्त जोतों के अर्न्तग्त क्षेत्रफल (1.0 से कम)	2015—16	हैक्टेयर	18586
7		लघु जोतों के अर्न्तगत क्षेत्रफल	2015—16	हैक्टेयर	4434.285
8		अर्द्ध मध्यम जातों के अर्न्तगत क्षेत्रफल (2.0 हे0 से 4.0 हे0)	2015—16	संख्या	436.041
9		मध्यम जोतों के अर्न्तगत क्षेत्रफल (2.0 हे0 से 4.0 हे0)	2015—16	संख्या	37.219
10		वृहद जोतों के अर्न्तगत क्षेत्रफल (10. 00 हे0 से अधिक)	2015—16	हैक्टेयर	63.184
(ड.)	रासायनिक खादों का उपयोग				
1		नत्रजन	2018—19	मै0टन	257
2		फास्फोरस	2018—19	मै0टन	69
3		पोटाश	2018—19	मै0टन	26

सिंचाई

क्र0	मद	अवधि	इकाई	विवरण
(क)	**शुद्ध एवं सफल सिंचित क्षेत्रफल**			
1	नहरें	2017—18	हैक्टेयर	5540
2	नलकूप	2017—18	हैक्टेयर	0
3	अन्य कुएं	2017—18	हैक्टेयर	0
4	ताल एवं तलैया	2017—18	हैक्टेयर	0
5	अन्य श्रोत	2017—18	हैक्टेयर	890
6	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	2017—18	हैक्टेयर	6430
7	सकल सिंचित क्षेत्रफल	2017—18	हैक्टेयर	12492
(ख)	**सिंचाई अवस्थापना**			
1	नहरों की लम्बाई	2018—19	किमी0	459.59
2	लघु डाल नहरों की लम्बाई	2018—19	किमी0	43.352
3	राजकीय नलकूप	2018—19	संख्या	3
4	बोरिंग पर लगे पम्प सैट/निःशुल्क बोरिंग	2018—19	संख्या	3
5	हौज	2018—19	संख्या	1517
6	गूल	2018—19	किमी0	1551
7	हाईड्रम	2018—19	संख्या	93
8	राजकीय नहरों का कुल क्षेत्राछादन	2018—19	हैक्टेयर	7345
9	सिंचाई विभाग द्वारा एकत्र राजस्व	2018—19	रू0	160431.00

षष्टम आर्थिक गणना (वर्ष 2012)				
क्र0सं0	मद	ग्रामीण	नगरीय	योग
1	उद्यम			
	अ. कृषि उद्यम	568	21	589
	• स्वकार्य उद्यम	543	20	563
	• कम से कम एक कार्यरत वैतनिक व्यक्ति सहित उद्यम	25	1	26
	ब. गैर—कृषि उद्यम	6904	1106	8010

	• स्वकार्य उद्यम	4870	671	5541
	• कम से कम एक कार्यरत वैतनिक व्यक्ति सहित उद्यम	2034	435	2469
	स. कुल उद्यम	7472	1127	5899
	• स्वकार्य उद्यम	5413	691	3104
	• कम से कम एक कार्यरत वैतनिक व्यक्ति सहित उद्यम	2059	436	2495
2	संरचना के अनुसार उद्यम			
	• निवास के बाहर निश्चित ढांचे में	5191	1065	6559
	• निवास के बाहर बिना निश्चित ढांचे में	749	22	771
	• निवास के भीतर	1532	40	1572
3	उद्यमों में कार्यरत व्यक्ति			
	अ. कृषि उद्यम			
	• वैतनिक पुरूष	38	2	40
	• वैतनिक महिला	10	0	10
	• अवैतनिक पुरूष	431	11	442
	• अवैतनिक महिला	173	16	189
	• कुल पुरूष	469	13	482
	• कुल महिला	183	16	199
	ब. गैर कृषि उद्यम			
	• वैतनिक पुरूष	4347	1062	5409
	• वैतनिक महिला	2122	145	2267
	• अवैतनिक पुरूष	5650	1143	6793
	• अवैतनिक महिला	368	42	410
	• कुल पुरूष	9997	2205	12202
	• कुल महिला	2490	187	2672

4	8 या अधिक कार्यरत व्यक्तियों वाले उद्यम			
	• उद्यम	149	23	172
	• कार्यरत व्यक्ति	2404	402	2804
5	हस्त शिल्प/हथकरघा उद्यम			
	• उद्यम	309	8	317
	• कार्यरत व्यक्ति	473	23	496

❖ पर्यटन

जनपद बागेश्वर में प्रमुख तीर्थ एवं पर्यटक स्थल

जनपद के अन्तर्गत कई प्रमुख तीर्थ एवं पर्यटक स्थल जैसे बागनाथ मन्दिर, बैजनाथ मन्दिर, चंडिका मन्दिर, श्रीहरू मन्दिर, गौरी उडियार, रामघाट मन्दिर, अग्निकुंड मन्दिर, रामजी मन्दिर, लोक नाथ आश्रम, नीलेश्वर महादेव, अमितजी का आश्रम, कुकुडा माई मन्दिर, ज्वालादेवी मन्दिर, शीतलादेवी मन्दिर, वेणीमाधव मन्दिर, त्रिजुगीनारायण मन्दिर, राधा कृष्ण मन्दिर, हनुमान मन्दिर, भीलेश्वर धाम, सूरजकुंड, स्वर्गाश्रम, सिद्वार्थ धाम, गोपेश्वर धाम, गोलू मन्दिर, प्रकटेश्वर महादेव, पिंडारी ग्लेशियर, सुन्दरढुंगा ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, कस्तूरी मृग फार्म, पाण्डु स्थल, चाय उद्यान, कौसानी, काण्डा आदि हैं तथा बिखौती, हरेला, घुघुतिया, कोजागर, उत्तरैनी, घी संक्रान्ति, छोलिया नृत्य, हराका बाडेन, नन्दा अष्टमी आदि प्रमुख त्यौहार मनाये जाते हैं।

बागनाथ मन्दिर

सरयू एवं गोमती नदियों के संगम पर विराजमान बागनाथ मन्दिर भगवान शिव का पवित्र स्थान है। यह मन्दिर कुमाऊं राजा लक्ष्मी चंद ने लगभग 1450 ई0 पूर्व बनवाया था। जहां पर शिवरात्रि के वार्षिक त्यौहार के अवसर पर भक्तों की भीड उमड पड़ती है। इस जगह में मन्दिरों का एक समूह है जिनमें प्रमुख रूप से भैरव मन्दिर, दत्तात्रेय महाराज, गंगामायी मन्दिर, हनुमान मन्दिर, दुर्गा मन्दिर, कालिका मन्दिर, थिंगल भैरव मन्दिर, पंचनाम जुनाखरा और बनेश्वर मन्दिर मौजूद हैं जिनके दर्शनार्थ कई श्रद्धालु यहां आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करते है।

बैजनाथ मन्दिर

गौमती नदी के बायें किनारे पर भगवान बैजनाथ का मन्दिर स्थित है। मुख्य मन्दिर के रास्ते में ठीक नीचे बामणी का मन्दिर है। मुख्य मन्दिर बैजनाथ (शिव का एक नाम) को समर्पित है। मन्दिर का निर्माण तिलिहाटा समूह से भिन्न नही है। इसलिये यह भी इसी अवधि का माना जाता है। बैजनाथ कौसानी से 19 किलो मीटर और बागेश्वर से 26 किलो मीटर दूर है। एक समय यह कत्यूरी राजवंश के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी जिसे उस समय कार्तिकपुर के नाम से जाना जाता था। कत्यूरी राजवंश की रानी के आदेशो के अनुसार नदी के तल से मन्दिर तक पत्थरो की सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया था। जहां पर स्थानीय निवासियों द्वारा स्नान किया जाता था।

चंडिका मन्दिर

बागेश्वर से 500 मीटर दूर देवी चंडिका का मन्दिर स्थित है। जहां हर वर्ष नवरात्रों के दौरान माता की पूजा के लिये श्रद्धालुओं की भीड उमड़ती है।

गौरी उडियार

गौरी उडियार बागेश्वर से 8 किलो मीटर दूर स्थित है। जहां 20 गुना 95 वर्ग मीटर की एक बड़ी गुफा है जिसमें भगवान शिव की मूर्तियां विराजमान हैं, जिनके दर्शनों के लिये श्रद्धालु वर्षभर यहां आते हैं।

घी संक्रान्ति

घी संक्रान्ति को सिम्हा और ओलगिया के नाम से भी जाना जाता है। चंद्र शासन काल के दौरान शिल्पकारों को शिल्प और हस्त शिल्प की वस्तुओं के प्रदर्शन के द्वारा इस दिन पुरस्कार वितरण किए जाते थे। शाही अदालत में सम्मानित लोगों के लिए दूध, दही, मिठाई और कई तरह की सुन्दर चीजें दी जाती थी। इसे घृत या घी (मक्खन) संक्रान्ति भी कहा जाता है। इस दिन रोटी बनाने के लिए घी का ज्यादा प्रयोग किया जाता है।

हरेला

यह त्यौहार श्रावण संक्रान्ति से 10–11 दिन पहले मनाया जाता है। इस अवसर पर बांस के बर्तनों में मिट्टी डाल कर धान, मक्का, सेम और बरसाती मौसम में उगने वाली अन्य अनाज की बुवाई की जाती है जिसे हरेला या कर्क संक्रन्ति के रूप में उत्तराखण्ड में जाना जाता है। इन बर्तनों को सूर्य के प्रकाश में नहीं रखा जाता, ऐसा करने से पौधों का रंग पीला हो जाता है। इस त्यौहार का उद्देश्य किसानों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले बीजों का प्रमाणिकता जांचनी होती है, कि कौन सा बीज सही या गलत है।

कोजागर

यह त्यौहार कुमाऊं में सितम्बर–अक्टूबर के महीने की पूर्णिमा की छोटी दिवाली को मनाया जाता है। इस दिन महिलायें व्रत रखती हैं। लक्ष्मी की पूजा रात में की जाती है। दीपावली में दीपक जलाये जाते है। पकवान और मिठाई बनाई जाती है। माना जाता है कि इसी दिन जुऐ की शुरूआत हुई थी।

घुघुतिया

घुघुतिया मेला बागेश्वर का एक प्रसिद्ध मेला है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। कुमांऊ में इस त्यौहार को काला कौवा भी कहा जाता है। इस दिन कुमांऊ में सभी परिवारों में आटे को गुड में मिलाकर घुघुती आकृति बनाते हैं जिसे नांरगी व अन्य फलों के साथ माला में पिरो कर बच्चे गर्दन में पहनते हैं और सुबह जल्दी उठकर, कौल कोवा आले घुघुती माला खाले गीत गाते हैं। माला से घुघुती लेकर कौवा को खाने के लिये देते हैं। इस दिन बागेश्वर, रामेश्वर, चन्द्रशिला आदि स्थानों पर लोगों द्वारा पवित्र स्नान किया जाता है।

उत्तरैनी उत्सव

बागेश्वर क्षेत्र मे जनवरी माह में एक सप्ताह अवधि के लिये यह मेला आयोजित किया जाता है और कुमांऊ के व्यापारी, भोटिया एवं अन्य जगहों के व्यापारियों द्वारा वस्तु–विनमय धन उधार देने के इरादे से इस मेले में प्रतिभाग किया जाता है। साथ ही साथ आस–पास के ग्रामीणों द्वारा मेले में आकर खरीददारी की जाती है। मेले में मुख्य रूप से निम्न वस्तुओं जैसे– खच्चर, भेड, ऊनी वस्त्र, याक, कस्तूरी फली, सुहागा, नमक, सींग, किताबे, जूते, ताजे सूखे फल आदि विक्रय किया जाते हैं।

काण्डा

काण्डा प्रकृति प्रेमियों के लिये खुबसूरत विकल्प है जो बागेश्वर से 25 किमी दूर स्थित है। यहां भद्रकाली मंदिर स्थित है। काण्डा समुद्र तल से 1500–1900 मी0 की ऊचाई पर स्थित एक सुन्दर हिल स्टेशन और शान्ति का घर है। जहां पर पर्यटको द्वारा शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण एवं सीढ़ीदार क्षेत्रों से घिरा भू–भाग के नजारों का लाभ उठाया जाता है। प्राचीन समय पर यहां पर कन्याल नामक स्थानीय जाति निवास किया करती थी, जिनके नाम से यहां का नाम काण्डा रखा गया। काण्डा क्षेत्र में ढोलनगाडे, छोलिया, बांसुरी, जागर, बाशी, नवब्रिती, ग्रामीण संस्कृति और परम्परा, के साथ–साथ चाय उद्यान, कस्तूरी मृग फार्म, पाण्डु स्थल, विजयपुर आदि रमणीक स्थल भी मौजूद हैं।

कौसानी

प्रकृति के विलय और हरियाली का अनूठा संगम देखना हो तो आपको कौसानी आना होगा। जो समुद्र तल से 1890 मी0 की ऊंचाई पर स्थित है। जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने वर्ष 1929 में 12 दिन बिताये थे। हिन्दी के सुप्रसिद्व कवि सुमित्रानन्दन पंत जी का जन्म भी इसी पावन स्थल पर हुआ था। यहां लिखी इनकी शुरूआती कविताओं में प्रकृति की असंख्य अभिव्यक्तियो का वर्णन मिलता है। दरअसल, कौसनी एक स्वर्ग समान है जिसके लिये कुमांऊ आकर भ्रमण किया जाना सौभाग्य की बात है।

जनपद बागेश्वर में पिछले चार सालों में आये विदेशी पर्यटकों का आंकड़ा देखे तो वर्ष 2013–14 से वर्ष 2016–17 के मध्य निरन्तर गिरावट देखी जा सकती है सिर्फ वर्ष 2014–15 को छोड़कर वर्ष 2016–17 में गिरावट 47.5 प्रतिशत तक है जिसे तालिका एवं ग्राफ में दर्शाया गया है। पर्यटन विभाग को अपने सभी गन्तव्य स्थलों का सघन सर्वेक्षण करवाकर पर्यटकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवानी उचित होगी।

पिछले पांच वर्षों के अन्तर्गत जनपद में पर्यटक सुविधाओं तथा आगुंतक पर्यटकों एवं तीर्थयात्रियों का वर्षवार विवरण

वर्ष	पर्यटक सुविधायें							पर्यटकों के आंकडें		
	मुख्य पर्यटक स्थल	पर्यटक आवास गृह	रैन बसेरा	पर्यटक आवास गृहों में उपलब्ध शैय्यायें	रैन बसेरों में उपलब्ध शैय्यायें	होटल तथा पेईंग गेस्ट हाउस की संख्या	धर्मशालाओं की संख्या	पर्यटकों की कुल संख्या (तीर्थ यात्रा सहित)		कुल
								भारतीय पर्यटक	विदेशी पर्यटक	
2012–13	9	8	0	288	0	48	0	77205	940	78145
2013–14	25	12	0	372	0	52	1	63740	792	64532
2014–15	25	12	0	372	0	60	1	75398	824	76222
2015–16	25	15	0	368	0	60	1	76297	673	76970
2016–17	25	15	0	368	0	60	1	76807	353	77160

DSTO BAG

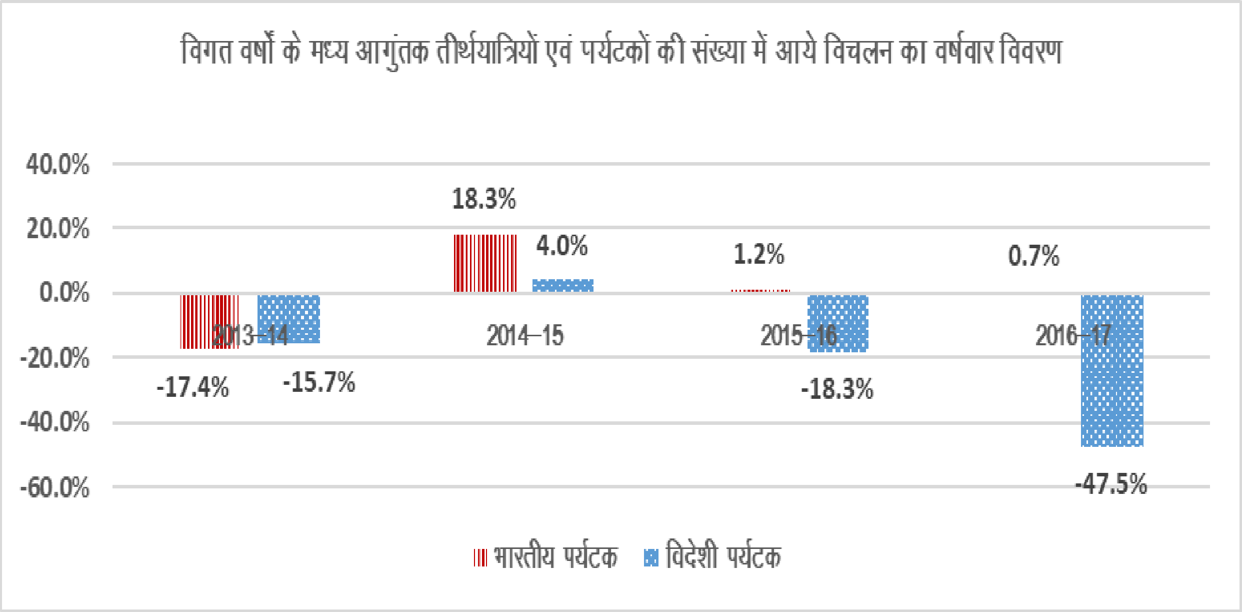

उद्योग

जनपद के अन्तर्गत औद्योगिक परिवेश के दृष्टिकोण से वृहत व मध्यम स्तरीय उद्योगों की अपेक्षा लघु/सूक्ष्म एवं दस्तकारी/हथकरघा उद्योगों की विशेष भूमिका रहती है, क्योंकि जनपद का अधिकांश भूभाग पर्वतीय आंचल से आच्छादित हैं।

जिला उद्योग केन्द्र की विभिन्न योजनायें एवं उपलब्ध सुविधायें

जिला उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ाने व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु निम्न योजनाओं को संचालित किया जाता है। जिला उद्योग केन्द्र में एक परामर्श कक्ष उपलब्ध है जिसमें बेरोजगार नवयुवकों एवं युवतियों को विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी एवं दिशानिर्देश दिये जाते हैं। साथ ही पंजीकरण की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाती है जिसे दो प्रकार से उपलब्ध कराया जाता है।

अस्थाई पंजीकरण

इस योजना के तहत जनपद को 128 इकाइयों का लक्ष्य प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष 128 इकाईयों का पंजीकरण कर 1390.51 लाख रूपये का पूँजी विनियोजित एवं 490 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित किया गया है।

स्थाई पंजीकरण

इस योजना के तहत जो इकाई उत्पादन में आ जाती है उसका स्थाई पंजीकरण किया जाता है। स्थाई पंजीकरण के पश्चात ही इकाई को शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधायें उपलब्ध करवायी जाती है। पाँच लाख से नीचे वाली इकाइयों को स्थाई पंजीकरण के 5 वर्ष बाद पुनः नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिये जाने तथा बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार लगाने के लिए विकासखण्डवार उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभागीय जानकारी के साथ–साथ अन्य विभागों के विशेषज्ञों को बुलाकर युवाओं को आवश्यक जानकारी प्रदान की जाती है।

पर्वतीय क्षेत्रों हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

इस योजना के तहत कक्षा आठ/आई0टी0आई0 पास सामान्य वर्ग के 18 से 40 वर्ष व आरक्षित वर्ग के 18 से 45 वर्ष के कम से कम 3 वर्ष से निवास करने वाले व पारिवारिक आय 40 हजार रूपये से अधिक आय न होने वाले व्यक्ति पात्र है। इस कार्यक्रम के तहत उद्योग एवं सेवा सेक्टर में अधिकतम 2.00 लाख रूपया एवं व्यवसाय हेतु मात्र 1.00 लाख रूपया का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। रू0 1.00 लाख से नीचे की योजना लागत पर 5 प्रतिशत एवं रू0 1.00 लाख से अधिक पर 20 प्रतिशत मार्जिन मनी उपलब्ध करानी होती है।

प्रधानमंत्री रोजगार प्लस योजना

शासन द्वारा संचालित इस योजना के अन्तर्गत उन लाभान्वित व्यक्तियों को जिनका व्यवसाय पूँजी के अभाव में शिथिल पड रहा हो, तथा बैंक रिकार्ड अच्छा रहा हो पुनः योजना के विस्तार हेतु 25.00 लाख रूपये का ऋण प्रदान कर लाभान्वित किया जाता है। उद्योग जगत के अनुसार उत्तराखण्ड़ में दो प्रकार से उद्योग विभाजित किया जा सकता है।

थ्रस्ट लिस्ट के उद्योग

फ्लोरीकल्चर, मैडिसनल हर्ब्स एवं एरोमैटिक हर्ब्स प्रोसेसिंग, हनी, हॉर्टीकल्चर एण्ड एग्रो बेस्ड इण्डस्ट्री, शुगर एण्ड वाय प्रोडक्ट, वूल एण्ड वूल प्रोडक्ट, ओवन फैब्रिक्स, स्पोर्टस गुड्स, आर्टिकल्स एण्ड जनरल एक्सरसाइज, एडवन्चर, टूरिज्म, होटल, रिसोर्ट, रोप वे, नान टिम्बर फारेस्ट प्रोडक्ट बेस इण्डस्ट्री आदि।

वर्ष	ग्रामीण तथा लघु उद्योग				कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत		
	खादी उद्योग/ग्रामोद्योग इकाईयाँ	लघु औद्योगिक इकाईयाँ	खादी इकाईयों में कार्यरत श्रमिक	लघु औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत श्रमिक	कारखानों की संख्या	कार्यरत कारखानें	कार्य में लगे कुल व्यक्ति
2015–16	1097	1375	2848	2805	4	4	138
2016–17	1175	1490	3070	3060	4	1	138
2017–18	1269	1615	3455	3345	4	1	138
2018–19	1306	1753	3630	3786	4	1	138

DSTO BAG

वर्ष	ग्रामीण तथा लघु उद्योग			
	खादी उद्योग/ ग्रामोद्योग इकाईयाँ	लघु औद्योगिक इकाईयाँ	खादी इकाईयों में कार्यरत श्रमिक	लघु औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत श्रमिक
2016–17	7%	8%	8%	9%
2017–18	8%	8%	13%	9%
2018–19	3%	9%	9%	13%

DSTO BAG

उपरोक्त तालिका के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जनपद में विगत चार वर्षों के मध्य ग्रामीण तथा लघु उद्योग की स्थापना में मामूली परिवर्तन दिखाई देता है जिसके प्रतिशत का आंकड़ा दहाई के अंक को भी पार नहीं कर पाता है वहीं रोजगार उपलब्धता का प्रतिशत में भी कोई ज्यादा इजाफा देखने को प्राप्त नहीं होता है, जो कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए उचित नहीं है इसके लिए विभाग को सघन सर्वेक्षण करवाकर सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है।

लोक निर्माण विभाग

प्रमुख विकास विभागों में से एक लोक निर्माण विभाग की अपनी ही अलग पहचान है जो उत्तराखण्ड़ गठन के बाद से ही अपनी अहम भूमिका निभाते हुए आया है, जिसका उत्तराखण्ड़ राज्य की भौगोलिक स्थिति के परिदृश्य में महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है क्योंकि किसी भी ग्राम/जनपद/मण्डल/राज्य की समृद्धि का आंकलन उसकी आवागमन के संसाधन के विस्तार, सुदृढ़ता, राइडिंग क्वालिटी सुधार एवं उन पर चलने वाले वाहनों की संख्या पर निर्भर करती है। सुदूर ग्रामीण अंचलों तक आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी की उपलब्धता का श्रेय भी मार्ग संचार को जाता है।

जनपद के सर्वागींण विकास हेतु दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों, ग्रामों, नगरों, तीर्थ, पर्यटन एवं मुख्य स्थलों को मोटर मार्ग एवं सुविधाजनक पुलों के निर्माण, आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण के साथ–साथ उचित रखरखाव करते हुए विकास की मुख्य धारा से जोड़ना ही विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए। उक्त निर्माण में जनपद के अन्तर्गत प्रान्तीय खण्ड, सिंचाई विभाग व ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग कार्य कर रहें हैं। जनपद के आर्थिक एवं सामाजिक विकास जनपद की परिवहन यातायात के विकास पर भी निर्भर करता है।

दुग्ध विकास

डेयरी विकास के माध्यम से स्वरोजगार को स्थापित करते हुए, ग्रामीण अंचल में रोजगार सृजन कर आर्थिक विकास में महिलाओं की अधिकाधिक भूमिका है। ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलवाने में डेयरी विकास विभाग द्वारा सहकारी दुग्ध समितियों का गठन किया जाना सराहनीय पहल है।

डेयरी विकास विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादन को स्वरोजगार के रूप में स्थापित करने, ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन कर ग्रामीण पलायन को रोकने, जनपद के आर्थिक विकास में महिलाओं की अधिकाधिक भूमिका सुनिश्चित करने एवं विशेषकर छोटे–छोटे दुग्ध उत्पादकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराने के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी दुग्ध समितियों का गठन एवं उसके माध्यम से दुग्ध उत्पादकों/पशुपालकों को विभिन्न तकनीकी निवेश की सुविधायें उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी कार्यक्रमों को लागू किये जाने में डेरी विकास कार्यक्रम की सफल भूमिका रही है।

जनपद बागेश्वर में अल्मोड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड डेरी विकास विभाग के सहयोग से दुग्ध क्षेत्र में विभिन्न योजनायें संचालित कर रहा है। गत वर्षो में उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर जिला योजना के अंतर्गत नैसर्गिक गर्भाधान की दृष्टि से अच्छी नस्ल के भैंसा, सांडों को क्रय कर कुछ गांवों में वितरित किया जा रहा है जिससे धीरे–धीरे नस्लों को सुधारा जा सके।

डेरी विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का विवरण समिति संगठन

दुग्ध समिति के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष हेतु प्रति समिति 18,000,00 रू0 प्राविधानित है। प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष दुग्ध समिति को रू0 18,000,00 दुग्ध जॉच उपकरण एवं रसायन व प्रबन्धकीय अनुदान दिया गया जिससे दुग्ध समितियों से अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादकों की भागीदारी बनी रहे।

पशु आहर

दुग्ध उत्पादकों की मूलभूत आवश्याकताओं को ध्यान में रखते हुए संस्था द्वारा उत्पादकों को **''आंचल पशु आहार''** नाम से जिसमें सभी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन व खनिज तत्व सम्मिलित होते हैं दुग्ध समितियों के माध्यम से छूट पर उपलब्ध करवाया जाता है।

हैड लोड अनुदान

अधिकतम ग्राम छितरे व सड़क से दूर स्थित हैं। अतः दुग्ध समितियों में संग्रहित दुग्ध प्रतिदिन रोडहैड तक पहुँचाने में व्यवहारिक कठिनाइयां आती है। दुग्धशालाऐं अपने संसाधनों से इतना व्यय करने की स्थिति में नहीं है कि वे हैडलोडर को पर्याप्त भुगतान कर सके।

डिवार्मिंग

डिवार्मिंग की सुविधा विभाग की ओर से पशुओं की रक्षा, स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्वि हेतु की जाती है।

प्राथमिक पशु चिकित्सा :– पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पशु चिकित्सा व पशु कृमिनाशकों की औषधियों की जानकारी एवं उपलब्धता न होने के कारण दुग्ध उत्पादक के दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन कम रहता है जिससे प्रति लीटर उत्पादन व्यय बढ़ जाता है और दुग्ध उत्पादक दुग्ध व्यवसाय को अलाभप्रद मानकर इससे विमुख होने लगता है। अतः दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को दुधारू पशुओं का दुग्ध उत्पादन में बढोतरी के उद्‌देश्य से प्राथमिक पशु चिकित्सा की स्थापना की गयी है।

महिला डेरी परियोजनाः– उत्तराखण्ड में दुग्ध उपार्जन का कार्य परम्परागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्‌देश्य से जनपद में महिला दुग्ध समितियों के गठन का कार्य एवं दुग्ध उपार्जन कार्य आरम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में निम्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं :–

ए0आई0 कार्यक्रम :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत समिति से ही एक ए0आई0 कार्यकर्ता का चयन कर प्रशिक्षण दिलाया जाता है। प्रशिक्षणोपरान्त एल0एन0टू0 एवं सीमैन उपलब्ध कराकर पशु गर्भाधान कार्य किया जाता है।

पशु आहार वितरण :– समस्त समितियों में पशु आहार अनुदान एक वर्ष तक दिया जाता है। अनुदान पश्चात उचित दरों पर अच्छा पशु आहार सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है।

टीकाकरण :– समस्त समितियों में बाल टीकाकरण, गर्भवती महिला परीक्षण, महिला टीकाकरण आदि कार्यों से सम्बन्धित क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाता है।

आयोडीन नमक टेस्टिंग :– समिति ग्रामों में आयोडीन नमक प्रयोग करने हेतु नमक की टेस्टिंग कर प्रचार प्रसार का कार्य किया जाता है।

वाटर टेस्टिंग :– समस्त समितियों में वाटर टेस्टिंग किट द्वारा पानी की जॉच कर दूषित पानी की पहचान बतायी जाती है। तथा पानी उबालकर/छानकर पीने की सलाह दी जाती है।

चारा बीज वितरण :– इस योजना में वर्ष के दौरान यू0एल0डी0बी0 से अनुदान में प्राप्त चारा बीज जैसे लूर्सन, जई, बर्सिम, मक्का का बीज दुग्ध समितियों को उपलब्ध कराया गया।

चारा नर्सरी की स्थापना :– यू0एल0डी0बी0 के सहयोग से जनपद बागेश्वर के वन पंचायत भटखोला मे चारा नर्सरी विकसित की जा चुकी है जिससे भविष्य में दुग्ध समितियों के इच्छुक सदस्यों को चारा बीज/पौध उपलब्ध हो सकेंगें।

मत्स्य विकास

पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीणों के आर्थिकी का स्रोत मुख्यतः कृषि पर आधारित है। पर्वतीय क्षेत्र में मत्स्य पालन कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत आर्थिक लाभ अर्जन के साथ–साथ क्षेत्र वासियो को प्रोटीन युक्त पौष्टिक सुपाच्य आहार उपलब्ध कराने का साधन है। जनपद की भौगोलिक स्थिति एवं जल संसाधनों के अनुरूप जनपद में शीत जल मत्स्य प्रजातियों कामन कार्य, मिरर कार्य, सिल्वर कार्य व ग्रास कार्य आदि का पालन किया जा रहा है। जनपद के अन्तर्गत प्राकृतिक जल संसाधन सरयू, गोमती व पिण्डर नदी, गरूड गंगा, लाहुर नदी एवं विभिन्न गधेरे है।

कृषकों को निजी भूमि में ऐसे स्थान जहां नदियों, गधेरों, नहरों एवं प्राकृतिक स्रोतों द्वारा वर्ष भर पानी की उपलब्धता हो छोटे–छोटे तालाब निर्माण कर मत्स्य पालन कार्य–व्यवसाय करने हेतु विभाग द्वारा शासकीय सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है। तकनीकी सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

मत्स्य बीज वितरण :– मत्स्य बीज वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत मत्स्य बीज वितरण किया जाता है।

मत्स्य पालन प्रशिक्षण :– मत्स्य पालन कार्यक्रम को बढावा देने के लिये वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन कर मत्स्य उत्पादन बढाने एवं धन अर्जित करने हेतु मत्स्य पालन में रूचि रखने वाले व्यक्तियों जिनके पास तालाब निर्माण हेतु उपयुक्त स्थल व पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध हो, तथा तालाब निर्माण करने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर 10 दिवसीय मत्स्य पालन प्रशिक्षण दिया जाता है। विशेष संघटक योजना एस0सी0पी0 एवं जनजाति उपयोजना टी0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है।

विशेष संघटक योजना (एस0सी0पी0) जन जाति उपयोजना(टी0एस0पी0) :– अनु0 जाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उप योजना में मत्स्य पालन तालाब निर्माण करवाये जाते हैं।

जलाशयों का विकास योजना :– इस योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक जल स्रोतों में विद्यमान मत्स्य संपदा के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु विभिन्न गोष्ठियों के माध्यम से तथा प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन, साइन बोर्ड एवं साहित्य वितरण के माध्यम से जन चेतना का कार्य किया जाता है। जनपद बागेश्वर की प्रमुख नदी सरयू में आरे से बिलौना तक लगभग 7 किमी0 स्ट्रैच में 1.50 लाख मत्स्य बीज संचय किया गया है।

शीत जल रनिंग वाटर तालाब निर्माणः– शीत जल मत्स्य विकास योजनान्तर्गत जनपद बागेश्वर में तालाब निर्माण करवाये जा रहे हैं।

पशुपालन

पशुगणना 2012 के अनुसार जनपद बागेश्वर में कुल पशु संख्या 2,73,051 थी जिसमें 35,378 भैंस, 33,867 गाय, 43,786 बैल, 1,24,685 भेड व बकरियां एवं 2149 घोड़ व खच्चर तथा 69 सुअर व 33,117 अन्य पशु थे। जनपद में विकास कार्यों जैसे एकीकृत ग्राम्य विकास योजनाओं के अर्न्तगत ग्रामीण अंचलों में दुधारू पशु कृषकों को वितरित किये जा रहे हैं। अन्य योजनाओं के अर्न्तगत कृषकों को खेतीहर कार्य के लिए पहले से ही ऋण सुविधा उपलब्ध है। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था कृषि के पश्चात् पशुपालन पर आधारित है, इसलिए जनपद में पशुधन की संख्या में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है। जनपद में कुल पशुधन में से 37% गोवंशीय पशु हैं, 13% महिष वंशीय 46% भेड़ बकरी तथा 4% अन्य पशु हैं। विभाग द्वारा जनपद में निम्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

पशु चिकित्सालय एवं पशु स्वास्थय सेवाएं :– जनपद में वर्ष 2019–20 तक 11 पशु चिकित्सालय, 33 पशुसेवा केन्द्र, जिसमें 22 उपकेन्द्रों पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा भी प्रदान की जा रही है, एवं 9 भेड़ एवं ऊन प्रसार व 2 भेड़ फार्म केन्द्रों के माध्यम से लक्ष्य 1,09,000 के सापेक्ष 1,52,389 पशुओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है जो कि लक्ष्य का 140% है। जनपद मे विभिन्न क्षेत्रों में 2,73,051 पशु है जिनमें विभिन्न प्रकार के अंत कृमि रोग जैसे लीवर फल्यूक, एम्फीस्टोम, लंगवर्म आदि रोगों के बचाव के लिए दवापान हेतु परजीवीनाशक औषधियां क्रय की जाती है। साथ ही पशुपालन के सम्बन्ध में भी जानकारियां एवं पशु स्वास्थय प्रचार–प्रसार कार्य, पशु सेवा केन्द्र के माध्यम से किया जा रहा है।

बधियाकरण :– इस योजना के माध्यम से जनपद में निकृष्ट पशुओं के बधियाकरण किया जाता है। वर्ष 2019–20 में बधियाकरण कार्य हेतु निर्धारित 7000 लक्ष्य के सापेक्ष 7746 पशुओं का बधियाकरण किया गया जिसके लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति 11% अधिक रहा।

टीकाकरण :– पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगों की रोकथाम हेतु पशुओं में टीकाकरण कार्य किया जाता है। वर्ष 2019–20 में टीकाकरण कार्य योजना के अर्न्तगत निर्धारित 3,13,000 लक्ष्य के सापेक्ष 2,68,657 पशुओं का टीकाकरण का कार्य किया गया, जिसका निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 86% पूर्ति रही।

बाझपन शिविरों का आयोजन :– वर्ष 2019–20 में जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में 120 बांझपन निवारण शिविरों का आयोजन के सापेक्ष 227 शिवरों का आयोजन किया गया।

कृत्रिम गर्भाधान :– वर्ष 2019–20 में जनपद में बांझपन निवारण 11150 लक्ष्य के सापेक्ष 8738 की पूर्ति प्राप्त की गयी।

अनुसूचित जाति के लाभार्थ कुक्कुट पालन योजना :– वित्तीय वर्ष 2019–20 में आवंटित लक्ष्य 1520 के सापेक्ष 100% की पूर्ति की गई।

पशु प्रदर्शनी का आयोजन :– जनपद बागेश्वर में चार पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभाग करने वाले सर्वश्रेष्ठ पशुओं को अपनी श्रेणी में पुरस्कृत किया गया।

चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण/सुदृढ़ीकरण :– वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 तक जनपद बागेश्वर 243.5 कुन्तल चारा विकास के लिए बीज वितरण किया गया।

उरेड़ा

1. जनपद में उरेड़ा विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 में राज्य योजना तथा रूर्बन योजना के तहत 1560 पथ प्रकाश हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना की गयी जिस पर विभाग द्वारा रू0 158.52 लाख का परिव्यय किया गया।

2. जनपद में सोलर स्ट्रीट लाइट संयत्रों की स्थापना राज्य सहायातिति योजना के तहत वर्ष 2019–20 में 1355 पथ प्रकाश हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना कर रू0 128.93 लाख का परिव्यय किया गया।

सेवायोजन

किसी भी योजना का मुख्य उद्देश्य होता है लक्ष्य की प्राप्ति। सेवायोजन का लक्ष्य है कि उचित व्यवसाय में उचित योग्यता का अवसर दिलाना। वैतनिक रोजगार के घटते अवसरों और तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का विस्फोट आज एक कठिन चुनौती बन चुका है। विकासशील राष्ट्रों की अस्थिर अर्थव्यवस्था आज राजनैतिक व्यवस्था, आतंकवाद और प्राकृतिक प्रकोप से जूझ रही है। ऐसे में बेरोजगारी की चुनौतियां बढ़ती जा रही है। विकसित कहलाने वाले राष्ट्र भी आज बेरोजगारी की मार से बच पाने में असफल हो रहे है। इन परिस्थितियों का आंकलन करते हुए ही उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सेवायोजन कार्यालयों को ''आजीविका परामर्श केन्द्र'' (कैरियर काउंसिलिंग सेन्टर) के रूप में एक विस्तृत भूमिका देने का प्रयास किया गया है। आज प्रदेश के सभी सेवायोजन कार्यालयों के आगे ''कैरियर काउंसिलिंग सेन्टर'' का बोर्ड लगा दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 तक सेवायोजन कार्यालय बागेश्वर द्वारा जनपद के 21,170 अभ्यर्थियों का रोजगार सहायतार्थ पंजीकरण किया गया जिसमें 12,850 पुरूष अभ्यर्थी तथा 8320 महिला अभ्यर्थी सम्मिलित है। जिला सेवायोजन कार्यालय बागेश्वर के अर्न्तगत संचालित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा अनुसूचित जाति/जन जाति एवं पिछडी जाति के अभ्यर्थियों को टाइपिंग/आशुलिपि (हिन्दी व अंग्रेजी) कम्प्यूटर एवं सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस आदि व्यवसायिक विषयों में प्रशिक्षण प्रदत्त किया जाता है।

समाज कल्याण विभाग

समाज कल्याण विभाग द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के कल्याणार्थ सतत् प्रयत्नशील है जिसके लिये अनेक कल्याणकारी योजनाओं का सम्पादन तत्परता एवं ईमानदारी के साथ किया जा रहा है। वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 तक विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कैम्पों का आयोजन कर पात्र व्यक्तियों के आवेदन पत्र उनके निकटतम स्थान पर भरवायें तथा पात्र व्यक्तियों को उनके निकटतस्थ स्थान पर ही धनराशि का वितरण भी कराया। विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं तथा वर्ष में उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार है।

1. अनुसूचित जातियों का कल्याण :–

उक्त योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से उच्चतर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति, शुल्क क्षति पूर्ति अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी एवं बिमारी इलाज हेतु अनुदान तथा जातिय विद्वेश की भावना से सवर्ण वर्गो द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों का उत्पीडन करने पर अपराध की प्रकृति के आधार पर शासनादेशानुसार रू0 25,000.00 से रू0 2.00 लाख तक सहायता दी जाती है।

अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति :–

वर्ष 2019–20 में विभाग द्वारा अनु0जाति/जन जाति के कुल 18724 छात्रों को कुल रू0 341.65 लाख का भुगतान किया गया।

विकलांग छात्रवृत्ति :–

वर्ष 2019–20 में 8 छात्रों को रू0 0.14 लाख विकलांग छात्रवृत्ति के रूप में वितरित की गई ।

विकलांग पेंशन :–

ग्रामीण क्षेत्र में पेंशन स्वीकृति का अधिकारी ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में पेंशन स्वीकृति का अधिकार जिलाधिकारी पर निहित है। वर्ष 2019–20 के दौरान रू0 298.012 लाख व्यय कर 2550 विकलांगों को लाभान्वित किया गया।

विकलांग कृत्रिम अंग :–

विकलांगो को कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक यंत्र क्रय करने हेतु सरकारी चिकित्सक की संस्तुति के आधार पर अधिकतम रू0 3500.00 तक अनुदान दिया जाता है वर्ष 2019–20 में रू0 0.21 लाख व्यय कर 6 विकलांगों को लाभान्वित किया गया।

विकलांग विवाह :–

इस योजना के अन्तर्गत दम्पति में युवक के विकलांग होने पर रू0 11,000.00 तथा महिला के विकलांग होने पर रू0 14,000.00 दिया जाता है। वर्ष 2019–20 में 1 दम्पतियों को रू0 0.25 लाख की धनराशि वितरित की गई।

विधवा पेंशन :–

ऐसी विधवायें जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष की हो, बी0पी0एल0 क्रमांक अथवा मासिक आय 1000 रूपये से कम हो को रू0 400/प्रतिमाह की दर से विधवा पेंशन प्रदान की जाती है। वर्ष 2019–20 में 6225 विधवाओं को रू0 791.30 लाख की धनराशि वितरित की गई।

वृद्धावस्था पेंशन :–

इस योजना के अन्तर्गत निराश्रित वृद्धा जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक की हो को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं या जिनकी पारिवारिक मासिक आय रू0 1000 से कम हो को रू0 400 प्रतिमाह की दर से वृद्धा पेंशन प्रदान की जाती है। वर्ष 2019–20 में 17,295 वृद्धों को रू0 2219.45 लाख की धनराशि वितरित की गई।

गौरा देवी कन्याधन योजना :–

गरीबी रेखा से नीचे या ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू01331.33 तथा शहरी क्षेत्र में रू0 1767. 16 मासिक से कम हो अधिकतम दो पुत्रियों के इण्टरमीडिएट की परीक्षा पास करने पर रू0 25000.00 की धनराशि की एन0एस0सी0 अथवा स्टेट बैंक के फिक्स डिपोजिट के रूप में प्रदान की जाती है। वर्ष 2018–19 में 467 कन्याओं को रू0 233.50 लाख की एन0एस0सी0 प्रदान कर उक्त योजना से लाभान्वित किया गया। वर्ष 2019–20 में किसी को भी लाभान्वित नहीं किया गया है।

अध्याय–3

पलायन की स्थिति

इस अध्याय में जनपद के विभिन्न ग्राम पंचायतों में कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर एकत्र किये गये आकड़ों का विश्लेषण कर जनपद में पलायन के कई पहलुओं को सामने लाया गया है।

मुख्य व्यवसाय

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि जनपद के ग्रामों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, तत्पश्चात मजदूरी और सरकारी सेवा है। जनपद तथा राज्य में ग्राम पंचायत स्तर से प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई तालिकाएं स्पष्ट करती हैं।

Table: Gram panchayat level main occupation(district average)							
जनपद का नाम	ग्राम पंचायतों का मुख्य व्यवसाय (लगभग प्रतिशत में)						
	मजदूरी	कृषि	उद्यान	डेरी	सरकारी सेवा	अन्य कार्य	**Total**
Bageswar	29.70	42.55	1.52	1.79	14.35	10.09	100.00

Table: Gram panchayat level main occupation(State average)							
State Name	ग्राम पंचायतों का मुख्य व्यवसाय (लगभग प्रतिशत में)						
	मजदूरी	कृषि	उद्यान	डेरी	सरकारी सेवा	अन्य कार्य	**Total**
Uttarakhand	32.22	43.59	2.11	2.64	10.82	8.63	100.00

अस्थायी और स्थायी पलायन

इस खण्ड के अन्तर्गत अस्थायी और स्थायी पलायन की जानकारी का मूलरूप से विश्लेषण किया गया है। पिछले 10 वर्षो में 346 ग्राम पंचायतों से कुल 23,388 व्यक्तियों द्वारा अस्थायी रूप से पलायन किया गया है, हालांकि वे समय–समय पर अपने घरों में आना–जाना करते हैं क्योंकि उनके द्वारा स्थायी रूप से पलायन नहीं किया गया है।

पिछले 10 वर्षों में 195 ग्राम पंचायतों से 5912 व्यक्तियों द्वारा पूर्णरूप से स्थायी पलायन किया गया है, जो कि गम्भीर चिन्ता का विषय है। आंकड़ें दर्शाते हैं कि जनपद के सभी विकास खण्ड़ों में स्थायी पलायन की तुलना में अस्थायी पलायन अधिक हुआ है।

Table: District and Block wise migrants in last 10 years from gram panchayats					
जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या (जिन्होने पूर्ण रूपेण पलायन न किया हो/ घर में आना–जाना लगा रहता हो/अस्थाई रूप से रोजगार के लिए बाहर रहता हो)	पिछले 10 वर्षो में पलायन करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (जिन्होने पूर्ण रूपेण पलायन न किया हो/ घर में आना–जाना लगा रहता हो/अस्थाई रूप से रोजगार के लिए बाहर रहता हो)	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या (जो पूर्ण रूप से पलायन कर चुके हो या अपनी जमीन बेच चुके हो/अथवा भूमि बंजर पड़ी हो/घरों पर ताले लगे हो/तथा बहुत कम गॉव आना होता हो)	पिछले 10 वर्षो में पूर्ण पलायन करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (जो पूर्ण रूप से पलायन कर चुके हो या अपनी जमीन बेच चुके हो/अथवा भूमि बंजर पड़ी हो/घरों पर ताले लगे हो/तथा बहुत कम गॉव आना होता हो)
Bageswar	Bageswar	153	8,421	65	1,628
Bageswar	Garur	86	3,787	46	771
Bageswar	Kapkot	107	11,180	84	3,513
Total		**346**	**23388**	**195**	**5912**

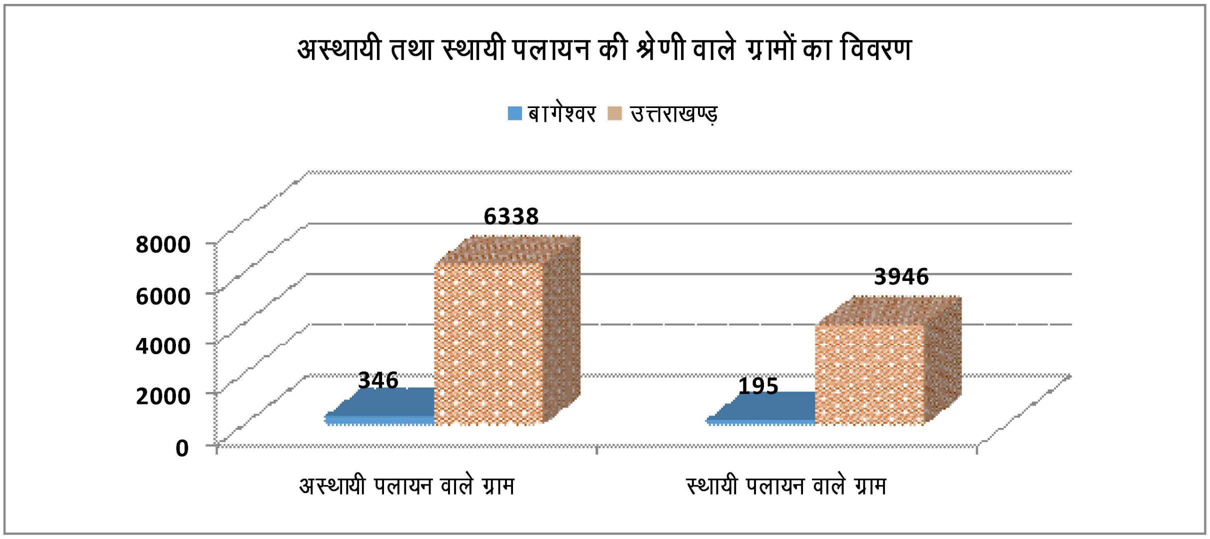

Table: District wise migrants in last 10 years from gram panchayats				
जनपद का नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या (जिन्होने पूर्ण रूपेण पलायन न किया हो/ घर में आना–जाना लगा रहता हो/अस्थाई रूप से रोजगार के लिए बाहर रहता हो)	पिछले 10 वर्षो में पलायन करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (जिन्होने पूर्ण रूपेण पलायन न किया हो/ घर में आना–जाना लगा रहता हो/अस्थाई रूप से रोजगार के लिए बाहर रहता हो:	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या (जो पूर्ण रूप से पलायन कर चुके हो या अपनी जमीन बेच चुके हो/अथवा भूमि बंजर पड़ी हो/घरों पर ताले लगे हो/तथा बहुत कम गॉव आना होता हो)	पिछले 10 वर्षो में पूर्ण पलायन करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (जो पूर्ण रूप से पलायन कर चुके हो या अपनी जमीन बेच चुके हो/अथवा भूमि बंजर पड़ी हो/घरों पर ताले लगे हो/तथा बहुत कम गॉव आना होता हो):
Bageswar	346	23,388	195	5,912
Total Uttarakhand	**6,338**	**383,726**	**3,946**	**118,981**

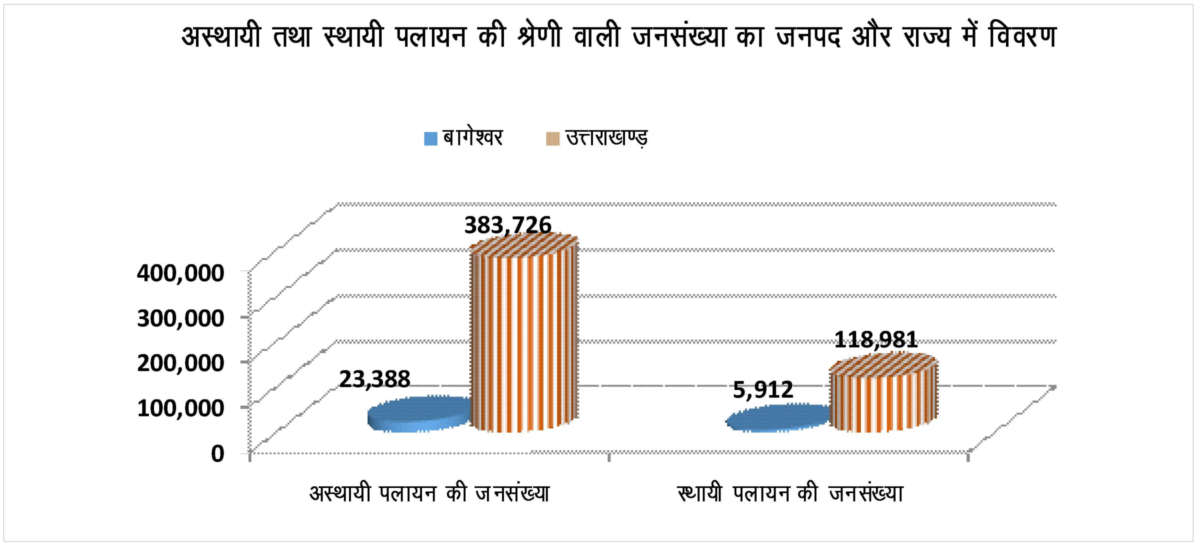

पलायन के मुख्य कारण

पलायन का मुख्य कारण आजीविका/रोजगार की समस्या के साथ–साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं में कमी है। विस्तृत आंकड़ें नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है।

Table: District and Block wise main reasons for migration from gram panchayats										Total
जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत से पलायन के कारण (लगभग प्रतिशत में)								
		आजीविका/रोजगार की समस्या (प्रतिशत)	चिकित्सा सुविधा का आभाव (प्रतिशत)	शिक्षा सुवधिा का आभाव (प्रतिशत)	इन्फ्राटक्चर (सड़क, बिजली, पानी व अन्य का अभाव) (प्रतिशत)	कृषि भूमी में उत्पादकता/पैदावार की कमी (प्रतिशत)	परिवार/सगे संम्बन्धियों की देखा–देखी पलायन करना (प्रतिशत)	जंगली जानवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुंचाने करने के कारण (प्रतिशत)	अन्य कोई विशेष कारण (प्रतिशत)	
Bageswar	Bageswar	35.52	6.47	13.36	1.41	2.51	1.05	3.02	36.65	100.00
Bageswar	Garur	46.38	10.64	12.82	2.46	1.10	1.49	2.78	22.31	100.00
Bageswar	Kapkot	45.64	11.62	17.70	10.36	2.66	2.00	4.60	5.42	100.00

Table: District wise main reasons for migration from gram panchayats									Total
जनपद का नाम	ग्राम पंचायत से पलायन के कारण (लगभग प्रतिशत में)								
	आजीविका/रोजगार की समस्या (प्रतिशत)	चिकित्सा सुविधा का आभाव (प्रतिशत)	शिक्षा सुवधिा का आभाव (प्रतिशत)	इन्फ्राटक्चर (सड़क, बिजली, पानी व अन्य का आभाव) (प्रतिशत)	कृषि भूमी में उत्पादकता/पैदावार की कमी (प्रतिशत)	परिवार/सगे संम्बन्धियों की देखा–देखी पलायन करना (प्रतिशत)	जंगली जानवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुंचाने करने के कारण (प्रतिशत)	अन्य कोई विशेष कारण (प्रतिशत)	
Bageswar	41.39	9.09	14.49	4.32	2.18	1.45	3.42	23.65	100.00

Table: State wise main reasons for migration from gram panchayats									Total
State Name	ग्राम पंचायत से पलायन के कारण (लगभग प्रतिशत में)								
	आजीविका/रोजगार की समस्या (प्रतिशत)	चिकित्सा सुविधा का आभाव (प्रतिशत)	शिक्षा सुवधिा का आभाव (प्रतिशत)	इन्फ्राटक्चर (सड़क, बिजली, पानी व अन्य का आभाव) (प्रतिशत)	कृषि भूमी में उत्पादकता / पैदावार की कमी (प्रतिशत)	परिवार/सगे संम्बन्धियों की देखा–देखी पलायन करना (प्रतिशत)	जंगली जानवरों के द्वारा कृषि को हानि पहुंचाने करने के कारण (प्रतिशत)	अन्य कोई विशेष कारण (प्रतिशत)	
Uttarakhand	50.16	8.83	15.21	3.74	5.44	2.52	5.61	8.48	100.00

आयु वर्गवार पलायन

इस खण्ड में ग्राम पंचायतों से पलायन करने वालों की आयु का विश्लेषण किया गया है। आकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि लगभग 42 प्रतिशत पलायन 26 से 35 वर्ष के आयु वर्ग द्वारा किया गया है। विभिन्न विकासखण्डों और जनपद की विस्तृत जानकारी निम्न तालिका में दी गई है।

Table: District and Block wise age of migrants from gram panchayats

जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत से पलायन करने वालों की आयु (लगभग प्रतिशत में)			Total
		25 साल से कम आयु वर्ग (वर्तमान में)	26 से 35 आयु वर्ग (वर्तमान में)	35 साल से अधिक आयु वर्ग (वर्तमान में)	
Bageswar	Bageswar	26.06	48.35	25.59	100.00
Bageswar	Garur	42.83	38.20	18.97	100.00
Bageswar	Kapkot	33.80	39.53	26.67	100.00

Table District and Age wise Migration Status from gram panchayats

जनपद का नाम	ग्राम पंचायत से पलायन करने वालों की आयु (लगभग प्रतिशत में)			Total
	25 साल से कम आयु वर्ग (वर्तमान में)	26 से 35 आयु वर्ग (वर्तमान में)	35 साल से अधिक आयु वर्ग (वर्तमान में)	
Bageswar	33.92	42.10	23.97	100.00

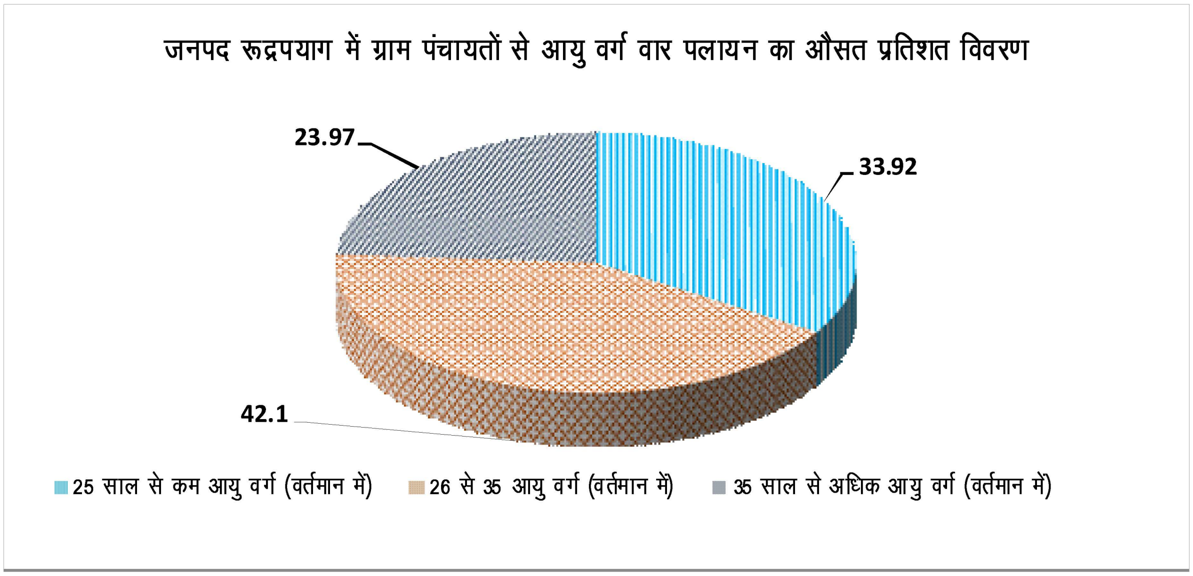

Table State and Age wise Migration Status from gram panchayats					Total
State Code	State Name	ग्राम पंचायत से पलायन करने वालों की आयु (लगभग प्रतिशत में)			
		25 साल से कम आयु वर्ग (वर्तमान में)	26 से 35 आयु वर्ग (वर्तमान में)	35 साल से अधिक आयु वर्ग (वर्तमान में)	
	Uttarakhand	28.66	42.25	29.09	100.00

पलायन के गन्तव्य

ग्राम पंचायतों से हो रहे पलायन के गन्तव्य का विश्लेषण कर सामने आये आकड़ों को इस खण्ड़ में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें स्पष्ट हुआ है कि जनपद के ग्राम पंचायतों से लगभग 37 प्रतिशत पलायन राज्य के अन्य जनपदों में है जबकि 25 प्रतिशत पलायन राज्य के बाहर हुआ है।

Table District and Block wise destination of migrants from Gram Panchayats							Total
जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत से पलायन कहॉ किया गया (लगभग प्रतिशत में)					
		नजदीकी कस्बों में	जनपद मुख्यालय	राज्य के अन्य जनपदों में	राज्य से बाहर	देश से बाहर	
Bageswar	Bageswar	11.26	23.82	45.43	19.49	0.00	100.00
Bageswar	Garur	21.77	16.11	30.64	31.14	0.33	100.00
Bageswar	Kapkot	14.73	25.32	32.96	26.70	0.29	100.00

Table District wise destination of migrants from Gram Panchayats						Total
जनपद का नाम	ग्राम पंचायत से पलायन कहॉ किया गया (लगभग प्रतिशत में)					
	नजदीकी कस्बों में	जनपद मुख्यालय	राज्य के अन्य जनपदों में	राज्य से बाहर	देश से बाहर	
Bageswar	15.45	22.00	37.19	25.18	0.19	100.00

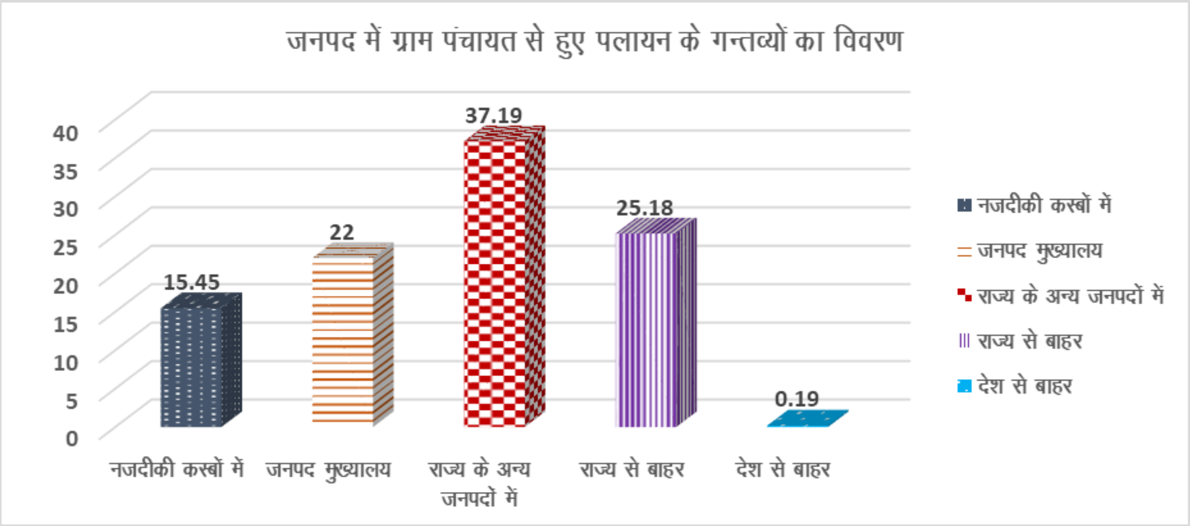

Table: State wise destination of migrants from Gram Panchayats						Total
State Name	ग्राम पंचायत से पलायन कहाँ किया गया (लगभग प्रतिशत में)					
	नजदीकी कस्बों में	जनपद मुख्यालय	राज्य के अन्य जनपदों में	राज्य से बाहर	देश से बाहर	
Uttarakhand	19.46	15.18	35.69	28.72	0.96	100

वर्ष 2011 के बाद निर्जन ग्रामों की संख्या

इस खण्ड में 2011 के बाद निर्जन हुए राजस्व ग्रामों/तोकों/मजरों का विकासखण्डवार सारांश प्रस्तुत किया गया है तथा जिनमें सड़क सुविधा का अभाव, बिजली का अभाव, पेयजल का अभाव और पी. एच.सी उपलब्धता 1 किमी के अन्दर नहीं है, वाले ग्रामों का विवरण निम्न तालिकाओं के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

Table District and Block wise Number of uninhabited revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (De-populated After 2011)		
जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल राजस्व ग्राम /तोक (वर्तमान में)
Bageswar	Bageswar	23
Bageswar	Garur	35
Bageswar	Kapkot	19
	Total	**77**

Table District wise Number of uninhabited revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (De-populated After 2011)	
जनपद का नाम	कुल राजस्व ग्राम /तोक (वर्तमान में)
Bageswar	77
Total (state)	**734**

Table District and Block wise Number of uninhabited revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (Not Connected by Road)		
जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल राजस्व ग्राम /तोक (वर्तमान में)
Bageswar	Bageswar	18
Bageswar	Garur	6
Bageswar	Kapkot	15
	Total	**39**

Table District wise Number of uninhabited revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (Not Connected by Road)	
जनपद का नाम	कुल राजस्व ग्राम /तोक (वर्तमान में)
Bageswar	39
Total (state)	**482**

Table District and Block wise Number of uninhabited revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (Drinking water not within 1Km)		
जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल राजस्व ग्राम /तोक (वर्तमान में)
Bageswar	Bageswar	16
Bageswar	Garur	29
Bageswar	Kapkot	4
	Total	**49**

Table District wise Number of revenue uninhabited villages/toks at Gram Panchayat Level (Drinking water not within 1Km)	
जनपद का नाम	कुल राजस्व ग्राम /तोक (वर्तमान में)
Bageswar	49
Total (State)	**399**

Table District and Block wise Number of uninhabited revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (PHC not available)		
जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल राजस्व ग्राम /तोक (वर्तमान में)
Bageswar	Bageswar	20
Bageswar	Garur	29
Bageswar	Kapkot	13
	Total	**62**

Table District wise Number of uninhabited revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (PHC not available)	
जनपद का नाम	कुल राजस्व ग्राम /तोक (वर्तमान में)
Bageswar	62
Total (state)	**660**

ऐसे ग्राम जहां अन्य दूसरे ग्रामों/कस्बों/तोकों से पिछले 10 वर्षो में लोग पलायन कर निवास कर रहे हैं–

यह भाग उन ग्रामों का जिले एवं विकासखण्डवार संख्या का विवरण प्रस्तुत करता है, जहां दूसरे ग्राम/कस्बों/तोकों के लोग पलायन कर बस गए हैं।

Table District and Block wise Number of villages where people have in-migrated and settled in last 10 years from other villages/ towns or small towns		
जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल ऐसे गॉव जहॉ पिछले 10 वर्षो में अन्य गॉव/शहर/कस्बों से पलायन कर उस गॉव में आकर बसे हो:
Bageswar	Bageswar	10
Bageswar	Garur	12
Bageswar	Kapkot	2
	Total	**24**

Table District wise Number of villages where people have in-migrated and settled in last 10 years from other villages/ towns or small towns	
जनपद का नाम	कुल ऐसे गॉव जहॉ पिछले 10 वर्षो में अन्य गॉव/शहर/कस्बों से पलायन कर उस गॉव में आकर बसे हो:
Bageswar	24
Total (State)	**850**

ऐसे गांव जहां 2011 की जनगणना के बाद 50% तक पलायन हुआ है–

यह खण्ड उन राजस्व ग्रामों/तोकों की संख्या को जनपद और विकासखण्ड वार सांराश का विवरण प्रस्तुत करता है जिनमें मोटर मार्ग का अभाव, विद्युत का अभाव, एक किमी तक पानी का अभाव, पी0एच0सी0 की अनुपलब्धता, वाले ग्राम शामिल हैं, जिनकी जनसंख्या 2011 के बाद 50 प्रतिशत कम हुई है।

Table District and Block wise Number of revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (Population reduced by 50% After 2011)		
जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल राजस्व ग्राम /तोक (वर्तमान में)
Bageswar	Bageswar	5
Bageswar	Garur	19
Bageswar	Kapkot	13
	Total	**37**

Table District wise Number of revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (Population reduced by 50% After 2011)	
जनपद का नाम	कुल राजस्व ग्राम /तोक (वर्तमान में)
Bageswar	37
Total (state)	**565**

Table District and Block wise Number of revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (Population reduced by 50% After 2011) (Not Connected by Road)		
जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल राजस्व ग्राम /तोक (वर्तमान में)
Bageswar	Bageswar	4
Bageswar	Garur	4
Bageswar	Kapkot	11
	Total	**19**

Table District wise Number of revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (Population reduced by 50% After 2011) (Not Connected by Road)	
जनपद का नाम	कुल राजस्व ग्राम /तोक (वर्तमान में)
Bageswar	19
Total (State)	**367**

Table District and Block wise Number of revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (Population reduced by 50% After 2011) (Drinking water not within 1Km)		
जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल राजस्व ग्राम /तोक (वर्तमान में)
Bageswar	Bageswar	2
Bageswar	Garur	10
Bageswar	Kapkot	3
	Total	**15**

Table District wise Number of revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (Drinking water not within 1Km)	
जनपद का नाम	कुल राजस्व ग्राम /तोक (वर्तमान में)
Bageswar	15
Total (State)	**203**

Table District and Block wise Number of revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (Population reduced by 50% After 2011) (PHC not available)		
जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	कुल राजस्व ग्राम /तोक (वर्तमान में)
Bageswar	Bageswar	5
Bageswar	Garur	19
Bageswar	Kapkot	11
	Total	**35**

Table 4.8.5.2: District wise Number of revenue villages/toks at Gram Panchayat Level (Population reduced by 50% After 2011) (PHC not available)	
जनपद का नाम	कुल राजस्व ग्राम /तोक (वर्तमान में)
Bageswar	35
Total (State)	**510**

अध्याय–4

ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु जनपद में विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों का विश्लेषण

जनपद के ग्रामीण सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं का विश्लेषण इस अध्याय में प्रस्तुत किया जा रहा है जो निम्नवत है :–

पशुपालन विभाग

पशुपालन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में शासन से प्राप्त लक्ष्यों को कई कार्यक्रमों के लिए पूर्ण किया जाना प्रदर्शित होता है। जनपद बागेश्वर में विभाग द्वारा जिला मद के अन्तर्गत संचालित पशुचिकित्सा सम्बन्धी सेवाओं में कार्य किया जा रहा है, जिसके आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं–

जिला योजना सहायतित योजनाओं का विवरण													
पशुचिकित्सा सम्बन्धी सेवाए							(धनराशि लाख में) (लक्ष्य / पूर्ति संख्या में)						
वर्ष	शासन से अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	चिकित्सा		बधियाकरण		शिविर		सामूहिक दवापान		टीकाकरण		सचल वाहन द्वारा पशुचिकित्सा	
			लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
2016–17	67.37	67.37	117000	140761	7000	7381	120	189	9000	15810	160000	33998	3210	4495
2017–18	76.30	76.30	117000	146467	7000	7561	120	177	9500	16439	160000	303285	4450	4451
2018–19	74.61	74.61	129000	146515	7000	7696	120	209	11000	17205	218000	307935	3204	2895
2019–20	98.08	98.08	109000	152389	7000	7746	120	227	11000	17628	313000	268657	3204	4656
योग	**316.36**	**316.36**	**472000**	**586132**	**28000**	**30384**	**480**	**802**	**40500**	**67082**	**851000**	**913875**	**14068**	**16497**

विभाग द्वारा जिला योजना के तहत कृत्रिम गर्भाधान मद में वर्ष 2016–17 में 41% लक्ष्य प्राप्ति की गयी जो वर्ष 2019–20 में 78% तक पहुँचा है। चारा बीज वितरण कार्यक्रम के लक्ष्यों में विभाग की भूमिका वर्ष 2016–17 में ही प्रगति 63% रही है, जबकि अन्य वर्षों में शत–प्रतिशत प्रगति देखी जा सकती है। बकरा–सांड, प्रदर्शनी और अनु0जा0 कुक्कुट पालन जैसे मदों में भी प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत रही है। आंकड़े निम्न तालिका में प्रदर्शित किये गये हैं–

जिला योजना सहायतित योजनाओं का विवरण													
पशुचिकित्सा सम्बन्धी सेवाए						(धनराशि लाख में) (लक्ष्य / पूर्ति संख्या में)							
वर्ष	शासन से अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	कृत्रिम गर्भाधान		दारिन्दा पद्धति पर बकरा सांड वितरण		ग्राम्य प्रसार कार्यक्रम के प्रदर्शनी		अनु0जा0 के लिए कुक्कुट पालन योजना		चारा बीज वितरण (कुन्तल में)	
			लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
2016–17	27.02	27.02	13000	5385	95	95	2	2	1720	1720	158.0	99.87
2017–18	21.43	21.43	13556	8111	25	25	2	2	1220	1220	24.69	24.69
2018–19	36.39	36.39	13600	8475	25	25	4	4	520	520	55.62	55.62
2019–20	38.60	38.60	11150	8738	25	25	4	4	1520	1520	5.20	5.20
योग	**123.44**	**123.44**	**51306**	**30709**	**170**	**170**	**12**	**12**	**4980**	**4980**	**243.5**	**185.4**

CVO BAG

विभाग द्वारा राज्य पोषित योजनाओं के अन्तर्गत संचालित गौपालन, बकरीपालन एवं भेड़पालन योजना और अहिल्याबाई होल्कर भेड़ बकरी इकाईयों की स्थापना योजना के लिए शासन द्वारा आवंटित धनराशि और लक्ष्यों की पिछले सभी वर्षों में शत–प्रतिशत पूर्ति प्राप्ति की गयी है। जिसके आंकड़ें तालिका में प्रदर्शित हैं–

राज्य पोषित सहायतित योजनाओं का विवरण (धनराशि लाख में) (लक्ष्य / पूर्ति संख्या में)															
वर्ष	शासन से अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	गोपालन, बकरी पालन एवं भेड़ पालन योजना								अहिल्याबाई होल्डर भेड़ बकरी इकाईयों की स्थापना				पशु चिकित्सा
			गोपालन		भेड़पालन		बकरीपालन		महिला बकरी पालन		भेड़पालन		बकरीपालन		
			लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	पूर्ति
2016–17	82.8437	82.7437	93	93	8	8	19	19	24	24	5	5	6	6	15008
2017–18	80.8542	78.1642	67	67	19	19	18	18	0	0	6	6	6	6	8054
2018–19	87.0402	86.4002	93	93	10	10	38	38	0	0	0	0	0	0	17219
2019–20	121.845	153.885	55	55	12	12	49	49	15	15	0	0	0	0	13033
योग	**372.5832**	**401.1932**	**308**	**308**	**49**	**49**	**124**	**124**	**39**	**39**	**11**	**11**	**12**	**12**	**53314**

CVO BAG

जनपद बागेश्वर में पशुपालन विभाग द्वारा एस्केड (पशुरोग पर नियन्त्रण हेतु राज्यों को सहायता 75 प्रतिशत केन्द्र पोषित), उत्तराखण्ड राज्य में आर0पी0पी0पी0आर0 उन्मूलन तथा सर्वलेन्स कार्य (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) और पशुरोग नियन्त्रण कार्यक्रम पी0पी0आर0सी0पी0 योजनाओं में शत–प्रतिशत प्रगति दर्ज की गयी, जबकि खुरपका, मुँहपका रोग नियन्त्रण तथा नेशनल लाईव स्टॉक मिशन योजनाओं में प्रगति शून्य रही है, जिसके आंकड़ें निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं–

केन्द्र पोषित योजनाओं का विवरण (धनराशि लाख में) (लक्ष्य / पूर्ति संख्या में)												
वर्ष	शासन से अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	एस्केड (पशुरोग पर नियन्त्रण हेतु राज्यों को सहायता 75 प्रतिशत केन्द्र पोषित				नेशनल लाईव स्टॉक मिशन		उत्तराखण्ड राज्य में आर0पी0पी0आर0 उन्मुलन तथा सर्वलेन्स कार्य (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित)		खुरपका, मुहपका रोग नियन्त्रण		पशुरोग नियन्त्रण कार्यक्रम पी0पी0आर0 सी0पी0
			कैम्प		प्रचार प्रसार हेतु प्रपत्र छपाई		कुक्कुट इकाई		प्रचार प्रसार हेतु प्रपत्र छपाई				
			लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	पूर्ति
2016–17	12.970	12.970	7	7	500	500	1	0	700	700	0	0	5000
2017–18	19.706	19.706	7	7	477	477	1	0	400	400	0	0	3750
2018–19	30.169	30.166	7	7	400	400	1	0	1000	1000	0	0	58400
2019–20	103.095	88.397	7	7	500	500	2	0	0	0	0	0	64030
योग	165.940	151.239	**28**	**28**	**1877**	**1877**	**5**	**0**	**2100**	**2100**	**0**	**0**	**131180**

CVO BAG

उपरोक्त तालिकाओं के आंकड़ों को देखे तो ज्ञात होता है कि जनपद में विभाग द्वारा शासन से आवंटित धनराशि और लक्ष्यों को अधिकांश योजनाओं हेतु शत–प्रतिशत पूर्ण किया जा रहा है। यदि ऐसा है तो फिर ग्रामीण अंचलों में पशुपालन व्यवसाय के प्रति लोगों की रूचि में कमी क्यों आ रही है क्योंकि वर्ष 2007 के आंकडों और वर्ष 2012 के आंकड़ों में तुलना करें तो ये बात सत्य प्रतीत होती है जबकि दूसरा पक्ष देखें तो जनपद में पहाड़ी दूध, दही, घी, पनीर, खोया, मट्ठा और मांस की मांग बहुत अधिक है, स्थानीयस्तर पर बहुत न्यून मात्रा में मांग पूर्ति तो की जाती है, परन्तु व्यवसायिक स्तर पर नहीं किया जाता जिसका लाभ बाहरी राज्य एवं जनपदों के व्यवसायी उठा रहे हैं। वर्तमान समय में जनपद में कोई मुर्गीफॉर्म, बकरीफॉर्म और दुग्धफॉर्म प्रचलित नहीं हैं, जबकि उक्त व्यवसाय में अधिक रोजगार की सम्भावनायें हैं।

जनपद में पशुचिकित्सा सेवा के आधारभूत सुविधाओं और पशुधन हेतु वर्ष 2007 और वर्ष 2012 के आंकड़ों में तुलना से भी जाना जा सकता है। जिसका विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

पशु चिकित्सा सेवा के आधारभूत आंकड़ों का विवरण				
मद		वर्ष 2007	वर्ष 2012	दोनों वर्षों के मध्य बदलाव प्रतिशत
पशु चिकित्सा सेवा	पशु चिकित्सालय	10	11	9%
	संचल पशु चिकित्सालय	1	1	0%
	पशु सेवा केन्द्र	32	33	3%
	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र / उपकेन्द्र	21	22	5%
योग पशु चिकित्सा सेवा		**64**	**67**	4%
पशुधन	गाय (देशी)	55535	30583	-82%
	गाय (दोगली)	1431	3284	56%
	बैल (देशी)	57510	43405	-32%
	बैल (दोगली)	202	381	47%

	बछिया एवं बहड़ा	0	23754	0%
	भैंस/भैंसा	44723	35378	-26%
	यॉक	0	0	0%
	भेड़	20040	17635	-14%
	बकरियाँ	85769	107050	20%
	घोडे/खच्चर	2231	2149	-4%
	गधे	0	0	0%
	सुअर	56	69	19%
	कुत्ते खरगोश	12043	9363	-29%
योग पशुधन		**279540**	**273051**	**-45%**

DSTO BAG

जनपद में तहसीलवार पशुधन के आंकड़ें देखे तो तहसील गरूड़ व काण्ड़ा में पशुपालन की स्थिति अच्छी नहीं है। आंकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि तहसील काण्ड़ा में भेड पालन और सुअर पालन का कोई प्रचलन ही नहीं है, इसी तहसील में गाय संवर्ग के पालन के लिए 11%, भैंसपालन के लिए 12%, बकरीपालन के लिए 10%, घोड़ा खच्चर पालन के लिए 11% तथा मुर्गीपालन के लिए 8% की दर से पशुधन उपलब्धता के आंकड़ें प्रलक्षित होते हैं।

तहसील बागेश्वर में भेड़पालन के अतिरिक्त अन्य सभी पशुधन का पालन औसतन किया जाता है जबकि तहसील कपकोट में गाय संवर्ग के लिए 41%, भैंसपालन 24%, भेड़पालन 99%, बकरीपालन 45%, घोड़ा खच्चर पालन 22% तथा मुर्गीपालन 11% की दर से पशुपालन किया जाता है। जनपद में पशुधन के आंकड़ें निम्नवत तालिका एवं ग्राफ में प्रदर्शित किये गये हैं।

वर्ष 2019–20 के लिए जनपद बागेश्वर में पशुधन का तहसीलवार विवरण (वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार)

तहसील	गाय	भैंस	भेड़	बकरी	घोड़ा और खच्चर	सुअर	मुर्गीपालन
बागेश्वर	24330	13738	44	33066	971	59	14673
काण्डा	11613	4246	0	11194	247	0	2009
गरूड़	23617	8925	99	14282	448	10	6287
कपकोट	41847	8469	17492	48508	483	0	2957
योग	**101407**	**35378**	**17635**	**107050**	**2149**	**69**	**25926**

CVO BAG

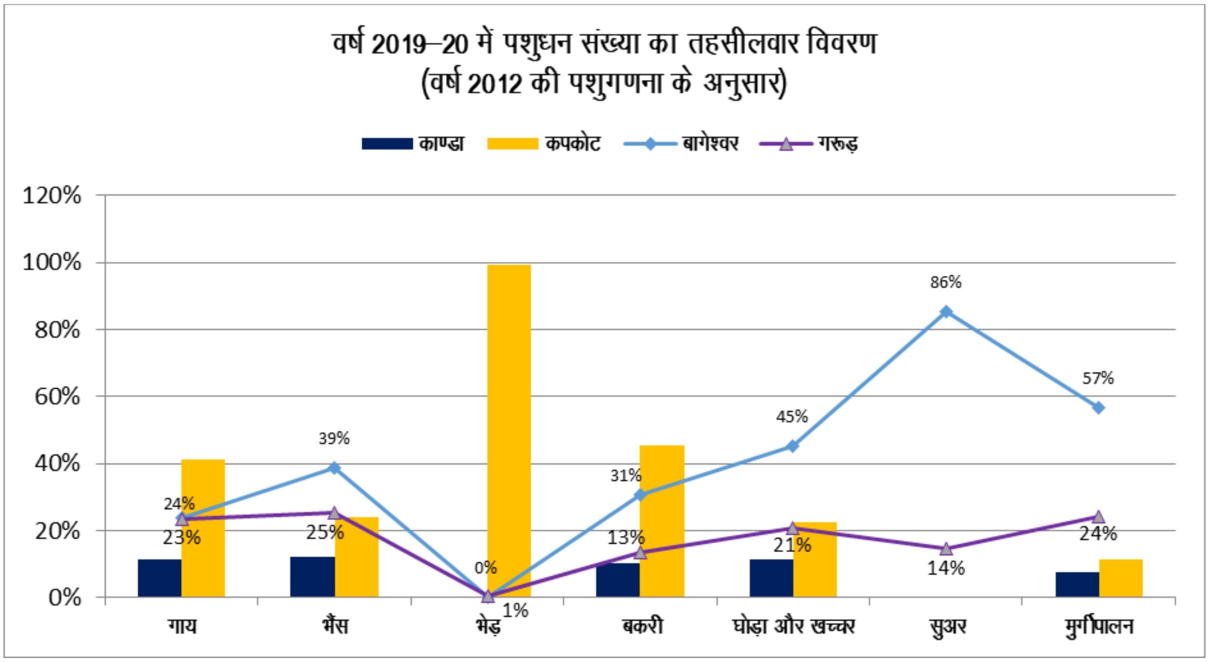

पर्यटन विभाग

वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 तक जिला योजना के अन्तर्गत पर्यटन विभाग की अनुमोदित योजनाओं का विवरण									
स्वीकृति वर्ष	विकासखण्ड का नाम	निर्माण इकाई	योजनाओं की संख्या	अनुमोदित धनराशि	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति	
								पूर्ण	अपूर्ण
2016–17	बागेश्वर	जि0प0 बागेश्वर	6	18	18	18	0	6	0
		लघु सिंचाई बागेश्वर	0	0	0	0	0	0	0
	कपकोट	जि0प0 बागेश्वर	7	24.43	24.43	24.43	0	7	0
		लघु सिंचाई बागेश्वर	0	0	0	0	0	0	0
	गरूड़	जि0प0 बागेश्वर	1	3	3	3	0	1	0
		लघु सिंचाई बागेश्वर	0	0	0	0	0	0	0
2017–18	बागेश्वर	जि0प0 बागेश्वर	6	7	7	7	0	6	0
		लघु सिंचाई बागेश्वर	0	0	0	0	0	0	0
	कपकोट	जि0प0 बागेश्वर	23	28.27	28.27	28.27	0	23	0
		लघु सिंचाई बागेश्वर	0	0	0	0	0	0	0
	गरूड़	जि0प0 बागेश्वर	3	4	4	4	0	3	0
		लघु सिंचाई बागेश्वर	0	0	0	0	0	0	0
2019–20	बागेश्वर	जि0प0 बागेश्वर	0	0	0	0	0	0	0
		लघु सिंचाई बागेश्वर	13	26	26	26	0	13	0
	कपकोट	जि0प0 बागेश्वर	0	0	0	0	0	0	0
		लघु सिंचाई बागेश्वर	9	15.02	15.02	15.02	0	9	0
	गरूड़	जि0प0 बागेश्वर	0	0	0	0	0	0	0
		लघु सिंचाई बागेश्वर	2	5.5	5.5	5.5	0	2	0
योग			**70**	**131.22**	**131.22**	**131.22**	**0**	**70**	**0**

पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2019–20 में कुल 70 योजनाओं का निर्माण करवाया गया जिन पर विभाग द्वारा कुल रूपये 131.22 लाख का व्यय किया गया जिसमें साहसिक पर्यटन, इको पर्यटन तथा नये गन्तव्यों को विकसित करने का प्रयास किया गया है। जनपद में साहसिक पर्यटन, इको पर्यटन तथा नये गन्तव्यों को विकसित करते हुए पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने की अपार सम्भावनायें हैं जिसके लिए पर्यटन विभाग को सघन सर्वेक्षण कर पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करवा सकता है।

पर्यटन विभाग की निर्मित की गई 70 योजनाओं का विकासखण्ड़वार विवरण देखे तो स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड कपकोट में अधिक योजनाओं का निर्माण किया गया है जबकि विकासखण्ड गरूड़ में सबसे से कम योजनाओं का निर्माण किया गया है जिसका विवरण तालिका एवं ग्राफ में दर्शाये गये हैं।

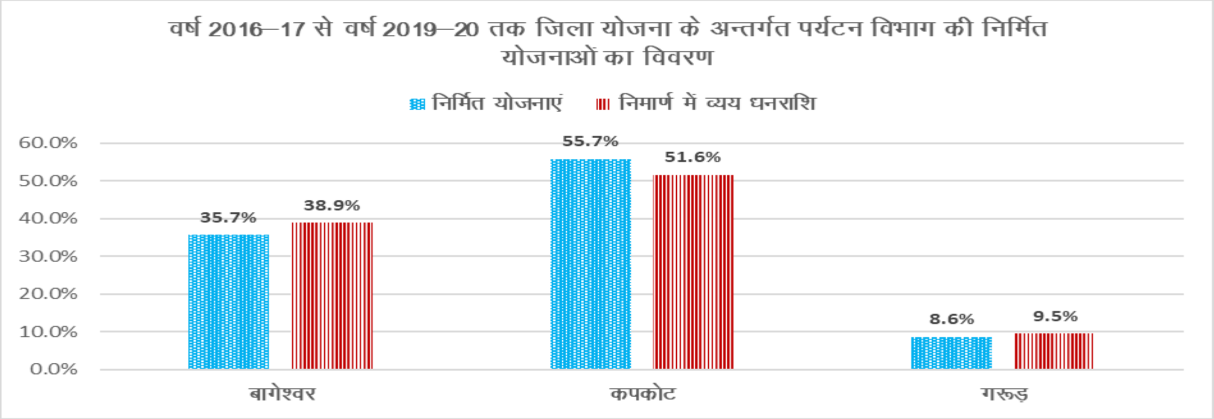

जनपद में पर्यटन विभाग द्वारा होमस्टे और होटल व्यवसाय जैसे मदों में कोई विशेष प्रगति प्रलक्षित नहीं होती है, जबकि दोनों मदों में रोजगार की अधिकाधिक सम्भावनायें हैं। विभाग को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। विगत वर्षों का विकासखण्डवार आंकड़ें निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं।

जनपद बागेश्वर में होमस्टे/होटल व्यवसाय का वर्षवार विवरण							
वर्ष	विकासखण्ड़	होम स्टे की संख्या			होटलों की संख्या		
		इकाई	पूँजी व्यय	रोजगार	इकाई	पूँजी व्यय	रोजगार
2017–18	बागेश्वर	0	0	0	2	80	2
	कपकोट	0	0	0	0	0	0
	गरूड़	0	0	0	0	0	0
2018–19	बागेश्वर	0	0	0	4	115	4
	कपकोट	0	0	0	0	0	0
	गरूड़	0	0	0	0	0	0
2019–20	बागेश्वर	0	0	0	0	0	0

	कपकोट	0	0	0	0	0	0
	गरूड़	1	10	1	2	48	2
योग		1	10	1	8	243	8

DTDO BAG

जनपद में होमस्टे तथा होटल व्यवसाय का विकासखण्डवार एवं वर्षवार तुलनात्मक विवरण ग्राफ में दर्शाया गया है, जिसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जनपद के विकासखण्ड कपकोट में होमस्टे एवं होटल व्यवसाय में कोई भी इकाई स्थापित नहीं है। अन्य विकासखण्ड गरूड़ में भी उक्त व्यवसाय में भी कोई विशेष प्रगति नहीं देखी जा रही है।

जनपद में होमस्टे और होटलों की स्थापना का तथा दिये गये रोजगार का विकासखण्डवार व तुलनात्मक विवरण ग्राफ में दर्शाया गया है जिसके आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जनपद के विकासखण्ड कपकोट में उक्त व्यवसायों के अन्तर्गत इकाई की स्थापना व रोजगार के आंकड़ें शून्य है जबकि विकासखण्ड गरूड़ द्वारा मात्र 20% की उक्त व्यवसायों में हिस्सेदारी की जा रही है, जो पर्यटन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सुदृढ़ सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उचित नहीं है। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की सम्भावनायें अधिक हैं।

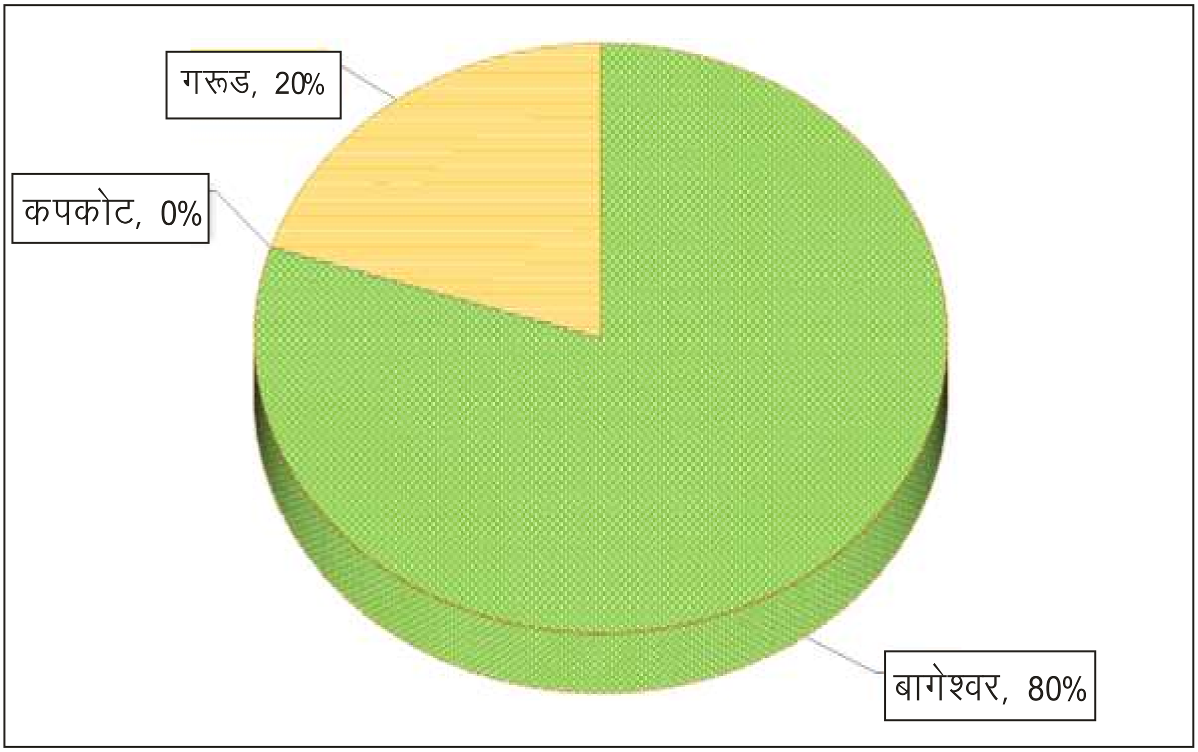

उद्योग विभाग

जनपद बागेश्वर में उद्योग विभाग के द्वारा विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में उद्यमों की स्थापना के लिए कार्य किया जा रहा है जिसमें विभाग द्वारा मात्र सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को ही महत्व दिया गया है, किन्तु मध्यम उद्यमों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, जो निम्न तालिकाओं से स्पष्ट होता हैं।

वर्ष 2018–19 में स्थापित उद्यमों का विवरण									
मद	मैमोरेण्डम फाईल संख्या (क्रमिक)			पूंजी विनियोजन (करोड़ में)			रोजगार		
	विनिर्माण	सेवा	कुल	विनिर्माण	सेवा	कुल	विनिर्माण	सेवा	कुल
सूक्ष्म	61	76	137	2.2775	4.53	6.8075	194	227	421
लघु	1	0	1	2.15	0	2.15	20	0	20
मध्यम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग–	**62**	**76**	**138**	**4.4275**	**4.53**	**8.9575**	**214**	**227**	**441**

DIC BAG

वर्ष 2019–20 में स्थापित उद्यमों का विवरण									
मद	मैमोरेण्डम फाईल संख्या (क्रमिक)			पूंजी विनियोजन (करोड़ में)			रोजगार		
	विनिर्माण	सेवा	कुल	विनिर्माण	सेवा	कुल	विनिर्माण	सेवा	कुल
सूक्ष्म	51	102	153	2.27	7.16	9.43	155	278	433
लघु	0	1	1	0	1.1	1.1	0	6	6
मध्यम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग–	**51**	**103**	**154**	**2.27**	**8.26**	**10.53**	**155**	**284**	**439**

DIC BAG

उपरोक्त तालिकाओं के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि जनपद में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों के अन्तर्गत सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करने के लिए लाभार्थियों की रूचि, लघु एवं मध्यम उद्यमों से अधिक है। जनपद में 98% विनिर्माण तथा 99% सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत सूक्ष्म उद्यम स्थापित किये गये हैं, जबकि मात्र 2% विनिर्माण ओर सेवा क्षेत्र में 1% के लिए लघु उद्यमों की स्थापना की गयी है, जो नगण्य है।

उद्योग विभाग द्वारा जनपद में सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से 92% विनिर्माण तथा 95% सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, मात्र 8% विनिर्माण और 5% सेवा क्षेत्र के लघु उद्यमों के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है, जो कि जनपद के विकास के लिए बहुत कम है।

जनपद में उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता रहा है जिसके आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जनपद में प्रशिक्षण के लिए आयोजित किये जा रहे दो दिवसीय एवं तीन साप्ताहिक प्रशिक्षणों में प्रतिभागियों की रूचि दो दिवसीय में ज्यादा प्रतीत होती है। वर्तमान परिवेश में प्रतिभागी कम समय में ज्यादा अर्जन करने की सोच रखते है। विभाग द्वारा प्रतिभागियों की रूचि को ध्यान में रखते हुए उद्योग स्थापना हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया जाना अपेक्षित होगा। विगत वर्षों में किये गये प्रशिक्षण का वर्षवार विवरण निम्नवत तालिकाओं में प्रदर्शित किये गये हैं।

वर्ष 2018–19 में आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण			
क्र0सं0	कार्यक्रम स्थान	कार्यक्रम का स्वरूप एवं तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
02 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रषिक्षण कार्यक्रम विवरण			
1	कठायतबाड़ा	10 से 11 फरवरी 2019	25
2	ठाकुरद्वारा	8 से 9 फरवरी 2019	30
3	नई बस्ती	6 से 7 मार्च 2019	28
4	बौड़ी	6 से 7 फरवरी 2019	45
5	लमचूला	26 से 27 दिसम्बर 2018	28
6	नैणी	30 से 31 दिसम्बर 2018	28
7	अणा	29 से 30 जनवरी 2019	30
8	जालेख	16 से 17 अक्टूबर 2018	27
9	चौड़ा	25 से 26 अक्टूबर 2018	27
10	कर्मी	29 से 30 अक्टूबर 2018	17
11	हामटी कापड़ी	13 से 14 दिसम्बर 2018	17
12	फरसाली	21 से 22 दिसम्बर 2018	34
03 साप्ताहिक उद्यमिता विकास प्रषिक्षण कार्यक्रम विवरण			
1	कठायतबाड़ा	01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2018	25
2	जीतनगर	02 फरवरी से 26 फरवरी 2019	27
3	अमोली	6 अगस्त 2018से 27 अगस्त 2018	30
4	भगरतोला	30 जनवरी से 20 फरवरी 2019	28
5	मझेड़ा	23 फरवरी से 15 मार्च 2019	25
6	नामती चेताबगड़	1 जनवरी से 31 जनवरी 2019	25

DIC BAG

वर्ष 2019–20 में आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण			
क्र0सं0	कार्यक्रम स्थान	कार्यक्रम का स्वरूप एवं तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
02 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रषिक्षण कार्यक्रम विवरण			
1	भूल्यूड़ा	1 व 2 अगस्तर 2019	35
2	भतरौला	2 व 3 सितम्बर 2019	28
3	रा0 स्नातकोत्तर महा0 बागेश्वर	5 व 6 अगस्त 2019	30

4	काण्डा पड़ाव	19 व 20 अगस्त 2019	29
5	सैंज मजियाखेत	23 व 24 अगस्त 2019	30
6	काफलीगैर	11 व 12 सितम्बर 2019	30
7	रा0पॉलिटेक्निक काण्डा	27 व 28 दिसम्बर 2019	50
8	थाला	23 व 24 दिसम्बर 2019	40
9	बिन्सर	25 व 26 दिसम्बर 2019	40
10	हिचौड़ी	21 व 22 अगस्त 2019	27
11	उत्तरोड़ा	9 से 10 जनवरी 2020	30
12	लखनी	21– 22 जनवरी 2020	53
13	हरिनगरी	23 से 24 जनवरी 2020	54
14	बमराडी	25 से 26 जनवरी 2020	30
15	फरसाली	27 से 28 जनवरी 2020	35
16	बमसेरा	29 से 30 जनवरी 2020	28
03 साप्ताहिक उद्यमिता विकास प्रषिक्षण कार्यक्रम विवरण			
1	जन शि0सं0 सभागार	9 अगस्त से 5 सितम्बर 2019	30
2	नुमाईशखेत बागेश्वर	26 अगस्त से 18 सितम्बर 2019	28
3	सिमरन ब्यूटी पार्लर गरूड़	30 अगस्त से 19 सितम्बर 2019	25
4	सूपी	25 जनवरी से 15 फरवरी 2020	35

DIC BAG

जनपद में उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत विभाग द्वारा वर्ष 2017–18 में 85%, वर्ष 2018–19 में 68%, वर्ष 2019–20 में 83%, प्रतिभागियों को दो दिवसीय प्रशिक्षण तथा इन्हीं वर्षों में क्रमशः 15%, 32% और 17% प्रतिभागियों को तीन साप्ताहिक प्रशिक्षण दिया गया। उल्लिखित आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जनपद में शॉर्ट टर्म प्रशिक्षण में ग्रामीणों की अधिक रूचि है, का विवरण ग्राफ में दिखाया गया है।

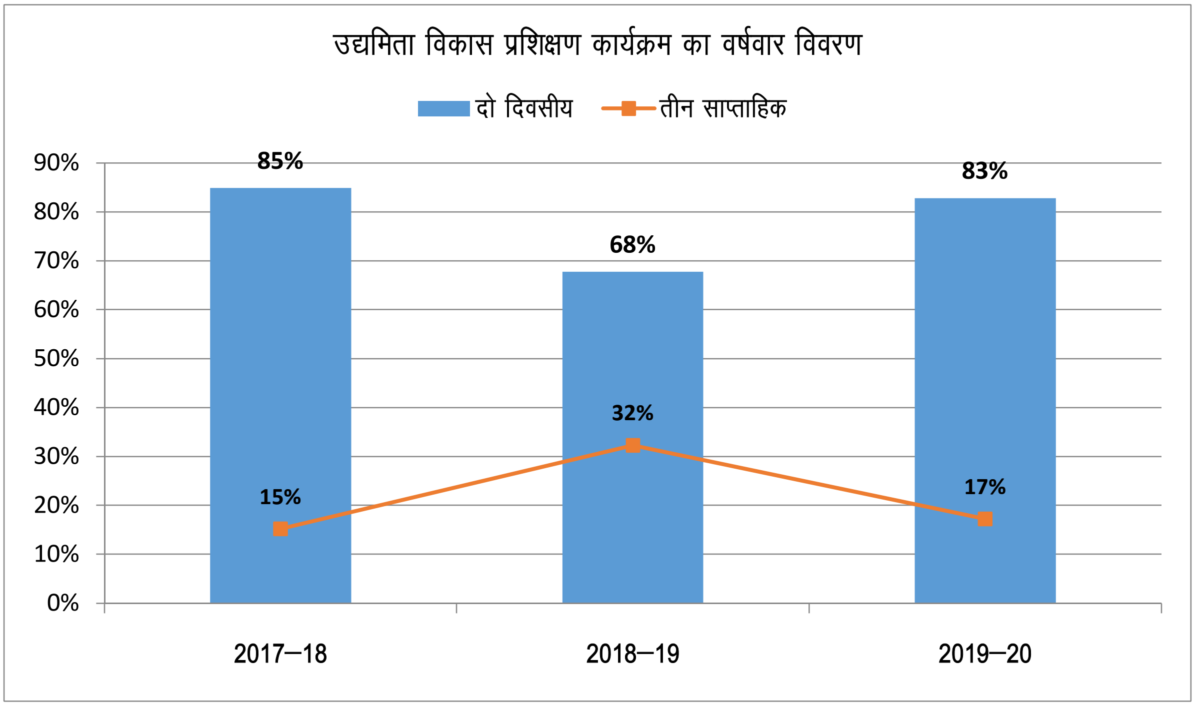

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्कृष्ठ कार्य करने वाले उद्यमियों को विभाग द्वारा प्रति वर्ष पुरस्कार स्वरूप 30 हजार रूपये की धनराशि भी वितरण की जा रही है जिसके आंकड़ें उपरोक्त तालिकाओं में दर्शाये गये हैं। पुरस्कार प्रणाली को जिले स्तर के साथ–साथ मण्डल व राज्य स्तर पर भी किया जाना चाहिए, जिससे उद्यमियों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को स्थापित करने की प्रेरणा मिलेगी।

जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का विवरण (लाख रूपये में ऋण राशि)						
विकासखण्ड	वर्ष 2018–19			वर्ष 2019–20		
	लाभार्थियों की संख्या	ऋण	रोजगार	लाभाथियों की संख्या	ऋण	रोजगार
कपकोट	16	58.00	18	11	33.50	12
बागेश्वर	43	178.50	42	52	229.48	55
योग	**59**	**236.50**	**60**	**63**	**262.98**	**67**

DIC BAG

बागेश्वर जनपद में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत वर्ष 2018–19 से माह सितम्बर 2020 तक के आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि विकासखण्ड गरूड़ में उक्त योजना से अभी तक कोई भी लाभार्थी लाभान्वित नहीं किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास को सुदृढ़ करवाने में उचित नहीं है।

जनपद के विकासखण्ड बागेश्वर द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए वर्ष 2018–19 एवं वर्ष 2019–20 में क्रमशः 73% व 83% लाभार्थियों को लाभान्वित करने के साथ–साथ रोजगार में क्रमशः 70% व 82% की लक्ष्य पूर्ति की गयी

है, जबकि विकासखण्ड कपकोट द्वारा उक्त वर्षों में लाभार्थी पक्ष के लिए क्रमशः 27% व 17% तथा रोजगार पक्ष क्रमशः 30% व 18% का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में योगदान दिया गया है जिसका विवरण तालिका एवं ग्राफ में दर्शाया गया हैं।

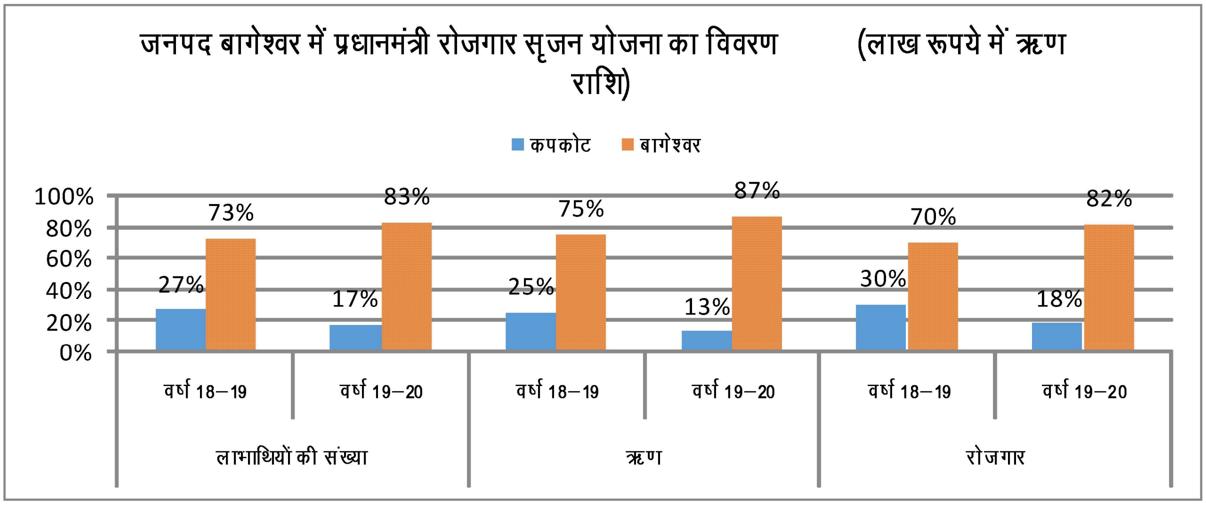

जनपद में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को स्थापित करने एवं रोजगार उपलब्ध होने की अपार सम्भावनायें हैं। जिसके लिए विभाग को ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है। जनपद में पैतृक उद्यमों के साथ–साथ वर्तमान समयानुसार सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को भी महत्व दिया जाना चाहिए।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की मासिक प्रगति सूचना वर्ष 2016 से 2019 तक (धनराशि लाख में)

क्र0सं0	लक्ष्य			बैंकों को प्रेषित		बैंको द्वारा स्वीकृत		बैंको द्वारा वितरित		बैंको द्वारा निरस्त		बैंको में लम्बित		रोजगार
	ई0सं0	धनराशि	रोजगार	ई0सं0	धनराशि	ई0सं0	धनराशि	ई0सं0	धनराशि	ई0सं0	धनराशि	ई0सं0	धनराशि	
2016–17	25	49.00	197	0	0	0	0	35	34.08	0	0	0	0	100
2017–18	55	109.50	440	0	0	0	0	81	105.44	0	0	0	0	361
2018–19	25	75.00	200	0	0	0	0	50	75.95	0	0	0	0	217
2019–20	29	86.03	230	0	0	0	0	65	98.22	0	0	0	0	281
योग	134	319.53	1067	0	0	0	0	231	313.69	0	0	0	0	959

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जनपद बागेश्वर में पिछले चार सालों के अन्तर्गत स्थापित की गई इकाईयों एवं उन पर व्यय की गई धनराशि तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार का विवरण उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होते हैं। जनपद बागेश्वर के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा विगत सालों में कुल 134 लक्ष्य के सापेक्ष 231 इकाईयाँ स्थापित किये गये, जिनके लिए बैंकों के माध्यम से रूपये 319.53 लाख अनुदान की तुलना में 313.69 लाख रूपये के अनुदान का वितरण किया गया, जिसके चलते 959 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करावाया गया है।

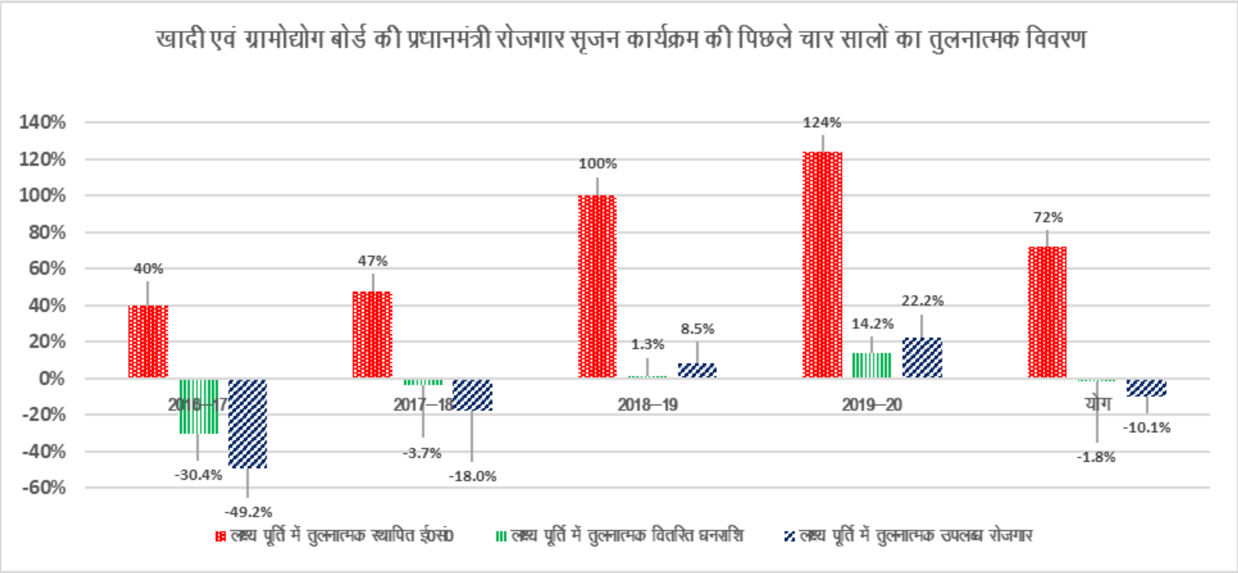

ग्राफ से स्पष्ट होता है कि जनपद में विगत वर्षों में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कुल 72% इकाईयाँ स्थापित कराये गये, जबकि रोजगार एवं अनुदान वितरण ऋणात्मक रहा है। विभाग द्वारा जहाँ एक ओर इकाई स्थापित कराये जाने में हर वर्ष बढ़ोत्तरी दर्ज करवायी गयी है, वहीं दूसरी तरफ वर्ष 2016–17 में रोजगार उपलब्ध व अनुदान की धनराशि को वितरण कराने में क्रमशः 49.2% तथा 30.4% की गिरावट देखी गयी है, जबकि वर्ष 2019–20 में 22.2% एवं 14.2% की वृद्धि देखी जा सकती है जो स्थापित इकाईयों की तुलना में बहुत कम है। जनपद बागेश्वर में विभाग द्वारा सार्वजनिक इकाईयों की तुलना में व्यक्तिगत इकाईयों की अधिक स्थापना की गयी है।

जिला सेवायोजन

जनपद बागेश्वर में वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 के मध्य कुल 21,170 बेरोजगार युवक युवतियों द्वारा रोजगार हेतु पंजीयन करवाया गया है। विगत चार वर्षों में युवतियों द्वारा 39% तथा युवकों द्वारा 61% पंजीयन करवाया गया है, जबकि वर्ष 2019–20 में युवतियों द्वारा 8.40% तथा युवकों द्वारा 11.40% पंजीयन किया गया है, जो विगत वर्षों की अपेक्षा कम है जिसका वर्षवार विवरण तालिका में दर्शाया गया है जिसके आंकड़ें तालिका एवं ग्राफ में प्रदर्शित हैं।

जिला सेवायोजन विभाग में पंजीकृत बेरोजगारों को वर्षवार विवरण						
वर्ष	महिला	पुरूष	वार्षिक योग	औसत वृद्धि दर	महिलाओं की औसत वृद्धि दर	पुरूषों की औसत वृद्वि दर
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2016-17	2640	3494	6134	29.0%	12.5%	16.5%
2017-18	1812	3616	5428	25.6%	8.6%	17.1%
2018-19	2095	3326	5421	25.6%	9.9%	15.7%
2019-20	1773	2414	4187	19.8%	8.4%	11.4%
योग	**8320**	**12850**	**21170**	**100%**	**39%**	**61%**

DEO BAG

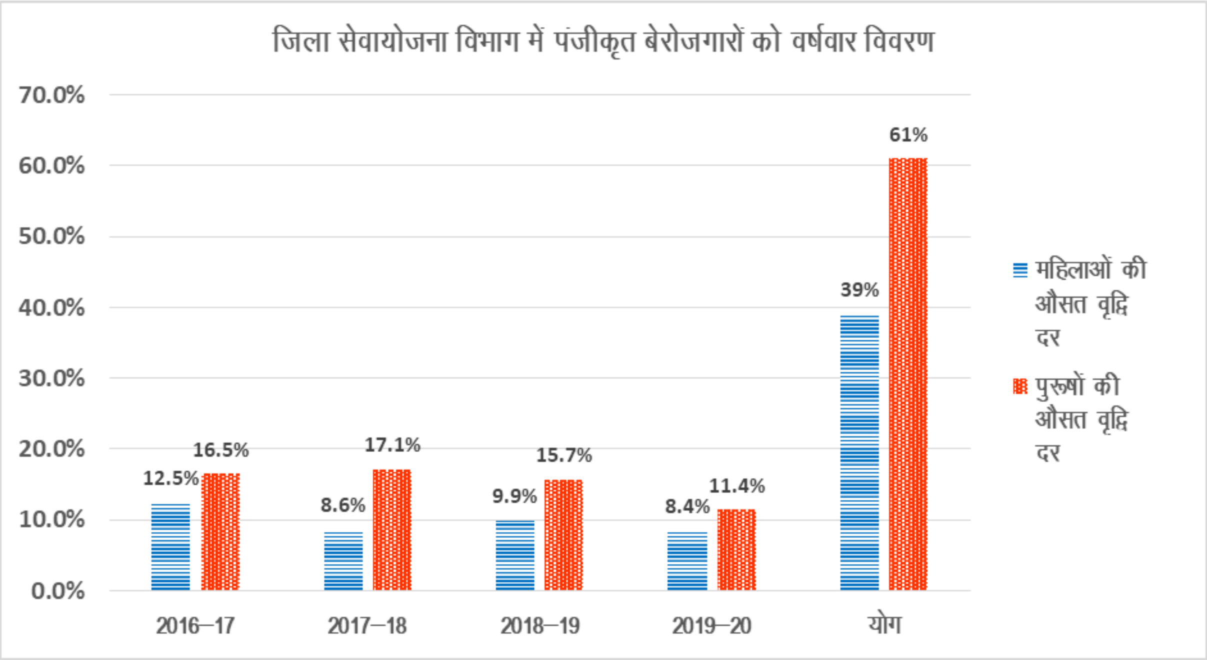

रेशम विभाग

सैक्टर	योजना का नाम	इकाई	मद का नाम	वर्ष 2018–19			वर्ष 2019–20		
				निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति	वित्तीय प्रगति	निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति	वित्तीय प्रगति
जिला सैक्टर	रेशम उत्पादन एवं प्रचार प्रसार योजना	संख्या	कीटपालन	170	167	12.65	170	100	14.64
		किग्रा0	कोया उत्पादन	5000	4081.7	–	5000	51.68	....
राज्य सैक्टर	वृक्षारोपण योजना	संख्या	शहतूत उत्पादन	26000	22650	0.5	18000	28000	0.5
	जैविक रेशम विकास योजना	किग्रा0	जैविक खाद उत्पादन	1000	1000	0.8	1000	700	0.83

SERI CULTURE BAG

जनपद में रेशम विभाग द्वारा जिला सेक्टर और राज्य सेक्टर के तहत रेशम कीटपालन, कोया उत्पादन, शहतूत वृक्षारोपण तथा जैविक खाद उत्पादन के कार्य करवाये जाते हैं जिनमें विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों में लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति क्रमशः 83%, 73%, 156% तथा 66% रही है जिसका वर्षवार विवरण तालिका तथा ग्राफ में दर्शाये गये हैं। रेशम के क्षेत्र में रोजगार की अत्यधिक सम्भावनायें हैं जिसके लिए विभाग द्वारा उत्पादन उपरान्त विपणन एवं मूल्य सूचकांक पर रणनीति तैयार करने की अति आवश्यकता है।

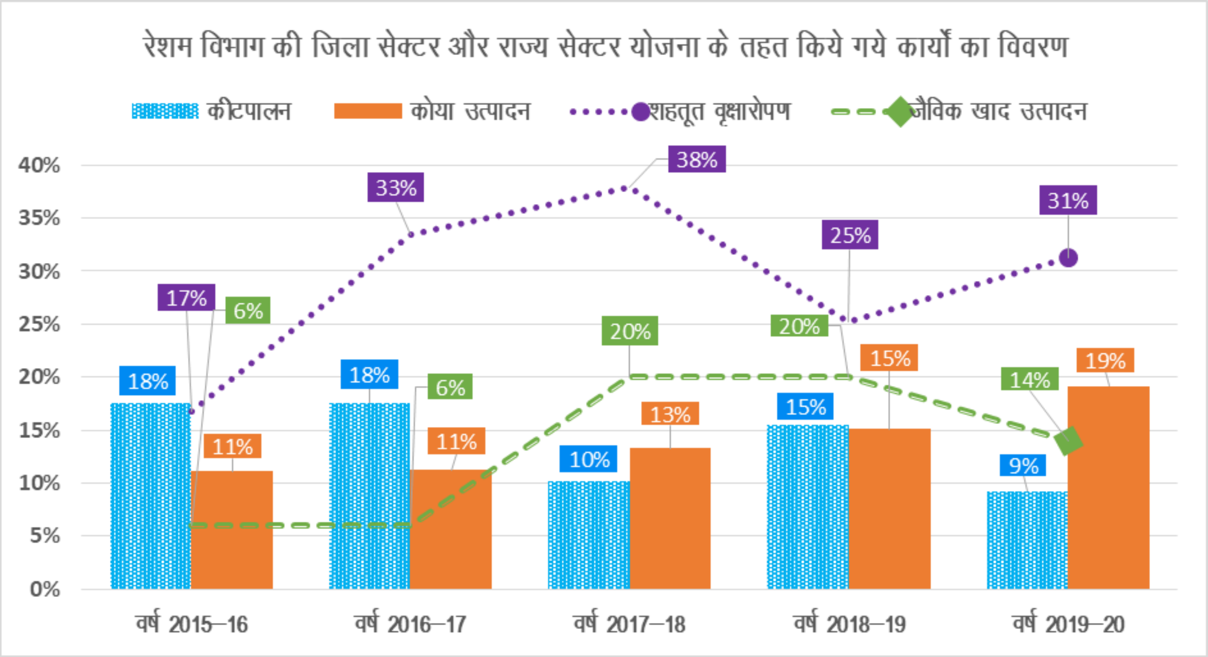

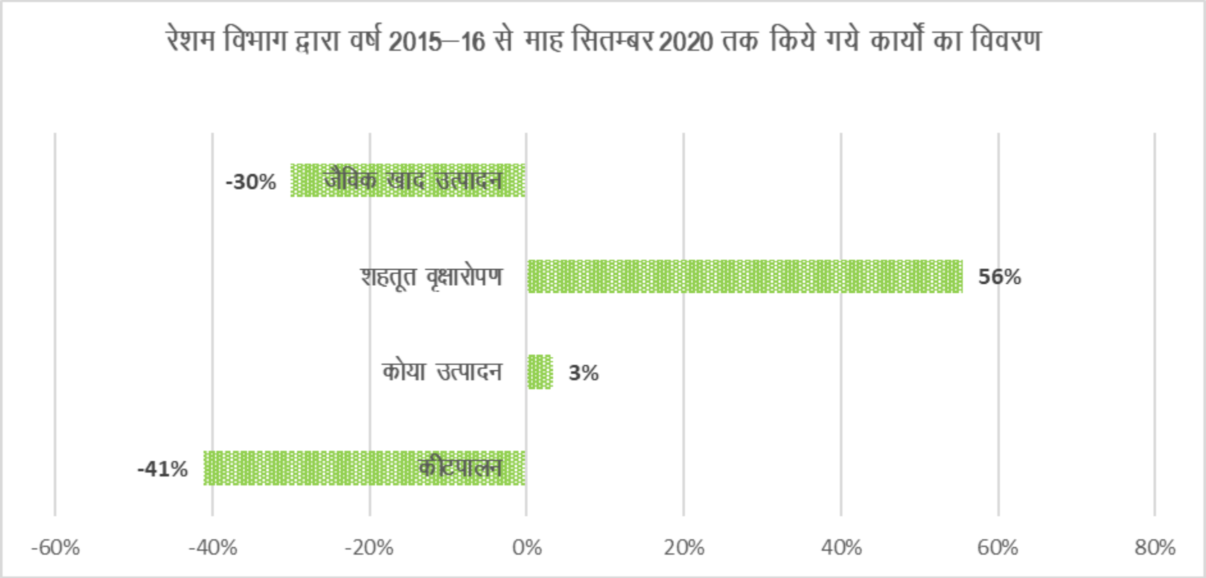

जनपद में रेशम विभाग के आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जनपद में शहतूत वृक्षारोपण में 56% का कार्य वर्ष 2015–16 से किया गया, किन्तु इससे सम्बन्धित कोया उत्पादन, कीटपालन तथा जैविक खाद उत्पादन के आंकड़ें विपरीत हैं, जो कि रेशम क्षेत्र के प्रतिकूल है जिसके आंकड़ें ग्राफ में दिखाये गये हैं।

डेयरी विकास विभाग

उत्तराखण्ड में देश के अन्य राज्यों की तरह ही दूध की मांग में बढ़ोत्तरी देखी जा सकती है, जिस उद्देश्य से राज्य के हर जनपद में डेयरी विकास विभाग की स्थापना की गयी, जिसके अन्तर्गत राज्य के हर जनपद में दुग्ध समितियों का गठन करवाया जा रहा है।

जनपद बागेश्वर में वर्ष 2020–21 हेतु माह सितम्बर 2020 तक डेयरी विकास विभाग द्वारा गठित कुल 132 दुग्ध समितियों के सापेक्ष 52% सक्रीय समिति ही कार्यरत हैं जबकि निष्क्रिय समिति का आंकड़ा 48% हो जाता है।

जनपद बागेश्वर में वर्ष 2020–21 माह सितम्बर 2020 तक के लिए दुग्ध समिति का विकासखण्डवार विवरण				
क्र0सं0	विकासखण्ड	कुल दुग्ध समिति	सक्रीय दुग्ध समिति	निष्क्रीय दुग्ध समिति
1	बागेश्वर	50	24	26
2	कपकोट	9	9	0
3	गरूड़	73	35	38
योग		132	68	64

जनपद में डेयरी विकास के लिए विगत पांच वर्षों के अन्तर्गत आंवटित धनराशि के आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जिला सैक्टर में 65.53 लाख, राज्य सैक्टर मद में क्रमशः गंगा गाय महिला डेयरी परियोजना के लिए 18.77 लाख, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन में 12.18 लाख तथा महिला डेयरी के लिए 59.88 लाख रूपये प्राप्त हुए।

जनपद बागेश्वर में वर्षवार डेयरी विकास वित्तीय विवरण						
क्र0सं0	वर्ष	मद				
		जिला सैक्टर योजना	राज्य सैक्टर योजना (लाख में)			
			गंगा गाय महिला डेयरी परियोजना	दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना	डेयरी विकास योजना सचिव मानदेय	महिला डेयरी योजना
1	2016–17	1630000.00	714500.00	0	0	0
2	2017–18	3073000.00	715000.00	471293.00	151433.00	2937000.00
3	2018–19	200000.00	447500.00	746384.00	251486.00	2124000.00

DAIRY BAG

जनपद में गंगा गाय महिला डेयरी परियोजना के वित्तीय आंकड़ों को देखे तो ज्ञात होता है कि वर्ष 2017–18 की तुलना में वर्ष 2018–19 में 14.25% की गिरावट दर्ज हुई है जिसके आंकड़ें ग्राफ में दर्शाये गये हैं।

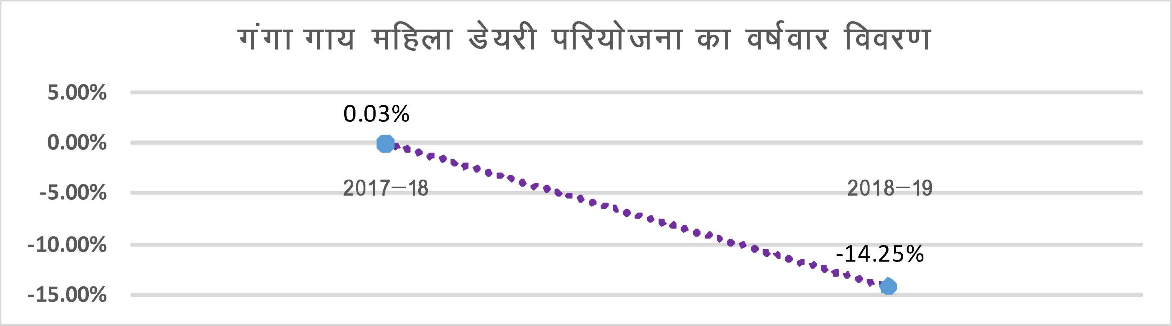

जनपद में महिला डेयरी योजना के वित्तीय आंकड़ों को देखे तो ज्ञात होता है कि वर्ष 2017–18 की तुलना में वर्ष 2018–19 में 16.06% की गिरावट दर्ज हुई है जिसके आंकड़ें ग्राफ में दर्शाये गये हैं।

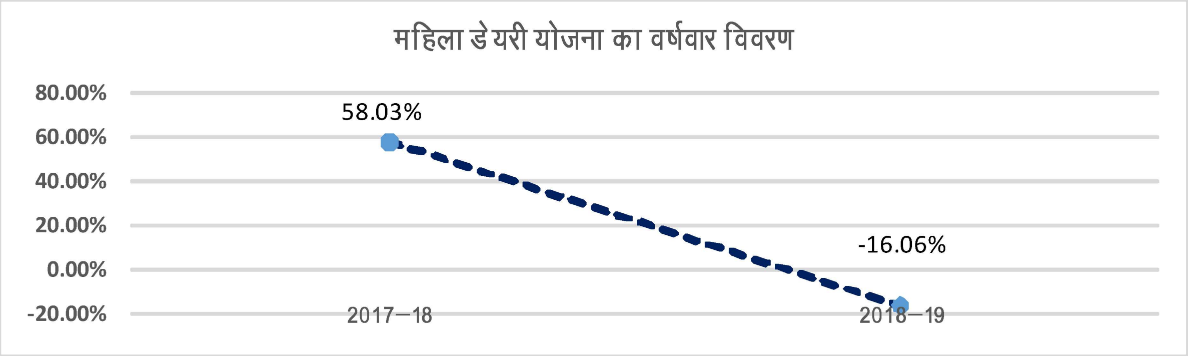

जनपद बागेश्वर में विकास खण्डवार डेयरी विकास का वर्षवार भौतिक विवरण									
क्र0सं0	वर्ष	मद							
		समिति गठन	कार्यरत समितियां	सदस्यता	पोरर सदस्य	उपार्जन प्रतिदिन ली0 में	दुग्ध विक्रय प्रतिदिन ली0 में	पशुआहार विक्रय कु0 में	गंगा गाय अन्तर्गत पशु क्रय
1	2016–17	120	65	3534	432	632	632	440	25
2	2017–18	132	81	3875	529	759	759	460	25
3	2018–19	132	77	3875	470	874	874	700	16
4	2019–20	132	79	3875	570	828	828	560	15

DAIRY BAG

जनपद में वर्ष 2016–17 से माह सितम्बर 2020 तक डेयरी विकास के वर्षवार आंकड़ें तालिका में दर्शाये गये है, जिसमें कार्यरत समितियों के आंकड़ें देखे तो ज्ञात होता है कि जनपद में वर्ष 2017–18 से माह सितम्बर 2020 तक निष्क्रिय समितियों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो दुग्ध विकास के लिए उचित नहीं है जिनके आंकड़ें निम्न ग्राफ में दर्शाये गये हैं।

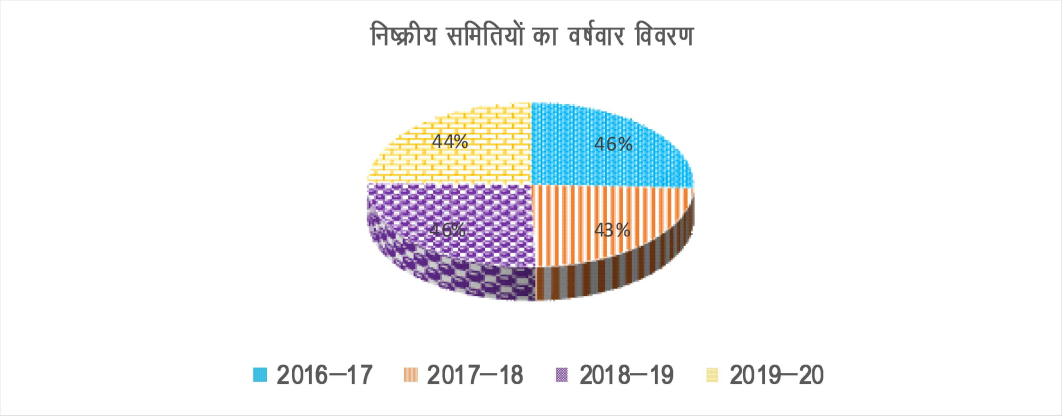

उद्यान विभाग

उद्यान विभाग द्वारा जिला योजनान्तर्गत संचालित योजना प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्योनिक विकास के लिए उद्यानीकरण, फलपौध वितरण तथा फलपट्टी विकास 50% राज्य सहायता मद में वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 के मध्य किसी भी प्रकार की गतिविधि परिलक्षित नहीं होती जिसका विवरण तालिका तथा ग्राफ में उल्लिखित आंकड़ों से स्पष्ट होता है।

योजना/मद का नाम	मद	इकाई	2016–17		2017–18		2018–19		2019–20	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
जिला योजना (धनराशि लाख में)										
0201 – प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्योनिक विकास	उद्यानीकरण	है0	0	0	0	0	0	0	0	0
	फलपौध वितरण	सं0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 – फलपट्टी विकास 50 प्रति0रा0स0	लाभार्थी	सं0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 – आलू विकास 20000 प्रति है0	आलू विकास	है0	1.65	8	2.00	10	1.74	8.7	2.00	10.00

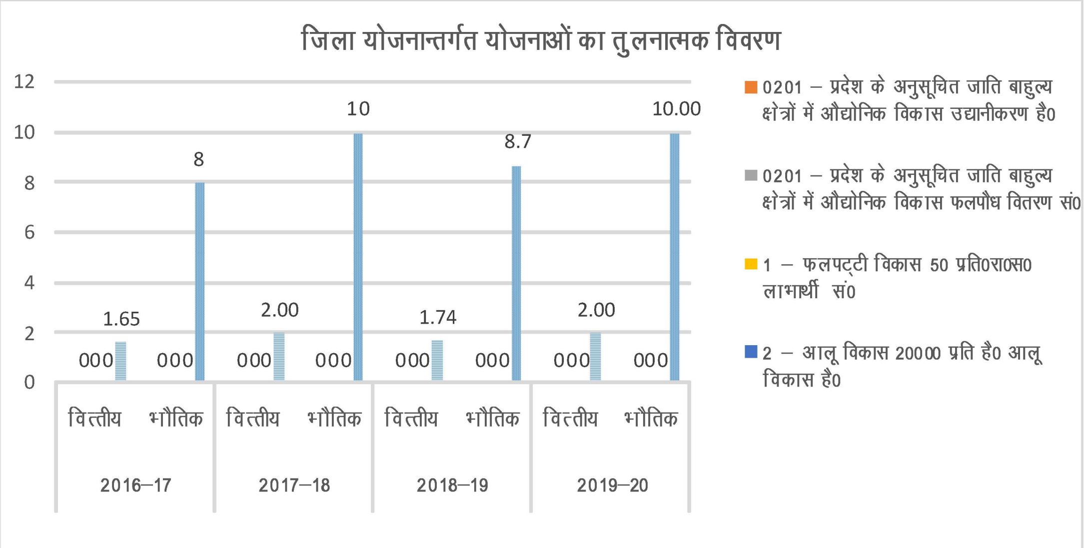

जिला योजनान्तर्गत उन्नत किस्म रोपण सामाग्री उत्पादन हेतु वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 के मध्य वित्तीय रूप से क्रमशः रूपये 5.44 लाख से 8.45 लाख की धनराशि का व्यय करते हुए क्रमशः लगभग 137.86 हेक्टेयर से 1051.40 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि पर कार्य करवाया गया, के आंकड़ें प्राप्त होते हैं अर्थात जनपद के कुल भूमि का मात्र 0.05% से 0.37% क्षेत्रफल भूमि को उन्नत किस्म रोपण सामाग्री उत्पादन हेतु उपयोग किया गया जो कि बहुत ही न्यून है।

उन्नत किस्म रोपण सामाग्री उत्पादन के अन्तर्गत कई मदों के लिए विगत वर्षों के आंकड़ें तालिका में प्रदर्शित किये गये हैं।

योजना/मद का नाम	मद	इकाई	2016–17		2017–18		2018–19		2019–20	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
0292– उन्नत किस्म के रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु राजसहायता (धनराशि लाख में)										
1 चयनित क्षेत्रों में विभिन्न फलों एवं फल पट्टियों का विकास 50 प्रति0रा0स0	आच्छादित क्षेत्रफल	है0	0	0	0	0	0	0	0	0
	लाभार्थी	सं0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0
2 औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देन हेतु विभिन्न निवेशों पर राज सहायता		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(क) फल पौध, सब्जी बीज परिवहन पर राज सहायता	फलपौध वितरण, सब्जी बीज वितरण, सब्जी पौध वितरण	रू0 लाख में	3.93	समस्त औद्यानिक निवेश	1.045	समस्त औद्यानिक निवेश	3.69	समस्त औद्यानिक निवेश	2.3	समस्त औद्यानिक निवेश
(ख) औद्यानिक फसलों पर कीट व्याधि की रोकथाम 60 प्रति0रा0स0	पौध सुरक्षा कार्य	है0	0.46400	65.86	1.78	174.29	2.24	539.5	3.25	340.4
(ग) औद्यानिक औजार संयन्त्रों के वितरण पर राज सहायता 50 प्रति0रा0स0	औद्यानिक संयन्त्र वितरण पाली सीट	सं0	0	0	0.72500	500	1.67	450	1.55	470
(घ) उन्नतशील सिंचाई व्यवस्था पर राज सहायता 75 प्रति0रा0स0	पालीलाईनिंग टेंक	सं0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ड) चयनित विकास खण्डों में महिला प्रशिक्षण	महिलाओं को प्रशिक्षण	सं0	0	0	0	0	0	0	0	0
(च) औद्यानिक फसलों पर 50 प्रति0रा0स0 पर व्यवर्तनीकरण	सब्जी बीज सामान्य/अदरक बीज वितरण	कु0 में है0	0	0	0	0	0	0	0	0
(छ) आलू एवं सब्जियों की फसल पर 75 प्रतिशत अनुदान पर कुरमुला नियन्त्रण	कुरमुला कीट नियंत्रण	है0	1.05165	72.00	1.78	64.42	2.00	141.80	1.35	241.00
योग			**5.44565**	**137.86**	**5.33**	**738.71**	**9.6**	**1131.3**	**8.45**	**1051.4**

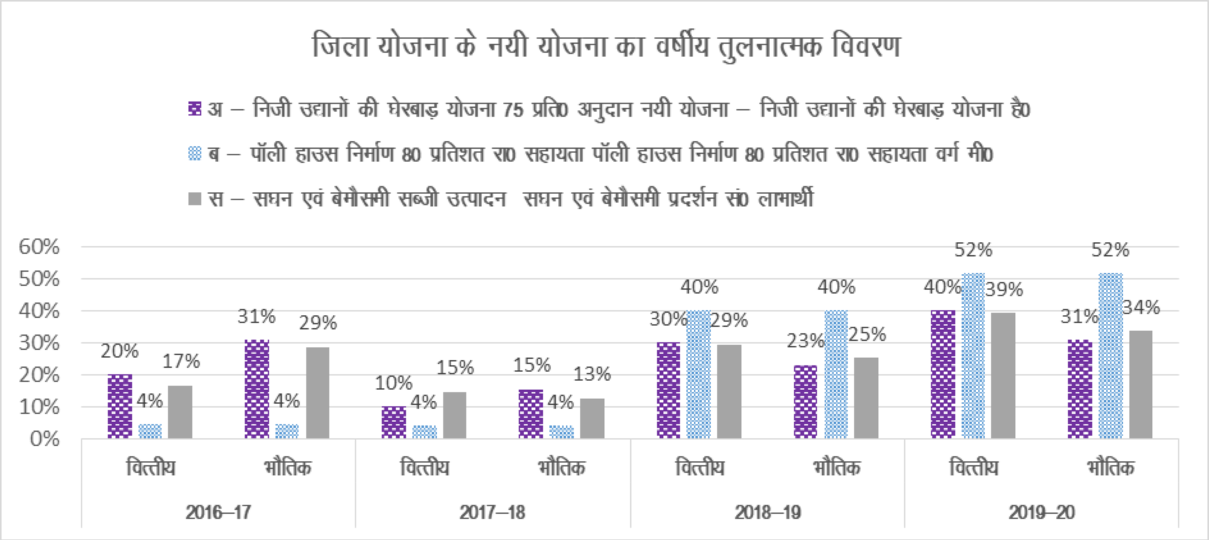

उपरोक्त ग्राफ एवं तालिका के आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जनपद में पॉली हाउस निर्माण के प्रति लोगों की रूचि बढ़ी है, जो विगत वर्षों के तुलना वर्ष 2019–20 में 52% तक पहुँचा है। सघन एवं बेमौसमी सब्जी उत्पादन हेतु लाभार्थियों की संख्या में वर्ष 2016–17 की अपेक्षा वर्ष 2019–20 के लिए दोगुनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। निजी उद्यानों की घेरबाड़ में भी 11% की वृद्धि देखी जा सकती है अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में नयी वैज्ञानिक तकनीकी को बढ़ावा दिया गया है, जो ग्रामीणों को अधिक लाभ प्रदान कर रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों की रूचि वर्तमान समय में इस ओर बढ़ी है।

योजना/मद का नाम	मद	इकाई	2016–17		2017–18		2018–19		2019–20	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
नयी योजना										
अ – निजी उद्यानों की घेरबाड़ योजना 75 प्रति0 अनुदान	नयी योजना – निजी उद्यानों की घेरबाड़ योजना	है0	2.00	4.00	1.00	2.00	3.00	3.00	4.00	4.00
ब – पॉली हाउस निर्माण 80 प्रतिशत रा0 सहायता	पॉली हाउस निर्माण 80 प्रतिशत रा0 सहायता	वर्ग मी0	4.87	500.00	4.39	450.00	43.88	4500.00	56.56	5800.00
स – सघन एवं बेमौसमी सब्जी उत्पादन	सघन एवं बेमौसमी प्रदर्शन	सं0 लाभार्थी	0.85	568.00	0.75	250.00	1.50	500.00	2.00	667.00
योग			7.72	1072.00	6.14	702.00	48.38	5003.00	62.56	6471.00

योजना/मद का नाम	मद	इकाई	2016–17		2017–18		2018–19		2019–20	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
9109– जिला योजना बागेश्वर के क्रियान्वयन (अनुदान सं0 30) (9111 फल तथा सब्जी को सुखाकर प्रसंस्करण योजना)										
1 – प्लास्टिक क्रेट्स (पार्किंग हेतु)	–	–	2.67	2015.00	0	0	0	0	0	0
2 – सिचाई हेतु पी0वी0सी0 प्लास्टिक टेंक 500 ली0 क्षमता एवं रबर पाईप 30 मीटर क्षमता	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0

योजना/मद का नाम	मद	इकाई	2016–17		2017–18		2018–19		2019–20	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
9112–उन्नत किस्म की रोपण सामग्री										
1–चयनित क्षेत्रों में विभिन्न फलों एवं फल पट्टियों का विकास 50 प्रति0रा0स0	आच्छादित क्षेत्रफल	है0	1.3311	30.60	0.53	18.50	0.86	23.60	10.38	11.50
	लाभार्थी	सं0	55		28		32		23	
2– औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देन हेतु विभिन्न निवेशों पर राज सहायता	–	–	0	0	0	0	0	0	0	0
(क) फल पौध, सब्जी बीज परिवहन पर राज सहायता	फलपौध वितरण, सब्जी बीज वितरण, सब्जी पौध वितरण	रू0 लाख में	4.12	समस्त औद्यानिक निवेश	3.23	समस्त औद्यानिक निवेश	0.396	समस्त औद्यानिक निवेश	0.722	समस्त औद्यानिक निवेश
(ख) औद्यानिक फसलों पर कीट व्याधि की रोकथाम 60 प्रति0रा0स0	पौध सुरक्षा कार्य	है0	1.50	524.26	3.75	467.95	4.19	1609.20	7.68	1720.30
(ग) औद्यानिक औजार संयन्त्रों के वितरण पर राज सहायता 50 प्रति0रा0स0	औद्यानिक संयन्त्र वितरण पाली सीट	सं0	0.72	565.00	1.81	485.00	1.68	578.00	6.23	547.00
(घ) उन्नतशील सिंचाई व्यवस्था पर राज सहायता 75 प्रति0रा0स0	पालीलाईनिंग टेंक	सं0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ड.) चयनित विकास खण्डों में महिला प्रशिक्षण	महिलाओं को प्रशिक्षण	सं0	0	0	0	0	0	0	0	0
(च) आलू एवं सब्जियों की फसल पर 75 प्रतिशत अनुदान पर कुरमुला नियन्त्रण	कुरमुला कीट नियंत्रण	है0	2.23	279.47	4.44	664.32	3.33	373.30	2.52	743.52
(छ) औद्यानिक फसलों पर 50 प्रति0रा0स0 पर व्यवर्तनीकरण	अदरक बीज वितरण	कु0	0	0	0	0	0	0	0	0

जनपद में सिंचाई हेतु पी0वी0सी0 प्लास्टिक टैंक 500 ली0 क्षमता एवं रबर पाईप 30 मीटर क्षमता, औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देन हेतु विभिन्न निवेशों पर राज सहायता, उन्नतशील सिंचाई व्यवस्था पर राज सहायता 75% राज सहायता (पालीलाईनिंग टैंक), चयनित विकास खण्डों में महिला प्रशिक्षण, औद्यानिक फसलों पर 50% राज सहायता पर व्यवर्तनीकरण (अदरक बीज वितरण) जैसे महत्वपूर्ण मदों में विगत सालों में प्रगति परिलक्षित नहीं हुई है।

जनपद में उन्नत किस्म की रोपण सामाग्री मद के अन्तर्गत चयनित क्षेत्रों में विभिन्न फलों एवं फल पट्टियों का विकास 50% राज सहायता के द्वारा वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 तक 84.20 हेक्टेयर भूमि को आच्छादित किया गया, जिसमें साल दर साल कमी आई है। वर्ष 2016–17 की अपेक्षा वर्ष 2019–20 तक 19.10 हेक्टेयर आच्छादन में कमी के आंकड़े प्रदर्शित होते हैं। लाभान्वित होने वाले कास्तकारों की संख्या में भी गिरावट देखी जा सकती है, जबकि वित्तीय रूप में 9.05 लाख की वृद्धि देखी जा सकती है जिसके आंकड़े निम्न तालिका एवं ग्राफ में दशाये गये हैं।

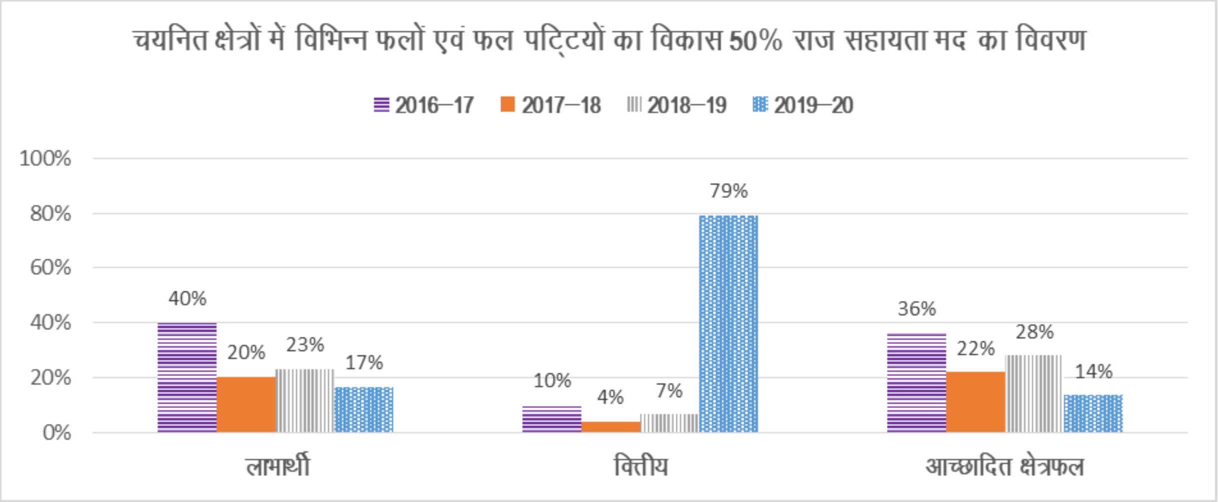

जनपद बागेश्वर में उद्यान विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का विवरण												
क्र0 सं0	योजना/मद का नाम	इकाई	2016–17		2017–18		2018–19		2019–20		कुल योग	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1(अ)	फल क्षेत्र विस्तार प्रथम वर्षः– 1–लागत प्रधान फल 1– कीवी	है0	0	0	0	0	5.2	131748	2.88	75297	8.08	207045
	2– केला टी0सी0	है0	0	0	0	0	1.86	87130	0	0.00	1.94	87130
	योग	है0	0.00	0	0.00	0	7.06	218878	2.88	75297	9.94	294175
	सघन रोपण 1– आम	है0	1.00	30000	0	0	0	0	2.00	47789	3.00	77789
	2– अनार	है0	1.00	30000	4.00	105639	0	0	0	0	5.00	135639
	3– सेब	है0	1.00	30000	3.00	85395	0	0	2.00	59993	6.00	175388
	योग सघन	है0	3.00	90000	7.00	191034	0	0	4.00	107782	14.00	388816
	सामान्य दूरी पर लगाये जान वाले फल											
	1– आम	है0	5.00	90000	7.00	120976	7.00	105535	3.00	44429	22.00	360940
	2– लीची	है0	5.00	90000	3.00	49740	6.00	99458	4.00	65239	18.00	304437
	3– अमरूद	है0	0	0	0	0	5.00	89750	2.00	33170	7.00	122920
	4– नीबू	है0	0	0	3.00	34944	4.00	71771	3.00	49904	10.00	156619
	5– अनार	है0	0	0	0	0	1.00	17804	3.00	49904	4.00	67708
	6– आंवला	है0	0	0	0	0	4.00	67357	0.00	0	4.00	67357
	7– सेब	है0	0	0	3.00	53221	2.00	35864	0.00	0	5.00	89085
	8– अखरोट	है0	2.00	360000	0.00	0	0.00	0	2.50	45000	4.50	81000
	9– आडू	है0	6.00	108000	10.00	166769	9.00	160176	3.50	62857	28.50	497802
	10– नाशपाती	है0	0	0	2.00	35459	1.50	26467	0.00	0	3.50	61926
	योग		18.00	324000	28.00	461109	39.50	674182	21.00	350503	106.50	1809794
महायोग			21.00	414000.00	35.00	652143.00	46.56	893060.00	27.88	533582.00	130.44	2492785.00

क्र0 सं0	योजना/मद का नाम	इकाई	2016–17		2017–18		2018–19		2019–20		कुल योग	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
(स)	फल विस्तार तृतीय वर्ष – सघन	है0	1	7458	0	0	0	0	0	0	1.00	7458
	आम	है0	0	0	1.00	6170	1.00	9990	0	0	2.00	16160
	अनार	है0	0	0	3.00	26067	1.00	9972	4.00	39039	8.00	75078
	सेब	है0	0	0	1.00	10000	1.00	9939	3.00	29797	5.00	49736
	योग	है0	1.00	7458	5.00	42237	3.00	29901	7.00	68836	16.00	148432
	सामान्य रोपण	है0	14.00	64400	0	0	0	0	0	0	14.00	64400
	आम	है0	0	0	1	5010	7	40555	7	41266	15.00	86831
	लीची	है0	0	0	4	19604	5	29717	3	17895	12.00	67216
	आडू	है0	0	0	7	37520	6	28760	10	48310	23	114590
	नाशपाती	है0	0	0	0	0	0	0	2	11837	2	11837
	सेब	है0	0	0	0	0	0	0	3	17845	3	17845
	नींबू	है0	0	0	0	0	0	0	3	17610	3	17610
	योग	है0	14.00	64400	12.00	62134	18.00	99032	28.00	154763	72.00	380329
महायोग			15.00	71858.00	17.00	104371.00	21.00	128933.00	35.00	223599.00	88.00	528761.00

जनपद में फल विस्तार हेतु वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 के मध्य कुल 345.50 हेक्टेयर भूमि को आच्छादित किया गया जो जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 15% है, जिसके लिए विभाग द्वारा 37.63 लाख रूपये का परिव्यय किया गया, किन्तु जनपद में फिर भी बाहरी राज्यों या जनपदों से फलों की आपूर्ति हो रही है। जनपद का भौगोलिक परिवेश फल उत्पादन के लिए अनुकूल है, पहाड़ी फलों का बाजार भी उपलब्ध है, परन्तु जनपद में उत्पादकों की संख्या में वर्ष दर वर्ष गिरावट आ रही है।

जनपद के अन्तर्गत उद्यानीकरण में रोजगार की अधिक सम्भावनायें हैं जिसके लिए विभाग को जनपद की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार कार्ययोजना तैयार कर फल पट्टी के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों को चिह्नित करना चाहिए।

क्र0 सं0	योजना/मद का नाम	इकाई	2016–17		2017–18		2018–19		2019–20		कुल योग	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
2	सब्जी विस्तार – टमाटर	है0	10.00	250000	10.00	250000	12.00	299920	10.00	249972	42.00	1049892
	बन्दगोभी	है0	10.00	212230	8.00	199970	10.00	249920	10.00	249691	38.00	911811
	फूल गोभी	है0	10.00	250000	8.00	200000	10.00	249727	10.00	249828	38.00	949555
	शिमला मिर्च	है0	10.00	250000	8.00	200000	12.00	299921	15.00	375000	45.00	1124921
	ब्रोकली	है0	0	0	0	0	0	0	8.00	199727	8.00	199727
	कुल योग सब्जी क्षेत्र विस्तार	है0	40.00	962230	34.00	849970	44.00	1099488	53.00	1324218	171.00	4235906
3	पुष्प क्षेत्र विस्तार :– गेंदा	है0	2.00	37035	5.00	100000	10.00	200000	5.00	99976	22.00	437011
	गुलदावरी	है0	0	0	0	0	0	0	2.00	39850	2.00	39850
	योग	है0	2.00	37035	5.00	100000	10.00	200000	7.00	139826	24.00	476861
4	मसाला क्षेत्र विस्तार :– अदरख	है0	25.00	344978	12.00	179993	25.00	344992	35.00	524989	97.00	1454952
	पतली मिर्च	है0	0	0	5.00	74990	5.00	73370	5.00	74575	15.00	222935
	लहसुन	है0	0	0	4.00	59990	5.00	74700	5.00	75000	14.00	209690
	हल्दी	है0	0	0	3.41	51125	0	0	5.00	74995	8.41	126120
	कुल योग मसाला क्षेत्र विस्तार	है0	25.00	374678	24.41	366098	35.00	523062	50.00	749559	134.41	2013697
5	जीर्णोद्धार :– सेब	है0	0	0	0	0	2.00	39430	0	0	2.00	39430
	नीबू प्रजाति	है0	4.00	38169	0	0	2.00	39351	1	19679	7.00	97199
	आम	है0	0	0	5.00	75696	3.00	58665	0	0	8.00	134361
	नाशपाती	है0	0	0	0	0	10.00	195965	0	0	10.00	195965
	कुल योग जीर्णोद्धार	है0	4.00	38159	5.00	75696	17.00	333411	1	19679	27.00	466955
महायोग			71.00	1412102.00	68.41	1391764.00	106.00	2155961.00	111.00	2233282.00	356.41	7193419.00

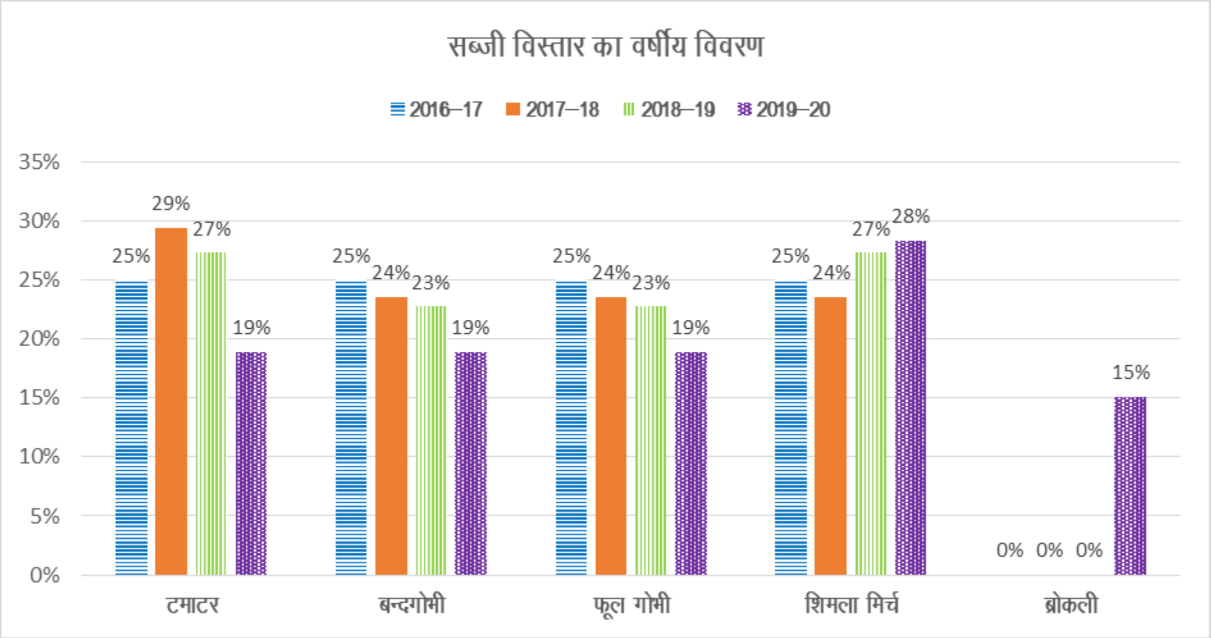

जनपद बागेश्वर में विगत चार वर्षों के दौरान सब्जी विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत टमाटर, बन्दगोभी तथा फूलगोभी के लिए आच्छादन क्षेत्रफल में गिरावट देखी जा सकती है, जबकि ब्रोकली का उत्पादन वर्ष 2019–20 में मात्र 15% क्षेत्रफल में शुरू किया गया है। शिमला मिर्च उत्पादन के आच्छादन क्षेत्रफल में मात्र 3% की बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है, जिनके आंकड़ें निम्न ग्राफ एवं तालिका में दर्शाये गये हैं।

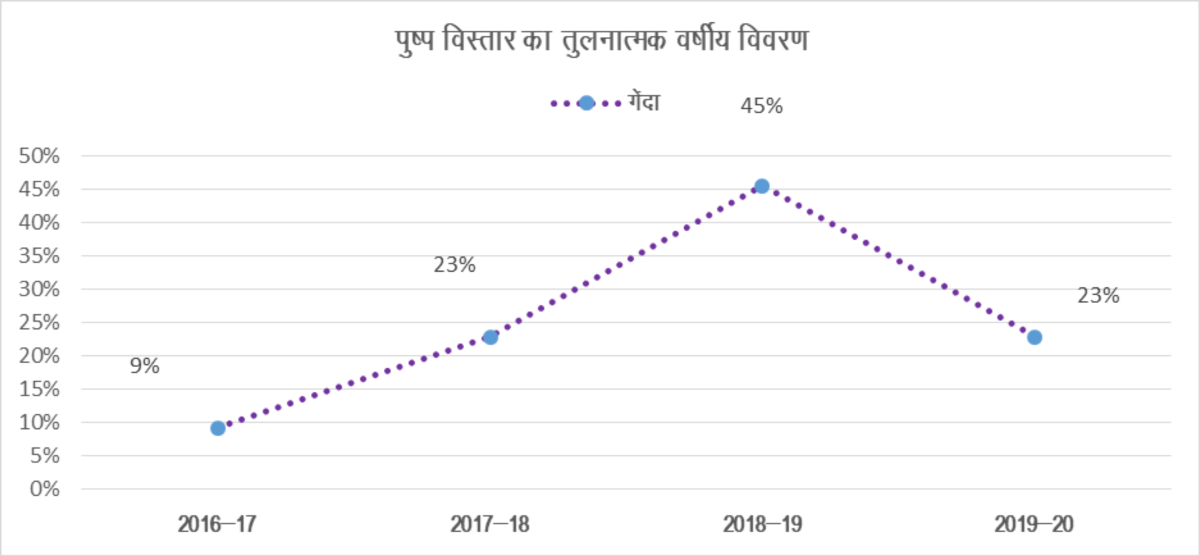

विगत चार वर्षों के दौरान पुष्प विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत गेंदा के फूल के उत्पादन हेतु आच्छादन क्षेत्रफल का विवरण ग्राफ एवं तालिका में दर्शाये गये हैं। आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जनपद में पुष्प की मांग समय के साथ बढ़ रही है।

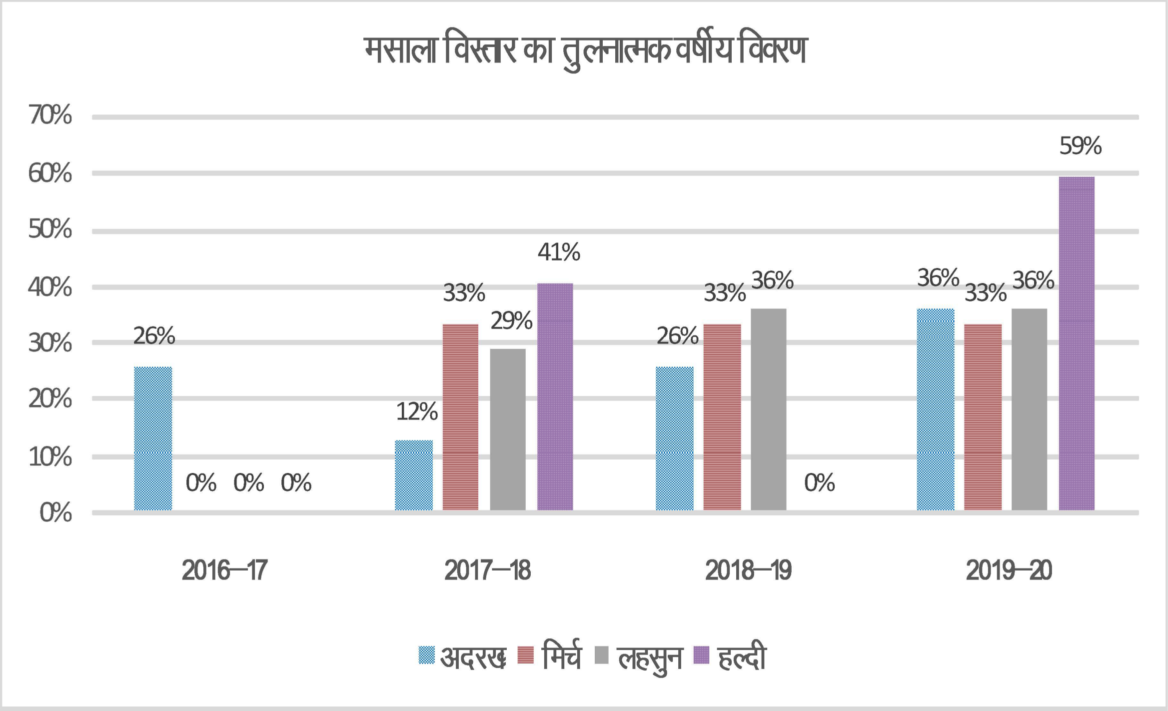

जनपद बागेश्वर में विगत चार वर्षों के दौरान मसाला विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत अदरक, मिर्च, लहसुन तथा हल्दी के आच्छादित होने वाले क्षेत्रफल में वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 के मध्य घटता बढ़ता विचलन देखा जा सकता है, जिसको ग्राफ एवं तालिका में दर्शाये गये आंकड़ें से स्पष्ट जाना जा सकता है।

जनपद में मसाला, पुष्प, फल तथा सब्जी आदि के उद्यानीकरण कर रोजगार उपलब्ध होने की अधिक सम्भावनायें हैं। इन सभी की स्थानीय बाजार के साथ–साथ राष्ट्रीय बाजारों में भी अधिक मांग है, जिनके उत्पादन एवं विपणन के लिए विभाग को कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।

क्र0 सं0	योजना/मद का नाम	इकाई	2016–17		2017–18		2018–19		2019–20		कुल योग	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
6	संरक्षित खेती :– पॉली हाउस	है0	400.00	243800	500.00	304750	1000.00	609500	1500.00	914250	3400.00	2072300
	एन्टी वर्ड/हेलनेट	है0	0	0	5000.00	87491	2000.00	34647	3000.00	52500	10000.00	174638
	प्लास्टिक मल्चिंग	है0	0	0	0	0	5.00	91980	2.00	36780	7.00	128760
	HDEP वर्मी हैंड	है0	32.00	145600	0	0	0	0	0	0	32.00	145600
	कुल योग संरक्षित खेती	है0	432.00	389400	5500.00	392241	3005.00	736127	4502.00	1003530	13439.00	25212998
7	मैकेनाईजेसन पावर टिलर 8 BHP	है0	6.00	243572	7.00	277925	35.00	1291770	10.00	394272	58.00	2177539
	स्वाचालित मशीनरी	है0	0	0	0	0	28.00	248388	15.00	124805	43.00	373193
	कल योग मैकेनाईजेसन	है0	6.00	243572	7.00	247925	63.00	1540158	25.00	519077	101.00	2550732
8	मिशन मैनेजमैंट :– प्रशासनिक	है0	0	50000	0	0	0	50000	0	0	0	100000
	TSG	है0	0	120000	0	50000	0	50000	0	74000	0	294000
	कम्प्यूटर व्यय	है0	0	0	0	0	0	45000	0	0	0	45000
	योग	है0	0.00	170000	0.00	50000	0.00	145000	0.00	74000	0.00	439000
9	एच0आर0डी0 :– राज्य के अन्दर कृषक प्रशिक्षण	है0	0	79016	0	100000	0	220000	0	0	0	399016
	राज्य के बाहर कृषक प्रशिक्षण	है0	0	0	0	32280	0	0	0	0	0	33280
	योग	है0	0.00	79016	0.00	133280	0.00	220000	0.00	0	0	432296
10	Awareness programme No.											
	प्रचार प्रकाशित सामग्री इत्यादि एवं स्थानीय विज्ञापन के जरिये सूचना का प्रसार	है0	0	0	0	0	0	18419	0	0	0	18419
	योग	है0	0.00	0	0.00	0	0.00	18419	0.00	0	0	18419
महायोग			438.00	881988.00	5507.00	823446.00	3068.00	2659704.00	4527.00	1596607.00	13540.00	28653445.00

जनपद में उद्यान विभाग द्वारा और कई योजनाओं का संचालन करवाया जा रहा है, जिसके आंकड़ें तालिका में दर्शाये गये हैं। आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जनपद में कृषकों के प्रशिक्षण में कम ध्यान दिया गया है, जबकि नयी वैज्ञानिक यांत्रिकी के अनुसार उद्यानीकरण करना अति आवश्यक है। वर्तमान समय के अनुरूप उद्यानीकरण करवाने के लिए कृषक प्रशिक्षण होना समय की मांग है।

चाय बोर्ड

चाय बोर्ड के आंकड़ों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है कि जनपद में मात्र विकासखण्ड गरूड़ में ही विगत चार वर्षों के दौरान चाय का उत्पादन किया जा रहा है, जिसके लिए चाय बोर्ड द्वारा चाय बागान का रख–रखाव 827.27 है0 भूमि पर करने के साथ–साथ 20.11 है0 भूमि पर नया पोधरौपण करवाया गया है। चाय बोर्ड द्वारा विकासखण्ड गरूड़ में विगत चार वर्षों के दौरान 7,99,440.4 किग्रा चाय पत्ती तुड़वाने का काम करवाते हुए 1,78,945 किग्रा चाय तैयार कर विपणन किया गया है, जिसमें विभाग द्वारा 851 पुरूषों तथा 3070 महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध करवाया गया। जनपद के अन्य विकासखण्डों में अभी तक चाय उत्पादन नहीं हुआ है।

चाय बागान स्थापित करवाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सम्भावनायें अधिक बढ़ सकती है यदि इसे व्यवसायिक रूप में किया जाये। हर्बल चाय की मांग ग्रामीण बाजारों के साथ–साथ राष्ट्रीय बाजारों में दिनोंदिन बढ़ रही है। अतः विभाग को कपकोट और बागेश्वर विकासखण्डों के लिए कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए।

जनपद में चाय बागानों को स्थापित करने में मजदूर के रूप में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं का अधिक योगदान है। विकासखण्ड गरूड़ में तो महिलाओं द्वारा 67% चाय बागान स्थापित करवाने में हिस्सेदारी है। चाय बागान स्थापना के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि जनपद के विकासखण्ड गरूड़ द्वारा 87.21%का योगदान दिया गया जो अन्य विकासखण्डों से अधिक है।

जनपद बागेश्वर में विकासखण्डवार 2016–2020 तक की वर्षवार प्रगति								
क्र0सं0	विकासखण्ड	वर्ष	योजना/ मद का नाम					
			बागान रखरखाव है0	नया प्लान्टेशन है0	हरी पत्ती तुड़ाई (कि0ग्रा0)	तैयार चाय (कि0ग्रा0)	पुरूष श्रमिक	महिला श्रमिक
1	गरूड़	2016–17	199.4	7.4	185417.3	40791.0	248	915
		2017–18	205.6	6.16	176751.5	39769.0	221	716
		2018–19	210.12	4.52	211516.3	47591.0	207	760
		2019–20	212.15	2.03	225755.3	50794.0	175	679
योग			**827.27**	**20.11**	**799440.4**	**178945.0**	**851**	**3070**
2	बागेश्वर	2016–17	7.57	7.57	0	0	82	112
		2017–18	11.81	4.24	0	0	24	30
		2018–19	14.37	2.56	0	0	41	30
		2019–20	16.24	1.87	0	0	20	41
योग			**49.99**	**16.24**	**0**	**0**	**167**	**213**
3	कपकोट	2016–17	2.96	2.96	0	0	20	32
		2017–18	9.25	6.29	0	0	44	48
		2018–19	12.51	3.26	0	0	33	48
		2019–20	16.64	4.12	0	0	10	15
योग			**41.36**	**16.63**	**0**	**0**	**107**	**143**
महायोग			**918.62**	**52.98**	**799440.4**	**178945**	**1125**	**3426**

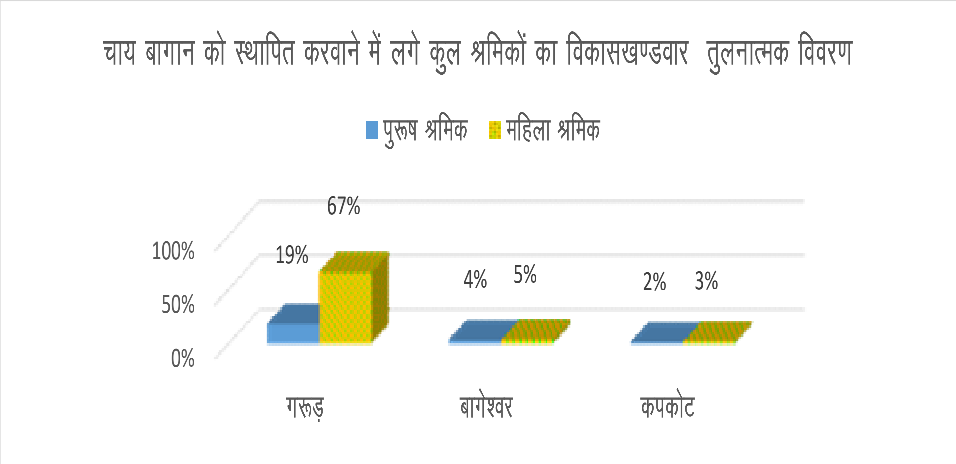

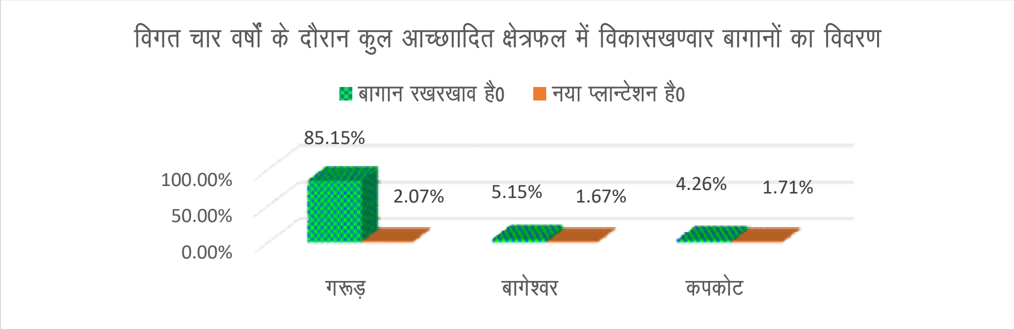

ग्राम्य विकास विभाग

मनरेगा				
राज्य : उत्तराखण्ड	जनपद : बागेश्वर			
विकासखण्ड़ों की कुल संख्या	3			
ग्राम पंचायत की कुल संख्या	406			
I जाबकार्ड				
जारी की गई जॉबकार्ड की कुल संख्या (लाख में)	0.49			
श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	0.89			
सक्रिय जॉबकार्ड की कुल संख्या (लाख में)	0.34			
सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या (लाख में)	0.51			
(i) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जाति के श्रमिक (%)	25.83			
(ii) सक्रिय श्रमिकों की तुलना में अनुसूचित जनजाति के श्रमिक (%)	0.52			
II प्रगति	वित्तीय वर्ष 2019–2020	वित्तीय वर्ष 2018–2019	वित्तीय वर्ष 2017–2018	वित्तीय वर्ष 2016–2017
स्वीकृत श्रम बजट (लाख में)	8	7.27	7.65	9.46
अब तक सृजित मानव–दिवस (लाख में)	8.07	8.1	8.69	11.11
कुल एल.बी. का %	100.86	111.47	113.55	117.49
आनुपातिक एल.बी. के अनुसार %				
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जाति के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	25	23.71	26.79	27.93
कुल कार्य दिवस में अनुसूचित जनजाति के लोगों का कुल कार्य दिवस का %	0.47	0.73	0.49	0.55
कुल (%) में से महिला कार्य दिवस	54.51	53.87	52.27	49.97
प्रति परिवार प्रदान किये गये रोजगार के औसत दिन	43.64	43.91	42.22	45.45
प्रतिदिन प्रतिव्यक्तियों औसत मजदूरी दर (रू.)	181.99	174.99	174.99	173.94
मजदूरी के 100 दिन पूरे करने वाले परिवारों की कुल संख्या	1117	904	531	2163
कुल घरों ने काम किया (लाख में)	0.18	0.18	0.21	0.24
काम करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	0.25	0.25	0.28	0.33
काम करने वाले विकलांग व्यक्तियों की संख्या	75	83	20	21
III कार्य				
शून्य अनुभव के साथ ग्राम पंचायत की संख्या	0	1	0	0
शुरू किए गए कार्यों की कुल संख्या (नया + पिछला रूका हुआ) (लाख में)	0.04	0.05	0.08	0.1
चालू कार्यो की संख्या (लाख में)	0.02	0.02	0.03	0.05
पूरा किए गए कार्यो की संख्या	1620	3841	5007	4487
एन.आर.एम. व्यय का % सार्वजनिक + व्यक्तिगत)	79.26	55.67	43.89	40.68
श्रेणी बी के कार्य का %	27.33	49.46	45.24	31.57
कृषिऔर कृषि संबद्ध कार्यों पर व्यय का %	72.74	69.98	71.88	59.35
IV वित्तीय प्रगति				
कुल व्यय (रूपये लाख में)	2165.51	2389.17	2913.35	3068.71
मजदूरी (रूपये लाख में)	1481.93	1455.31	1599	2248.04

उक्त तालिका में प्रदर्शित आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जनपद बागेश्वर में कुल 49000 पंजीकृत जॉबकार्डों में से 31% जॉबकार्ड निष्क्रिय है, साथ ही पंजीकृत 89000 श्रमिकों में से 57% श्रमिक कार्य के लिए मांग करते हैं जिसमें से लगभग 26% अनुसूचित जाति के सक्रीय श्रमिक कार्य करते है। 43% श्रमिक काम की मांग नहीं करतें हैं, जो निम्न ग्राफ से भी स्पष्ट होता है।

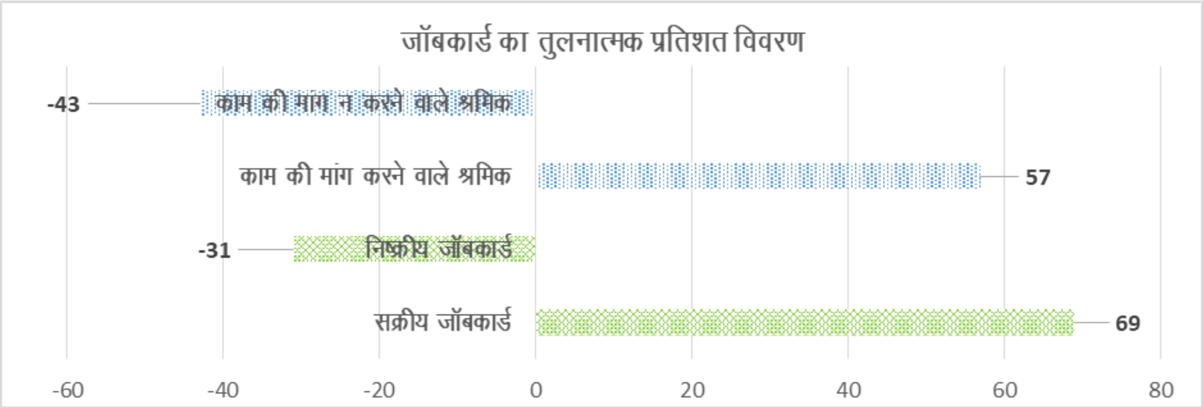

तालिका में प्रदर्शित सृजित मानव दिवस के आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जनपद में विगत पांच वर्षों के मध्य मानव दिवस में कमी देखने को मिली है जो वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 के मध्य 3.04 प्रतिशत तक पहुँचा है, जिसे ग्राफ से जाना जा सकता है।

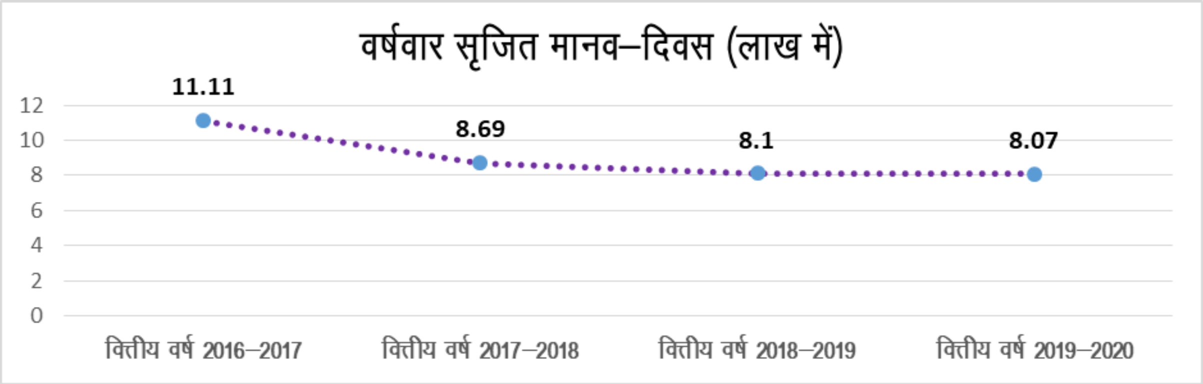

जनपद में महिला श्रमिकों द्वारा मनरेगा में काम के लिए मांग में विगत पांच वर्षों की अवधि में देखा जाय तो ज्ञात होता है कि वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 तक 4.54% वृद्धि हुई है, जिसका विवरण ग्राफ में दर्शाया गया है।

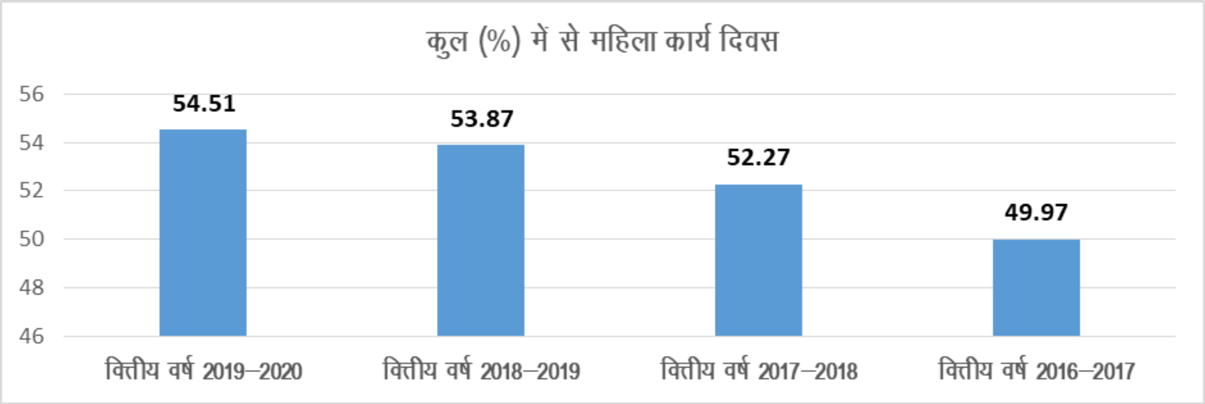

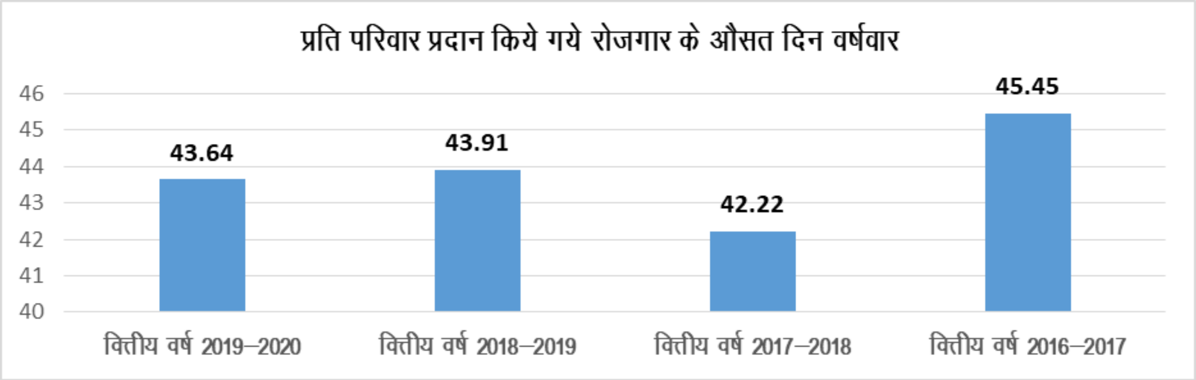

जनपद में मनरेगा अर्न्तगत प्रति परिवार प्रदान किये जा रहे रोजगार के औसत दिनों का विवरण निम्न तालिका एवं ग्राफ में प्रदर्शित किये गये हैं जिनके अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जनपद में पिछले पांच वर्षों के दौरान आंकड़ों में विचलन देखा जा सकता है। वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 के मध्य औसत दिनों के आंकड़ों में विचलन देखा जा सकता है।

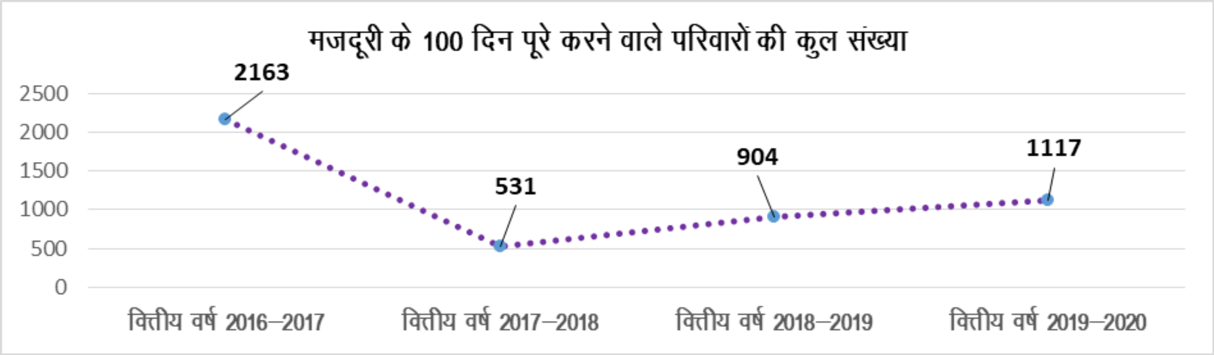

जनपद में मनरेगा अर्न्तगत 100 दिन की मजदूरी पूरी करने वांले परिवारों की कुल संख्या के आंकड़ों में विगत पांच वर्षों के दौरान आंकड़ों में गिरावट देखने को मिलती है। वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 के मध्य 100 दिन के मानव दिवस पूर्ण करने वांले परिवारों की संख्या में भारी कमी देखी जा सकती है।

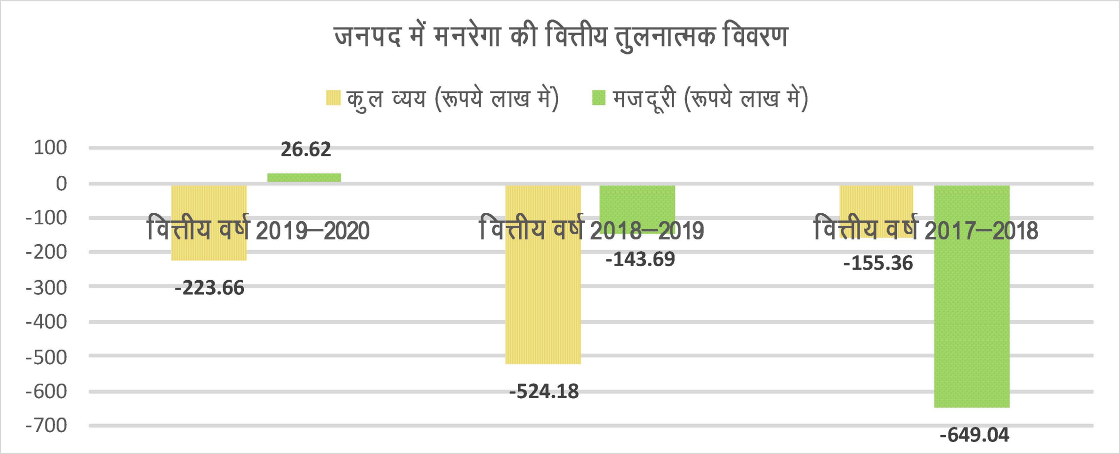

मनरेगा के वित्तीय आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जनपद बागेश्वर में पिछले चार वर्षों के मध्य कुल व्यय एवं कुल मजदूरी व्यय में क्रमिक रूप से गिरावट देखी जा सकती है। वर्ष 2019–20 में मजदूरी मद में 26.62 लाख रूपये की वृद्धि हुई है जिसके आंकड़े ग्राफ में दर्शाये गये हैं।

मनरेगा योजना के तहत मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, बकरीपालन, गायपालन, उद्यानीकरण, सब्जीउत्पादन, भूमि सुधारीकरण, गूल निर्माण, फॉर्म पौण्ड, सिंचाई टैंक आदि रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजनाओं का निर्माण करवाया जा सकता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

जनपद बागेश्वर में ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं का विवरण							
क0सं0	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए जारी धनराशि लाख में	जारी की गई कुल धनराशि की तुलना में खर्च की गई धनराशि	कुल व्यय	लक्ष्य	इकाई	पूर्ति
1	एन.आर.एल.एम.	133.64	124.24	124.24	समूह गठन– 360	संख्या	363
					आर.एफ.– 150	संख्या	189
					सी.आई.एफ.–137	संख्या	140
					वी.ओ. – 30	संख्या	30
					सी.एल.एफ.– 2	संख्या	2
					एम.सी.पी.– 256	संख्या	256
					सी.सी.एल.– 320	संख्या	321
2	मनरेगा	2171.86	2171.86	2171.86	2572.59	लाख में	84.42 (प्रतिशत में)

RSETI से सम्बन्धित सूचना							
क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम	प्रशिक्षितों की संख्या – 1624					
		वर्ष 2018–19		वर्ष 2019–20		कुल योग	
		प्रशिक्षण	प्रशिक्षणार्थी	प्रशिक्षण	प्रशिक्षणार्थी	प्रशिक्षण	प्रशिक्षणार्थी
1	कपकोट	4	119	2	70	6	189
2	गरूड	7	279	9	308	16	587
3	बागेश्वर	11	279	7	569	18	848
	योग	22	677	18	947	40	1624

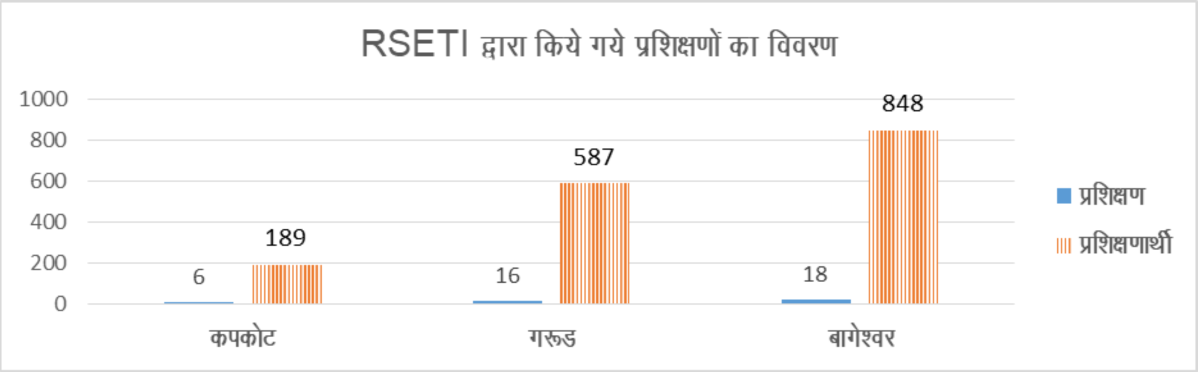

बागेश्वर जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत RSETI के माध्यम से कुल 40 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए विभिन्न क्रियाकलापों में 1624 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया जिसमें विकासखण्ड बागेश्वर द्वारा सबसे अधिक 848 तथा विकासखण्ड कपकोट द्वारा सबसे कम 189 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण लिया जिसके आंकड़ें उपरोक्त ग्राफ एवं तालिका में दर्शाये गये हैं।

एन.आर.एल.एम. के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों (SHG's) वर्ष 2019–20 की सूचना					
क्र0सं0	विकासखण्ड	जनपदान्तर्गत विकास खण्डवार कुल स्थापित स्वयं सहायता समूहों की संख्या	जनपदान्तर्गत विकास खण्डवार नये स्थापित किये गये स्वयं सहायता समूहों की संख्या	जनपदान्तर्गत विकास खण्डवार पुनर्स्थापित / पुनर्जीवित किये गये स्वयं सहायता समूहों की संख्या	अन्य विवरण
1	बागेश्वर	205	205	5	0
2	कपकोट	137	137	12	0
3	गरूड़	0	0	0	0
योग		**342**	**342**	**17**	**0**

विकासखण्ड बागेश्वर में वर्ष 2019–20 के लिए कुल 205 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है जिसमें 5 स्वयं सहायता समूहों को पुनर्जीवित किया गया। विकासखण्ड कपकोट द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए 5 स्वयं सहायता समूहों को पुनर्जीवित करते हुए कुल 137 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया जबकि विकासखण्ड गरूड में किसी भी समूह का गठन नहीं किया गया है।

दीन दयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना

जनपद बागेश्वर में दीन दयाल कौशल विकास योजना वर्ष 2019 से वर्ष 2021 तक जनपद के तीनों विकासखण्ड़ों में संचालित की जा रही है। तीनों विकासखण्ड़ों के लिए दीन दयाल कौशल योजना हेतु 1762 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से विगत वर्षों के दौरान मात्र 89 (5%) लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

जनपद के बेरोजगार युवक–युवतियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से कुल 30 प्राइवेट कम्पनियों ने पंजीयन करवाया है जिनके द्वारा अपने स्तर से किये जाने वाले प्रशिक्षण का लक्ष्य भी जनपद को उपलब्ध करवाये गये, किन्तु मात्र छः कम्पनियों द्वारा प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ करवाया गया।

जनपद की जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन वर्ष 2011 के लिए 5.13 प्रतिशत है जिसका आने वाले दशकीय जनगणना में ऋणात्मक होने की अधिक सम्भावनायें हैं। जनपद की प्रति व्यक्ति आय रूपये 1,00,117 है, जो अन्य जनपदों की तुलना में बहुत कम है। पंजीकृत कम्पनियों को शीघ्रातिशीघ्र बेरोजगारों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रारम्भ करना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को कम किया जा सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना

जनपद में वित्तीय वर्ष 2016–17 तथा वर्ष 2017–18 के मध्य कुल 149 लाभार्थियों के 604 सदस्यों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किया गया। सभी लाभान्वित परिवारों के आवास में शौचालय, पानी, विद्युत आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था करवायी गयी। कुल आवास में 135 परिवारों को पक्की छत तथा 103 परिवारों को गैस/बायोगैस की सुविधा उपलब्ध करवायी गई। योजना का विवरण तालिका में प्रदर्शित किया गया है।

वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का विकासखण्डवार विवरण

क्र0स0	विकासखण्ड का नाम	आवास का क्षेत्रफल	कुल आंवटित आवास	आवास निमार्ण में दी गयी आधारभूत सुविधाएं										लाभार्थी के परिवार के सदस्य	लाभार्थी परिवार के मनरेगा कार्यदिवस
				शौचालय		पानी		विद्युत		छत का प्रकार		गैस/बायोगैस की उपलब्धता			
				हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	टिन	पक्का	हाँ	नहीं		
1	बागेश्वर	25 वर्ग मी	62	62	0	62	0	62	0	7	55	58	4	269	5890
2	कपकोट	25 वर्ग मी	48	48	0	48	0	48	0	7	41	30	18	187	4560
3	गरूड़	25 वर्ग मी	39	39	0	39	0	39	0	0	39	15	24	148	3705
योग			**149**	**149**	**0**	**149**	**0**	**149**	**0**	**14**	**135**	**103**	**46**	**604**	**14155**

जनपद के विकासखण्ड बागेश्वर द्वारा सबसे अधिक 62 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण करवाया गया जिसमें 7 आवासों की छत कच्ची व 4 आवासों में गैस/बायोगैस की सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी गयी। विकासखण्ड गरूड़ द्वारा सबसे कम 39 प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण करवाया गया जिसमें सबसे अधिक 24 आवासों में गैस/बायोगैस की सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी गयी।

प्रधानमंत्री आवास योजना को मनरेगा से युगपतिकरण कर आवास हेतु पात्र लाभाथियों के 149 परिवारों को 14155 दिनों का रोजगार भी उपलब्ध करवाया गया। ग्रामीण अंचलों के सामाजिक–आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के लिए उक्त योजना में सभी आधारभूत सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए प्राक्कलन तैयार कर आवास निर्माण की कार्यवाही की जानी उचित होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का विकासखण्डवार विवरण निम्नवत ग्राफों में दर्शाया गया है।

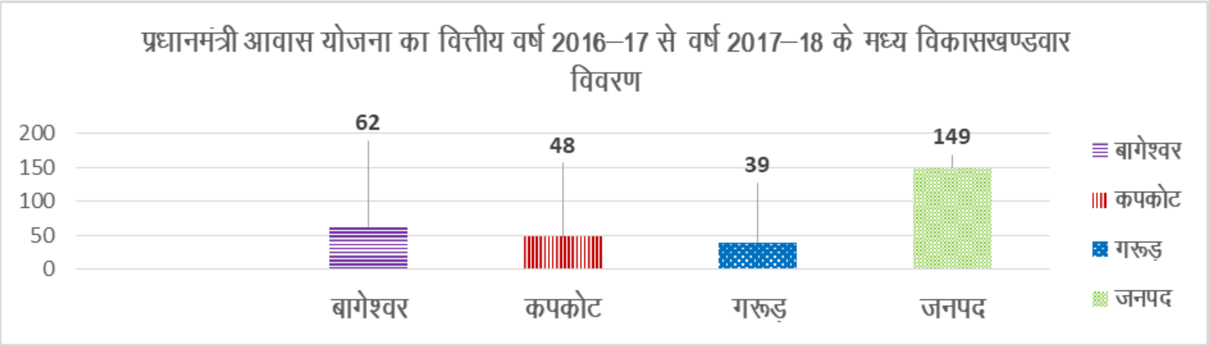

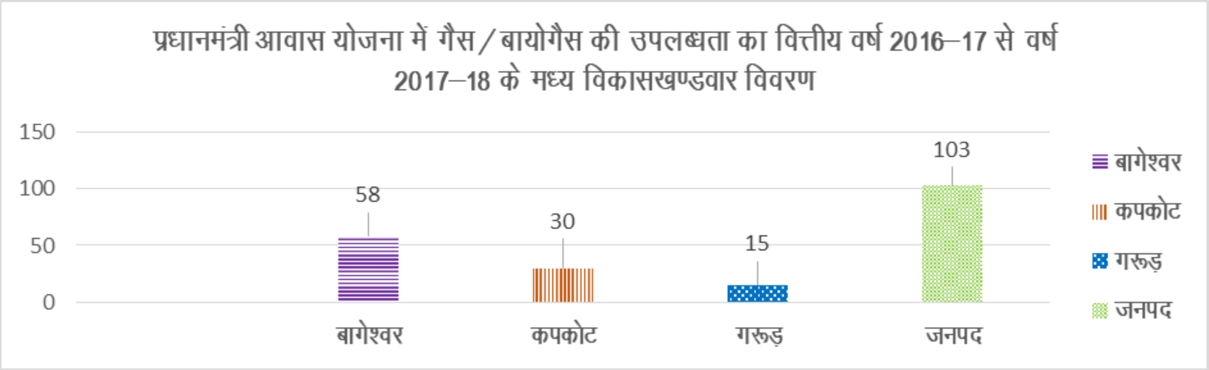

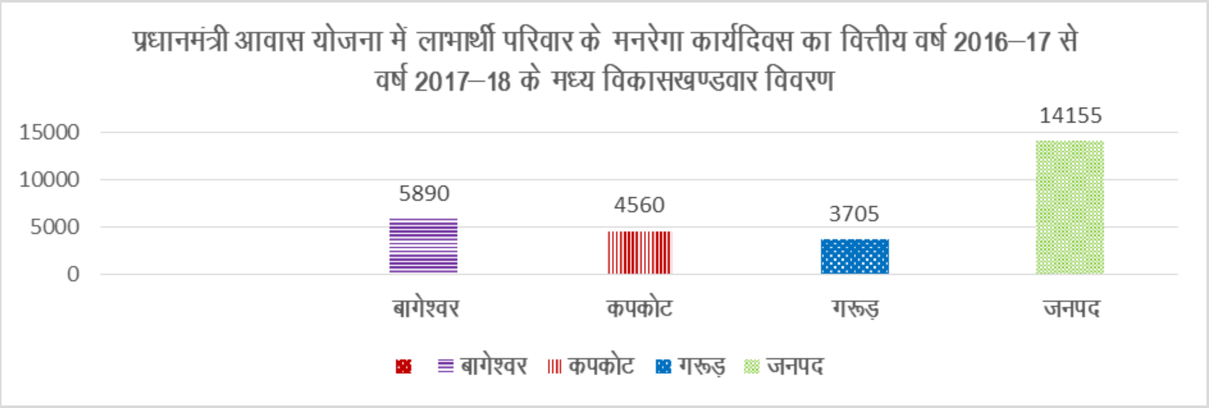

कृषि विभाग

जनपद में खरीफ की मुख्य फसलों के माध्यम से हो रहे आच्छादित क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता का विगत दो वर्षों के विश्लेषण करने से ज्ञात होता हैं कि जनपद में उक्त समयावधि में चावल, मक्का, मंडुवा और सांवा (झंगोरा) आदि फसलों का वर्ष 2018–19 में वर्ष 2016–17 की तुलना से उत्पादकता में कमी देखी जा सकती है जबकि रामदाना, गहत, तुअर, भट्ट, उड़द आदि फसलों की उत्पादकता में वृद्धि व मूंगफली, अन्य तिलहन, में प्रगति शून्य देखी जा सकती है जिसका विवरण तालिकाओं में दर्शाया गया है।

खरीफ फसल

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकडे

क्षेत्रफल–हेक्टेयर में,उत्पादन–मीट्रिक टन में, उत्पादकता–कुन्तल प्रति हे0 में

		चावल (खरीफ)			मक्का (खरीफ)			मडुवा (खरीफ)			सॉवा (खरीफ)		
जनपद	वर्ष	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
बागेश्वर	2018–19	14229.00	17209.00	12.09	574.00	1212.00	21.10	6517.00	6565.00	10.07	515.00	556.00	10.80
	2017–18	14400.00	19105.00	13.27	288.00	377.00	13.10	5401.00	5768.00	10.68	338.00	391.00	11.57

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकडे

क्षेत्रफल–हेक्टेयर में,उत्पादन–मीट्रिक टन में, उत्पादकता–कुन्तल प्रति हे0 में

		रामदाना (खरीफ)			अन्य धान्य(खरीफ)			कुल धान्य(खरीफ)			उर्द (खरीफ)		
जनपद	वर्ष	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
बागेश्वर	2018–19	607.00	617.00	10.16	8.00	3.00	4.26	22450.00	26162.00	11.65	172.00	191.00	11.11
	2017–18	437.00	242.00	5.54	4.00	2.00	4.25	20868.00	25885.00	12.40	104.00	42.00	4.00

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकडे

क्षेत्रफल–हेक्टेयर में,उत्पादन–मीट्रिक टन में, उत्पादकता–कुन्तल प्रति हे0 में

		गहत/कुल्थी			तोर/अरहर			राजमा			भट्ट		
जनपद	वर्ष	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
बागेश्वर	2018–19	342.00	268.00	7.85	2.00	1.00	5.10	219.00	241.00	11.01	1332.00	1285.00	9.65
	2017–18	188.00	148.00	7.85	0.00	0.00	0.00	0	0	0	815.00	617.00	7.57

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकडे

क्षेत्रफल–हेक्टेयर में,उत्पादन–मीट्रिक टन में, उत्पादकता–कुन्तल प्रति हे0 में

		अन्य दालें (खरीफ)			कुल दालें(खरीफ)			कुल खाद्यान(खरीफ)			मूगफली		
जनपद	वर्ष	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
बागेश्वर	2018–19	0.00	0.00	0.00	2067.00	1986.00	9.61	24517.00	28148.00	11.48	0.00	0.00	0.00
	2017–18	283.00	149.00	5.26	1390.00	956.00	6.88	22258.00	26841.00	12.06	0.00	0.00	0.00

विगत दो वर्षों में खरीफ की मुख्य फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता का वर्षवार विवरण दिखायी देता है जो ग्राफ से भी स्पष्ट होता है। वर्ष 2017–18 की अपेक्षा वर्ष 2018–19 के लिए क्रमशः क्षेत्रफल में 5% तथा उत्पादन में 3% वृद्धि एवं उत्पादकता में 2% की कमी हुई है। आंकड़ों को ग्राफ में दर्शाया गया है। खरीफ की फसल का उक्त विवरण बहुत ही न्यून है जिसमें वृद्धि करते हुए रोजगार का बढ़ावा दिया जा सकता है।

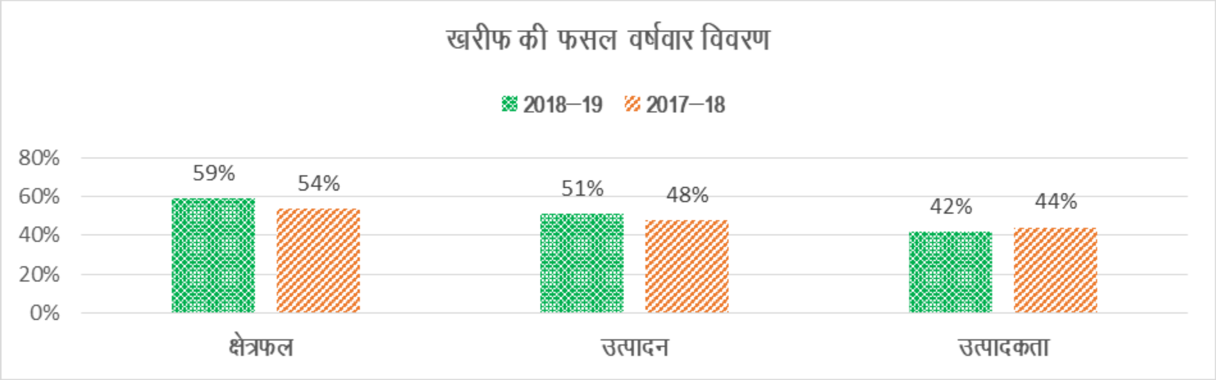

रबी की मुख्य फसलों के माध्यम से जनपद में हो रहे आच्छादित क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता का विगत दो वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है जिससे स्पष्ट हुआ कि जनपद में उक्त समयावधि में गेहूँ, जौ, चना और मसूर आदि फसलों का वर्ष 2018–19 में वर्ष 2016–17 की तुलना से उत्पादकता में वृद्धि देखी जा सकती है जबकि मटर की फसल में उत्पादकता में कमी व अलसी, अन्य धान्य तथा अन्य दालों के लिए प्रगति शून्य देखी जा सकती है जिसका विवरण तालिकाओं में दर्शाया गया है।

रबी फसल

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकडे

क्षेत्रफल–हेक्टेयर में,उत्पादन–मीट्रिक टन में, उत्पादकता–कुन्तल प्रति हे0 में

जनपद	वर्ष	गेहूँ			जौ			अन्य धान्य(रबी)			कुल धान्य(रबी)		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
बागेश्वर	2018–19	14604.00	24714.00	16.92	1061.00	1436.00	13.53	0.00	0.00	0.00	15665.00	26150.00	16.69
	2017–18	17030.00	27871.00	16.37	767.00	924.00	12.05	0.00	0.00	0.00	17797.00	28795.00	16.18

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकडे

क्षेत्रफल–हेक्टेयर में,उत्पादन–मीट्रिक टन में, उत्पादकता–कुन्तल प्रति हे0 में

जनपद	वर्ष	चना			मटर			मसूर			अन्य दालें (रबी)		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
बागेश्वर	2018–19	1.00	1.00	5.77	16.00	11.00	6.65	1423.00	1460.00	10.26	0.00	0.00	0.00
	2017–18	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	7.00	1345.00	858.00	6.38	0.00	0.00	0.00

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकडे

क्षेत्रफल–हेक्टेयर में,उत्पादन–मीट्रिक टन में, उत्पादकता–कुन्तल प्रति हे0 में

जनपद	वर्ष	कुल दालें (रबी)			कुल खाद्यान(रबी)			लाही/सरसों/तोरिया			अलसी		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
बागेश्वर	2018–19	1440.00	1472.00	10.22	17105.00	27622.00	16.15	39.00	23.00	5.78	0.00	0.00	0.00
	2017–18	1346.00	859.00	6.38	19143.00	29654.00	15.49	39.00	23.00	5.78	0.00	0.00	0.00

विगत दो वर्षों में रबी की मुख्य फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता का वर्षवार विवरण दिखायी देता है जो निम्न ग्राफ से भी स्पष्ट होता है। वर्ष 2017–18 की अपेक्षा वर्ष 2018–19 के लिए क्रमशः क्षेत्रफल में **4%**, उत्पादन में **3%** एवं उत्पादकता में **2%** की कमी हुई है। रबी की फसल का वर्षवार कमी देखी जा सकती है। विवरण को ग्राफ में दर्शाया गया है जिसे तालिका से भी जाना जा सकता है।

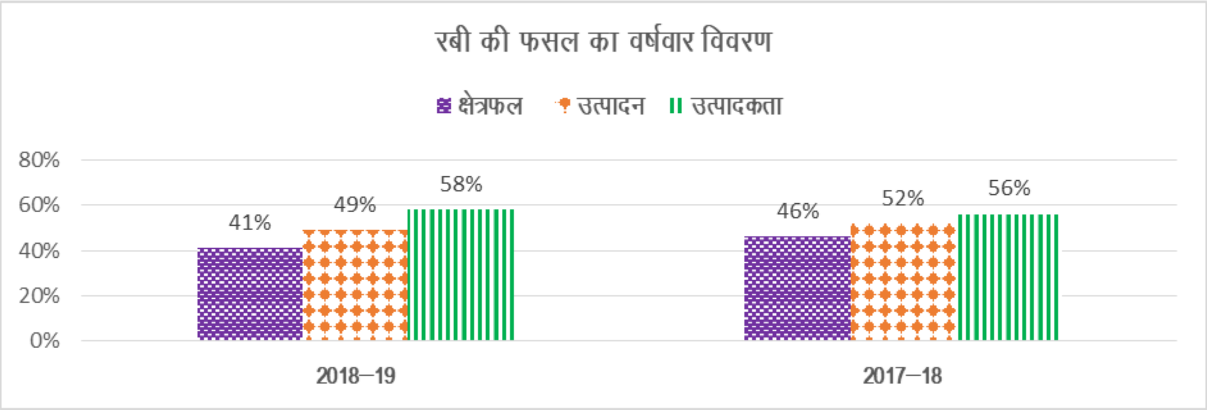

जनपद बागेश्वर में जायद की फसल का कोई प्रचलन नहीं है जबकि जायद की फसल को रोजगार तथा नकदी फसल के रूप में भी जाना जाता है। कृषि विभाग को इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता के आंकडे

क्षेत्रफल–हेक्टेयर में,उत्पादन–मीट्रिक टन में, उत्पादकता–कुन्तल प्रति है0 में

जनपद	वर्ष	खरीफ की फसल			रबी की फसल			जायद की फसल			महायोग		
		क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
बागेश्वर	2018–19	26686.00	30228.00	11.32	18584.00	29117.00	15.66	0	0	0	45270.00	59345.00	26.98
	2017–18	23759.00	27902.00	11.74	20528.00	30536.00	14.87	0	0	0	44287.00	58438.00	26.61

के.सी.सी.

जनपद बागेश्वर में केसीसी का विकास खण्डवार एवं वर्षवार विवरण						
क्र0सं0	वर्ष	विकासखण्ड	कार्यदायी संस्था	वितरण केसीसी की संख्या	केसीसी में वितरित धनराशि (लाख रू0 में)	केसीसी में लाभान्वित लाभार्थी
1	2018–19	बागेश्वर	सहकारिता	1911	755.54	1911
2		कपकोट		840	332.61	840
3		गरूड़		1064	489.06	1064
योग				**3815**	**1577.21**	**3815**
1	2019–20	बागेश्वर		2546	1023.55	2546
2		कपकोट		1566	793.58	1566
3		गरूड़		1292	610.27	1292
योग				**5404**	**2427.4**	**5404**
1	2018–19	बागेश्वर	राष्ट्रीयकृत बैंक	4942	7353	5079
2	2019–20			9869	3414.2	6443
योग				**14811**	**10767.2**	**11522**
महायोग				**24030**	**14771.81**	**20741**

जनपद में कृषि विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से वर्ष 2018–19 से वर्ष 2019–20 के मध्य कुल 24,030 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित किया गया है जिस पर कुल 14771.81 लाख रूपये की धनराशि का वितरण किया गया जिससे 20,741 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया जिसका विवरण उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है।

जनपद में राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा सहकारिता बैंकों की अपेक्षा अधिक के0सी0सी0 का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 से वर्ष 2019–20 के मध्य बैंकों द्वारा जनपद में क्रमशः 36.44**%,** और 63.56**%** के0सी0सी0 का वितरण किया गया है, जो बहुत न्यून है, जिसमें वृद्धि करते हुए कृषि क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। भविष्य में कृषि क्षेत्र में रोजगार की अपार सम्भावनायें हैं, क्योंकि कोविड–19 के कारण वापस आये प्रवासियों की इस ओर रूचि बढ़ती दिखाई दे रही है जिसका विवरण निम्न ग्राफ में दर्शाया गया है।

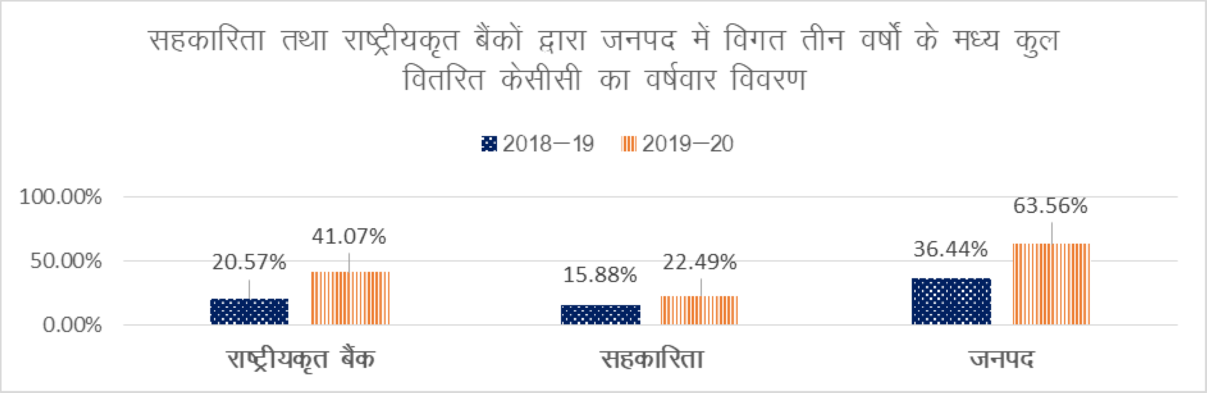

स्वास्थ्य विभाग

जनपद में 14 एलोपैथिक चिकित्सालय, 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 94 बेड़ों की उपलब्धता के साथ संचालित किये जा रहें हैं जिनमें कुल 37 डॉक्टर कार्यरत हैं, अर्थात लगभग 7024 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर कार्य कर रहा है जिसका विवरण तालिका में दर्शाया गया है।

जनपद बागेश्वर में स्वास्थ्य केन्द्रों का विकासखण्डवार/वर्षवार विवरण										
वर्ष/विकासखण्ड	एलोपैथिक चिकित्सालय					प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र				
	संख्या	डॉक्टर	पैरामेडिकल स्टाफ	अन्य	उपलब्ध बैड़ों की संख्या	संख्या	डॉक्टर	पैरामेडिकल स्टाफ	अन्य	उपलब्ध बैड़ों की संख्या
2017–18	14	9	12	19	12	15	12	14	18	12
2018–19	14	11	11	13	12	15	14	13	21	12
2019–20	14	9	11	17	12	15	13	15	24	12

जनपद बागेश्वर में स्वास्थ्य केन्दों का विकासखण्डवार/वर्षवार विवरण										
वर्ष/ विकासखण्ड	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र					निजी स्वास्थ्य केन्द्र				
	संख्या	डॉक्टर	पैरामेडिकल स्टॉफ	अन्य	उपलब्ध बेडों की संख्या	संख्या	डॉक्टर	पैरामेडिकल स्टॉफ	अन्य	उपलब्ध बेडों की संख्या
2017–18	3	13	13	27	70	–	–	–	–	–
2018–19	3	13	13	26	70	–	–	–	–	–
2019–20	3	16	15	27	70	–	–	–	–	–
2020–21 का विवरण										
कपकोट	1	4	3	7	30	–	–	–	–	–
गरूड़	1	5	8	14	30	–	–	–	–	–
बागेश्वर	7	7	5	12	10	–	–	–	–	–
जनपद योग	**9**	**16**	**16**	**33**	**70**	–	–	–	–	–

जनपद बागेश्वर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक विवरण तालिका तथा ग्राफ में प्रदर्शित किये गये हैं। पिछले चार सालों के मध्य जनपद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित हो रही सभी योजनाओं के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिलती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्रों में हो, स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि विगत वर्षों की तुलना में विभाग की वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है जिसमें सुधार लाने की अति आवश्यकता है।

जनपद बागेश्वर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक विवरण (वर्षवार/विकासखण्डवार)													
वर्ष/ विकासखण्ड	योंजना/मद का नाम									भौतिक विवरण		वित्तीय विवरण	
	रा0 परिवार कल्याण कार्यक्रम	रा0 कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम	रा0 अन्धता निवारण कार्यक्रम	रा0 एच0आई0वी0 एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	रा0 पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम	रा0वै0ज0 रो0 नियंत्रण कार्यक्रम	आर0सी0 फ्लैक्वसीपूल कार्यक्रम	एन0आर0एच0 एम0 एडिसनेलिटी ज कार्यक्रम	प्रतिरक्षण कार्यक्रम	लक्ष्य	पूर्ति	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
	नसबन्दी	उपचारित रोगी	उपचारित रोगी	जागरूक	उपचारित रोगी	रक्त पट्टिका			टीकाकरण				
2017–18	246	7	522	1751	159	4399	0	0	3163	0	0	628.9	481.17
2018–19	448	0	481	1898	145	3549	0	0	3542	0	0	708.05	627.02
2019–20	102	0	233	2342	147	2838	0	0	3784	0	0	834.63	747.91
2020–21 का विवरण													
माह सितम्बर 2020	**47**	**0**	**15**	**691**	**144**	**1432**	**0**	**0**	**1909**	**0**	**0**	**712.92**	**454.65**

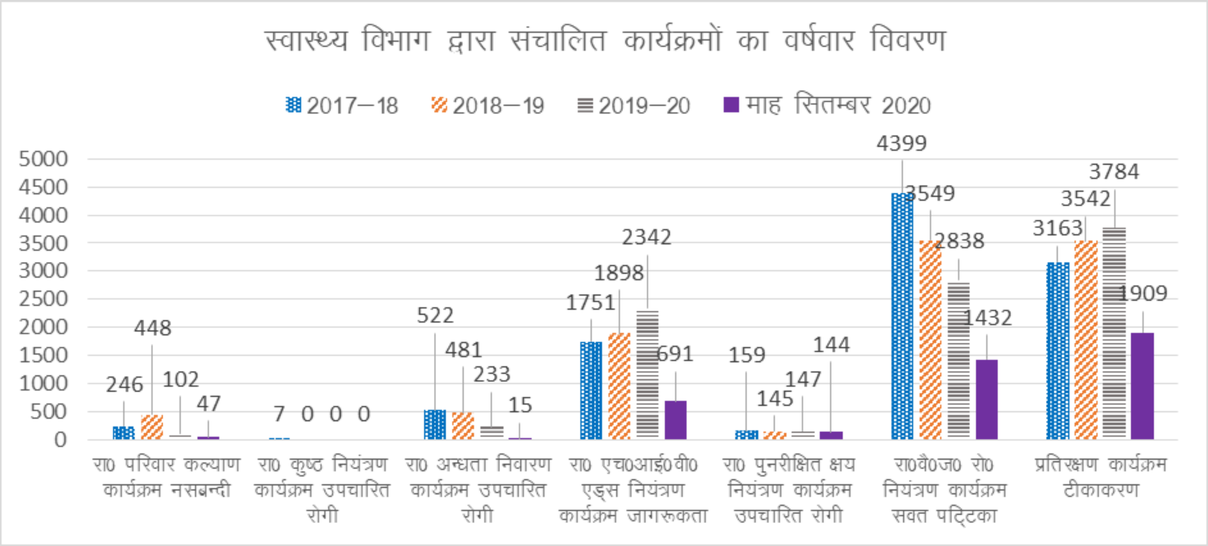

स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का वर्षवार विवरण
2017—18
2018—19
2019—20
माह सितम्बर 2020
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
246
448
102
47
7
0
0
0
522
481
233
15
1751
1898
2342
691
159
145
147
144
4399
3549
2838
1432
3163
3542
3784
1909
रा0 परिवार कल्याण कार्यक्रम नसबन्दी
रा0 कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम उपचारित रोगी
रा0 अन्धता निवारण कार्यक्रम उपचारित रोगी
रा0 एच0आई0वी0 एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जागरूकता
रा0 पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम उपचारित रोगी
रा0वै0ज0 रो0 नियंत्रण कार्यक्रम सवत पट्टिका
प्रतिरक्षण कार्यक्रम टीकाकरण

अध्याय–5

विश्लेशण एवं सिफारिशें

बागेश्वर जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,246 वर्ग किमी एवं वन क्षेत्रफल 659.30 वर्ग किमी है। बागेश्वर के अन्तर्गत तीन विकासखण्ड गरूड़, कपकोट, बागेश्वर हैं। जनपद के उत्तर पूर्व में पिथौरागढ़, दक्षिण में जनपद अल्मोड़ा तथा पश्चिम में चमोली जनपद है।

जनपद बागेश्वर की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल 2,49,462 थी, जो वर्ष 2011 की जनगणना में बढ़कर 2,59,898 हुई, इनमें 1,24,326 पुरूष तथा 1,35,572 महिलाएं हैं।

जनपद में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 57,941 परिवार हैं, जो वर्ष 2001 में 51,694 परिवार थे। वर्ष 2001 की अपेक्षा वर्ष 2011 में कुल परिवारों में 12% तथा जनसंख्या में 4% की बढ़ोत्तरी हुई है। जनपद में महिलाओं की जनसंख्या वर्ष 2001 एवं वर्ष 2011 में पुरूषों की जनसंख्या की अपेक्षा क्रमशः 10% व 9% अधिक रही है वहीं कुल जनसंख्या में 52% की हिस्सेदारी महिलायें रखती हैं जिसका विवरण नीचे दी गयी तालिका में दर्शाया गया है।

वर्ष	जनपद	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	कुल परिवार	कुल जनसंख्या
2001	बागेश्वर	2246	51694	249462
2011	,,	2246	57941	259898
दशकीय परिवर्तन ±			6247	10436
			12%	5.15%

जनपद में वर्षवार जनसंख्या के अनुसार ग्रामों की संख्या									
क्र0स0	वर्ष / विकासखण्ड	200 से कम	200 से 499	400 से 999	1000 से 1999	2000 से 4999	5000 से 9999	10000 से ऊपर	कुल ग्राम
1	1991	474	282	74	14	7	2	0	857
2	2001	474	285	96	17	6	5	0	883
3	2011	468	273	97	16	4	6	1	865
वर्ष 2011 में विकासखण्डवार ग्रामों की संख्या									
2	कपकोट	75	70	40	4	4	2	0	195
3	बागेश्वर	298	134	29	2	0	2	1	466

4	गरूड़	74	71	28	10	0	2	0	185
5	योग विकासखण्ड	447	275	97	16	4	6	1	846
6	वन	20	0	0	0	0	0	0	20
योग जनपद		467	275	97	16	4	6	1	866

जनपद में कुल 3.49% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है जो राज्य में सबसे कम है। लिंग अनुपात 1090 है। पिछले 10 वर्षो में 346 ग्राम पंचायतों से कुल 23,388 व्यक्तियों द्वारा अस्थायी रूप से पलायन किया गया है, हालांकि वे समय–समय पर अपने घरों में आना–जाना करते हैं क्योंकि उनके द्वारा स्थायी रूप से पलायन नहीं किया गया है।

पिछले 10 वर्षों में 195 ग्राम पंचायतों से 5912 व्यक्तियों द्वारा पूर्णरूप से स्थायी पलायन किया गया है, जो कि गम्भीर चिन्ता का विषय है। आंकड़ें दर्शाते हैं कि जनपद के सभी विकास खण्ड़ों में स्थायी पलायन की तुलना में अस्थायी पलायन अधिक हुआ है।

Table: District and Block wise migrants in last 10 years from gram panchayats					
जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या (जिन्होने पूर्ण रूपेण पलायन न किया हो/ घर में आना–जाना लगा रहता हो/अस्थाई रूप से रोजगार के लिए बाहर रहता हो)	पिछले 10 वर्षो में पलायन करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (जिन्होने पूर्ण रूपेण पलायन न किया हो/ घर में आना–जाना लगा रहता हो/अस्थाई रूप से रोजगार के लिए बाहर रहता हो)	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या (जो पूर्ण रूप से पलायन कर चुके हो या अपनी जमीन बेच चुके हो/अथवा भूमि बंजर पड़ी हो/घरों पर ताले लगे हो/तथा बहुत कम गॉव आना होता हो)	पिछले 10 वर्षो में पूर्ण पलायन करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या (जो पूर्ण रूप से पलायन कर चुके हो या अपनी जमीन बेच चुके हो/अथवा भूमि बंजर पड़ी हो/घरों पर ताले लगे हो/तथा बहुत कम गॉव आना होता हो)
Bageswar	Bageswar	153	8,421	65	1,628
Bageswar	Garur	86	3,787	46	771
Bageswar	Kapkot	107	11,180	84	3,513
Total		**346**	**23388**	**195**	**5912**

आर्थिक आंकड़े

प्राथमिक क्षेत्र

बागेश्वर को एक अत्यधिक कृषि प्रधान जनपद नहीं माना जा सकता है। विशेष रूप से इस तथ्य के कारण कि किसान केवल जीवन निर्वाह स्तर पर उत्पादन करते हैं और यह कि जनपद में बड़ी संख्या में जंगली जानवरों की मौजूदगी से कृषि बाधित है। कुल वर्कफोर्स के केवल 3.035 प्रतिशत ही कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहा है।

जिला कृषि अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से केवल 45270.00 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जा रही है। वर्ष 2018–19 के लिए मुख्य फसल के रूप में चावल एवं गेहूँ है जिनका उत्पादन क्रमशः 17209.00 टन/हेक्टेयर और 24714.00 टन/हेक्टेयर है।

खेती योग्य भूमि का अधिकांश हिस्सा छोटे किसानों द्वारा बिखरी हुई भूमि जोत के पास है और पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र के कारण मेंड वाली खेती प्रचलन में है। उत्पादकता की दृष्टि से अन्य मुख्य फसलें आलू, अदरक, राजमा और दलहन हैं। उर्वरकों का उपयोग जनपद में न्यूनतम स्तर पर है।

द्वितीयक क्षेत्र

बागेश्वर अपने पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बडे उद्योगों को पूरा करने में विफल रहता है, जिन्हें आमतौर पर बडे समतल भूमि की आवश्यकता होती है। जिनका विवरण निम्नवत है–

जिला उद्योग केन्द्र द्वारा 2019–20 के लिए उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में लगभग 15.70 करोड रूपये के निवेश के पश्चात 1878 छोटे उद्योग स्थापित किये गये है, जिनमें लगभग 4798 श्रमिकों को काम पर लगाया गया है।

जनपद बागेश्वर में स्थापित उद्योगों की सेक्टर वार विवरण									
क्र0सं0	उद्योगों का प्रकार	कुल संख्या (01 अप्रैल को)						पूंजी निवेश (करोड़ में)	रोजगार
		वर्ष 2005	वर्ष 2010	वर्ष 2015	वर्ष 2018	वर्ष 2019	वर्ष 2020		
1	कपड़ा और जूट	0	0	2	35	36	36	0.75	79
2	कागज और लुगदी	0	0	0	0	0	0	0	0
3	चीनी	0	0	0	0	0	0	0	0
4	पेय पदार्थ	0	0	0	0	0	0	0	0
5	फार्मास्यूटिकल्स	0	0	0	0	0	0	0	0
6	उर्वरक	0	0	0	0	0	0	0	0
7	खाद्य प्रसंस्करण	242	236	308	349	375	394	1.2	829
8	हीवर इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाईल	0	0	0	0	0	0	0	0

9	आधारित संरचना	0	0	0	0	0	0	0	0
10	निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0
11	चमड़े का कारखाना	0	0	0	0	0	0	0	0
12	लोहा और इस्पात	27	58	90	124	135	141	2.61	398
13	रासायनिक उद्योग	1	10	14	18	19	19	3.26	111
14	सड़क/बस परिवहन	0	0	0	0	0	0	0	0
15	रेलवे और मेट्रो रेल	0	0	0	0	0	0	0	0
16	हवाई अड्डो	0	0	0	0	0	0	0	0
17	विशेष अर्थशास्त्र क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0
18	आई.टी/इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	7	17	38	58	67	82	2.05	247
19	अन्य	365	556	833	1002	1092	1206	5.83	3134
योग		**642**	**877**	**1285**	**1586**	**1724**	**1878**	**15.7**	**4798**

बागेश्वर जनपद के गरूड विकासखण्ड में एक मिनी औद्योगिक एस्टेट है। इस सम्पत्ति में छः शेड विकसित किये गये हैं, जिनमें से प्रत्येक में 70.24 वर्ग मीटर क्षेत्र है, हालांकि वर्तमान में दो शेड में उद्यम स्थापित किये गये हैं, जो निष्क्रिय हैं, दो पर लीज की कार्यवाही गतिमान है, जबकि दो शेड वर्तमान में खाली हैं।

तृतीयक क्षेत्र

बागेश्वर जनपद का स्थान तीन नदियों सरयू, गोमती और भागीरथी के संगम पर है। इस प्रकार यह क्षेत्र एक पवित्र भूमि के रूप में माना जाता है, जो भगवान सदाशिव से जुड़ा है, जो पापों से मुक्ति पाने के लिए जाना जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन लोकप्रिय है। धार्मिक पर्यटन के अलावा, जनपद प्राकृतिक सौन्दर्य प्रदान करने के लिए कुछ पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। टूरिस्ट बोर्ड के अनुसार, वर्ष 2019–20 तक 85 होटल एवं 67 होमस्टे स्थापित किये गये है।

वर्कफोर्स वितरण

जनपद बागेश्वर में वर्ष 2022 तक जनसंख्या का 2,74,537 तक पहुँचने का अनुमान है जो वर्ष 2012 के लिए 2,61,143 और 2017 के लिए 2,67,756 अनुमानित था। उत्तराखण्ड राज्य के लिए जनपदवार अध्ययन के आंकड़ों के अनुसार वृद्धिशील जनशक्ति 2022 तक 0.59 लाख तक बढ़ेगी जबकि काम करने वाली जनसंख्या 2022 तक 1,91,079, लेवर फोर्स 1,59,286 तथा वर्कफोर्स 1,55,564 पहुँचने का अनुमान है।

जनपद बागेश्वर में खनिजों की उपलब्धता, उपयोगिता तथा मात्रा के आधार पर खनिज सम्पदा को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1. अधात्विक खनिज– मैग्नेसाइट, खडिया, चूना पत्थर की प्रचुर मात्रा होने से इनका दोहन लम्बे समय से किया जाता रहा है।

2. धात्विक खनिज– तांबा, जस्ता, लोहा तथा सीसा आदि का दोहन एवं उपयोग प्राचीन समय से ही स्थानीय निवासियों द्वारा किया जाता रहा है।

3. भवन निर्माण वाले खनिज– पत्थर, बोल्डर, ग्रिट, रेता, बजरी एवं संगमरमर की प्रचुर मात्रा होने की कारण आज भी स्थानीय निवासियों द्वारा उपयोग किया जाता है।

4. सम्भाव्य खनिज– काइनाईट, सिलीमेनाईट, गारनेट, क्वार्टज, अभ्रक आदि उच्च हिमालय क्षेत्र में विद्यमान हैं, जिनके समुचित दोहन एवं उपयोग की सम्भावनाये हैं।

5. विशिष्ट खनिज– टंगस्टन, ग्रेनाइट, यूरेनियम, टिन, सोना आदि का राष्ट्रीय महत्व है, जिनके विकास के लिये प्रयोग किये जाने की आवश्यकता है।

जनपद की औसत साक्षरता 84.11 प्रतिशत है जिसमें पुरूषों द्वारा 92.33 प्रतिशत और महिलाओं द्वारा 69.03 प्रतिशत की भागीदारी है।

मौजूदा कीमतों पर अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वर्ष 2011–12 में 1,90,179 लाख रूपये, वर्ष 2012–13 में 2,18,960 लाख रूपये, वर्ष 2013–14 में 2,53,017 लाख रूपये, वर्ष 2014–15 में 2,75,059 लाख रूपये, वर्ष 2015–16 के लिए 2,93,260 लाख रूपये अनुमानित एवं वर्ष 2016–17 के लिए अनंतिम रूप से 3,26,782 लाख रूपये का अनुमान है। अर्थव्यस्था की वृद्धि यानि जीडीपी लगातार कीमतों पर वर्ष 2011–12 में 1,90,179 रूपये, वर्ष 2012–13 में 1,92,719 रूपये, वर्ष 2013–14 में 2,14,630 रूपये, वर्ष 2014–15 में 2,34,985 रूपये, वर्ष 2015–16 के लिए 2,44,039 एवं वर्ष 2016–17 के लिए 2,59,799 रूपये अनंतिम रूप से अनुमानित है। प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2011–12 में 66,388 रूपये, वर्ष 2012–13 में 74,460 रूपये, वर्ष 2013–14 में 80,417 रूपये, वर्ष 2014–15 में 86,582 रूपये, वर्ष 2015–16 के लिए 91,145 एवं वर्ष 2016–17 के लिए 1,00,117 रूपये अनंतिम रूप से अनुमानित है।

जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण वर्ष 2011

श्रमिक और गैर श्रमिक							
कुल श्रमिक	मुख्य कर्म करों की जनसंख्या	सीमान्त कमकरों की जनसंख्या	गैर श्रमिक की जनसंख्या	कुल श्रमिकों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	मुख्य कर्म करों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	सीमान्त कमकरों का कुल जनसंख्या से प्रतिशत	गैर श्रमिक का कुल जनसंख्या से प्रतिशत
123638	78085	45553	136260	47.57%	30.04%	17.53%	52.43%

HDI Report 2019

District poverty rate 2017...11.8%

Per capita income of district (2016-17) .... Rs. 1,00,000.00

Life expectancy in district (2017) Female 73.9 years, Male 68.3years

B2R Rural BPO

B2R (Business-To-Rural) is a for-profit social enterprise which sets up and operates rural Business Process Management (BPM) centers in Uttarakhand, India including Bageshwar district, with the aim to deliver business value together with social value. They currently have six delivery centers of 50 to 75 seat capacity each and a team of close to 300 rural youth spread across these six locations, 58% of whom are women.

With a core team well-experienced in the operation of domestically and internationally outsourced business processes, we currently focus our energies on some key verticals – Publishing, Legal, and Financial Services. They also focus on Data/Content Mining, Consolidation and Management services across various industry verticals.

B2R has been recognized both nationally and internationally for its unique sustainable business model – including by NASSCOM in India, and by Harvard Business School

In Bageshwar district , their centre is located at Kausani

सिफारिषें

पशुपालन एवं डेयरी

वर्ष 2007 के आंकडों और वर्ष 2012 के आंकड़ों में तुलना करें तो ये बात प्रतीत होती है कि जनपद में दूध, दही, घी, पनीर, खोया, मट्ठा और मांस की मांग बहुत अधिक है, स्थानीयस्तर पर बहुत न्यून मात्रा में मांग पूर्ति तो की जाती है, परन्तु व्यवसायिक स्तर पर नहीं किया जाता जिसका लाभ बाहरी राज्य एवं जनपदों के व्यवसायी उठा रहे हैं। वर्तमान समय में जनपद में कोई मुर्गीफॉर्म, बकरीफॉर्म और दुग्धफॉर्म प्रचलित नहीं हैं, जबकि उक्त व्यवसाय में अधिक रोजगार की सम्भावनायें हैं।

जनपद में तहसीलवार पशुधन के आंकड़ें देखे तो तहसील गरूड़ व काण्ड़ा में पशुपालन की स्थिति अच्छी नहीं है। आंकड़ों से यह भी स्पष्ट होता है कि तहसील काण्ड़ा में भेड पालन और सुअर पालन का कोई प्रचलन ही नहीं है, इसी तहसील में गाय पालन के लिए 11%, भैंसपालन के लिए 12%, बकरीपालन के लिए 10%, घोड़ा, खच्चर पालन के लिए 11% तथा मुर्गीपालन के लिए 8% की दर से पशुधन उपलब्धता के आंकड़ें प्रलक्षित होते हैं।

तहसील बागेश्वर में भेड़पालन के अतिरिक्त अन्य सभी पशुधन का पालन औसतन किया जाता है जबकि तहसील कपकोट में गाय पालन 41%, भैंसपालन 24%, भेड़पालन 99%, बकरीपालन 45%, घोड़ा खच्चर पालन 22% तथा मुर्गीपालन 11% की दर से पशुपालन किया जाता है।

उत्तराखण्ड में देश के अन्य राज्यों की तरह ही दूध की मांग में बढ़ोत्तरी देखी जा सकती है, जिस उद्देश्य से राज्य के हर जनपद में डेयरी विकास विभाग की स्थापना की गयी, जिसके अन्तर्गत राज्य के हर जनपद में दुग्ध समितियों का गठन करवाया जा रहा है।

जनपद बागेश्वर में वर्ष 2020–21 हेतु माह सितम्बर 2020 तक डेयरी विकास विभाग द्वारा गठित कुल 132 दुग्ध समितियों के सापेक्ष 52% सक्रीय समिति ही कार्य करती हैं जबकि निष्क्रिय समिति का आंकड़ा 48% हो जाता है।

जनपद में गंगा गाय महिला डेयरी योजना के वित्तीय आंकड़ों को देखे तो ज्ञात होता है कि वर्ष 2017–18 की तुलना में वर्ष 2018–19 में 16.06% की गिरावट दर्ज हुई है।

जनपद में वर्ष 2016–17 से माह सितम्बर 2020 तक डेयरी विकास के वर्षवार आंकड़ें दर्शाये गये है, जिसमें कार्यरत समितियों के आंकड़ें देखे तो ज्ञात होता है कि जनपद में वर्ष 2017–18 से माह सितम्बर 2020 तक निष्क्रिय समितियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

जनपद में पशुपालन एवं डेयरी को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की जा रही हैं:–

a) अधिकांश परिवारों के पास पशुधन है लेकिन पशुधन की गुणवत्ता में सुधार लाये जाने की आवश्यकता है। सभी विकास खण्ड़ों में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या बढ़ाने से यह सम्भव होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ेगी तथा पलायन कम होगा।

b) भेड़पालन, बकरी पालन एवं मुर्गी पालन भी लोकप्रिय हो रहा है, विशेषकर कपकोट विकास खण्ड में जहाँ इसके लिए परिस्थितियाँ अधिक अनुकूल हैं। बकरियों की नस्ल को जनपद के सभी विकास खण्डों में सुधारने की आवश्यकता है ताकि पारिवारिक आय में वृद्धि हो सके।

c) अधिकतर परिवारों के लिए दुग्ध उत्पादन आय का एक अतिरिक्त स्रोत है परन्तु दुग्ध उत्पादकों को उनकी उपज को पनीर, घी आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है जिससे अधिक आय होगी।

d) जनपद के कई क्षेत्रों में छोटी–छोटी डेयरियां हैं, जिनकी संख्या और बढ़ाई जा सकती है। लगभग 48% दुग्ध समितियाँ निष्क्रिय हैं तथा इनको सक्रिय बनाने के लिए विभाग को विशेष प्रयास करने चाहिए।

e) जनपद में भूसा गोदाम खुलवाये जाना उचित होगा।

f) दुग्ध समिति खुलवाने हेतु 25 परिवारों के मानक को ग्रामीण क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थिति का मध्यनजर रखते हुए कम किया जाना उचित होगा।

g) जनपद में अधिक दुग्ध प्रसंस्करण केन्द्रों को खोला जाना उचित होगा।

h) जनपद स्तर पर उचित क्रेडिट योजना शुरू की जानी चाहिए ताकि डेयरी के लिये क्रेडिट सरलता से मिल सके।

पर्यटन

जनपद में होमस्टे और होटलों की स्थापना तथा दिये गये रोजगार का विकासखण्डवार आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जनपद के विकासखण्ड कपकोट में उक्त व्यवसायों के अन्तर्गत इकाई की स्थापना व रोजगार के आंकड़ें शून्य है जबकि विकासखण्ड गरूड़ द्वारा मात्र 20% का उक्त व्यवसायों में हिस्सेदारी की जा रही है, जो पर्यटन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सुदृढ़ सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए उचित नहीं है। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की सम्भावनायें अधिक हैं।

आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जनपद के विकासखण्ड कपकोट में होमस्टे एवं होटल व्यवसाय में कोई भी इकाई स्थापित नहीं है। अन्य विकासखण्ड गरूड़ में भी उक्त व्यवसाय में भी कोई विशेष प्रगति नहीं देखी जा रही है।

जनपद में कई तीर्थ एवं पर्यटक स्थल है जैसे कि कौसानी, बागनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर, नीलेश्वर महादेव मंदिर तथा कई पर्यटक गंतव्य जैसे कि सुंदरढुंगा ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर आदि। जनपद में कई मेले भी आयोजित किए जाते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

जनपद में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की जा रही हैं:–

a) तीर्थाटन एवं पर्यटन से जुड़े रोजगार से स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है तथा वहाँ रह रहे लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। अतः जनपद की एक पर्यटन विकास योजना तैयार की जा सकती है जिसमें पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण तीनों विकास खण्ड़ों में विभिन्न स्थलों की पहचान करके इनके विकास की नीति तैयार की जाए।

b) ईको टूरिज्म के विकास की अपार सम्भावना है तथा इस गतिविधि में स्थानीय निवासियों की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि स्थानीय जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

c) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जनपदों मे होमस्टे को बढ़ावा दिया जा रहा है परन्तु जनपद बागेश्वर में होमस्टे की संख्या बहुत कम है, इन्हें बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

d) जनपद में प्रतिवर्ष लगभग 78000 तीर्थयात्री एवं पर्यटक आते हैं जिनमें विदेशी आगंतुकों की संख्या हजार से भी कम है। आंकड़े दिखाते हैं कि पर्यटकों की संख्या विशेषकर विदेशी मेहमानों को जनपद में आकर्षित करने की आवश्यकता है। इकोटूरिज्म गतिविधियों को पर्यटक स्थलों के साथ जोड़कर सर्किट बनाए जाने से भी इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

e) स्थानीय त्यौहारों जैसे हरेला पर्व तथा घी संक्रांति को अधिक से अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रचारित किया जा सकता है।

f) पर्यटन से जुड़े विभिन्न हितधारकों में समन्वय बनाऐ जाने की भी सिफारिश की जाती है। इनमें सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्र के विभिन्न हितधारक भी शामिल हैं।

g) पर्यटन से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रमों पर बल देकर इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इनमें महिलाओं की संख्या कौशल विकास कार्यक्रमों में बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

h) जनपद में साहसिक पर्यटन में रोजगार की अपार सम्भावनायें हैं जिसके लिए जनपद के सभी विकासखण्ड़ों में सर्वेक्षण कर साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है।

एम.एस.एम.ई.

जनपद में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों के अन्तर्गत सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करने के लिए लाभार्थियों की रूचि, लघु एवं मध्यम उद्यमों से अधिक है। जनपद में 98% विनिर्माण तथा 99% सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत सूक्ष्म उद्यम स्थापित किये गये हैं, जबकि मात्र 2% विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में 1% के लिए लघु उद्यमों की स्थापना की गयी है, जो नगण्य है।

उद्योग विभाग द्वारा जनपद में सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से 92% विनिर्माण तथा 95% सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, मात्र 8% विनिर्माण और 5% सेवा क्षेत्र के लघु उद्यमों के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है, जो कि जनपद के विकास के लिए बहुत कम है। जनपद में उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता रहा है जिसके आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जनपद में प्रशिक्षण के लिए आयोजित किये जा रहे दो दिवसीय एवं तीन साप्ताहिक प्रशिक्षणों की तुलना में प्रतिभागियों की रूचि दो दिवसीय में ज्यादा प्रतीत होती है। वर्तमान परिवेश में प्रतिभागी कम समय में ज्यादा अर्जन करने की सोच रखते है। विभाग द्वारा प्रतिभागियों की रूचि को ध्यान में रखते हुए उद्योग स्थापना हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया जाना अपेक्षित होगा।

बागेश्वर जनपद में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत वर्ष 2018–19 से माह सितम्बर 2020 तक के आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि विकासखण्ड गरूड़ में उक्त योजना से अभी तक कोई भी लाभार्थी लाभान्वित नहीं किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास को सुदृढ़ करवाने में उचित नहीं है।

जनपद में एम.एस.एम.ई क्षेत्र को मजबूत करने की सिफारिशें निम्न प्रकार से है :–

a) एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक–अर्थव्यस्था को बदलने की उच्च क्षमता है। प्रत्येक विकासखण्ड में ऐसी इकाइयों की क्षमता की जांच की जा सकती है उन्हें विकासखण्ड/ग्राम पंचायत स्तर की सामाजिक–अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है।

b) इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं कारीगर इकाइयों को स्थापित करने की आवश्यकता है।

c) आंकडों से पला चलता है कि जिले के कुछ विकासखण्डों में एम.एस.एम.ई. का विकास कम या लगभग नगण्य है। सभी विकासखण्डों में सूक्ष्म, लघु एवं कारीगर इकाइयों के विस्तार के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

d) जिले में सूक्ष्म, लघु एवं कारीगर इकाइयों की आवश्यकताओं के अनुरूप जिले में क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी होना चाहिए।

e) उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं और विशेष रूप से ग्राम पंचायतों में किए गए उद्यमियों की देखरेख में जहां ऐसी इकाइयों की कमी है।

f) वर्तमान में प्रचलित एम.एस.एम.ई. नीति–2015 में उपादान सहायता दिये जाने हेतु प्रक्रिया को सरल बनाया जाना उचित होगा जिससे माइक्रो एवं लघु स्तरीय इकाईयों की भी स्थापना सुगमता पूर्वक की जा सके।

g) लघु एवं मध्यम उद्योगों की जनपद में स्थापना को बढ़ावा देने हेतु जनपद में लैण्डबैंक की स्थापना और उसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किये जाने की आवश्यकता है और उपादान की सुविधायें लम्बी अवधि तक दिये जाने पर विचार किया जाना उचित होगा।

h) एम0एस0एम0ई0 इकाईयों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में नियमों का सरलीकरण किये जाने पर विचार करना उचित होगा।

i) जनपद में सूक्ष्म स्तरीय इकाइयों की स्थापना हेतु विभिन्न ट्रेडों में बेरोजगार युवकों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना उचित होगा।

जनपद में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को स्थापित करने एवं रोजगार उपलब्ध होने की अपार सम्भावनायें हैं। जिसके लिए विभाग को ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है। जनपद में पैतृक उद्यमों के साथ–साथ वर्तमान समयानुसार सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को भी महत्व दिया जाना चाहिए।

SOAPSTONE MINING

Some parts of Bageshwar district have huge deposits of soap stone, mainly under privately owned agricultural fields. These account for about 32% of the total deposits of soap stone in the country (197 million tons), while Rajasthan is the other major producer of soap stone in the country. The total production of soap stone from the district in the year 2015-16 was 264212 tons. The royalty paid to the government was Rs 9.48 crores in 2013-14; Rs 12.84 crores in 2014-15 and Rs 13.75 crores in 2015-16. Thousands of persons are directly or indirectly employed in this sector.

However, the loss to the environment is huge and mitigation measures are needed. The agricultural fields where mining is being done become unproductive.

ग्राम्य विकास

जनपद बागेश्वर में कुल 49,000 पंजीकृत जॉबकार्डों में से 31% जॉबकार्ड निष्क्रिय है, साथ ही पंजीकृत 89,000 श्रमिकों में से 57% श्रमिक कार्य के लिए मांग करते हैं जिसमें से लगभग 26% अनुसूचित जाति के सक्रीय श्रमिक कार्य करते है 43% श्रमिक काम की मांग नहीं करते हैं।

जनपद में महिला श्रमिकों द्वारा मनरेगा में काम के लिए मांग विगत पांच वर्षों के दौरान देखा जाय तो ज्ञात होता है कि वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 तक 4.54% वृद्धि हुई है।

जनपद में मनरेगा अन्तर्गत प्रति परिवार प्रदान किये जा रहे रोजगार के औसत दिनों का विवरण के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जनपद में पिछले पांच वर्षों के दौरान आंकड़ों में विचलन देखा जा सकता है। वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 के मध्य औसत दिनों के आंकड़ों में विचलन देखा जा सकता है।

मनरेगा योजना के तहत मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, बकरीपालन, गायपालन, उद्यानीकरण, सब्जीउत्पादन, भूमि सुधारीकरण, गूल निर्माण, फॉर्म पौण्ड, सिंचाई टैंक आदि रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजनाओं का निर्माण करवाया जा सकता है।

विकासखण्ड बागेश्वर में वर्ष 2019–20 के लिए कुल 205 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया जिसमें 5 स्वयं सहायता समूहों को पुनर्जीवित किया गया। विकासखण्ड कपकोट द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए 5 स्वयं सहायता समूहों को पुनर्जीवित करते हुए कुल 137 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया जबकि विकासखण्ड गरूड में किसी भी समूह का गठन नहीं किया गया है।

ग्राम्य विकास हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की जा रही हैंः–

1. मनरेगा (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.) के तहत 53% से अधिक लाभार्थी महिलाएँ होने से महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय देने वाले कार्यों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। समान अवसर और भागीदारी सुनिश्चित करके महिलाओं का 50% से अधिक प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

2. फसलों को बंदर और जंगली सूअरों जैसे जानवरों से नुकसान की समस्या है। हालाँकि कुछ ब्लॉक में जंगली सूअरों से सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई जा रही है, यह सभी जनपदों में किया जाना आवश्यक है, बंदरों से सुरक्षा के लिए वन विभाग की सहायता से परिसंपत्तियों का निर्माण करने की योजना तैयार की जाएगी।

3. राज्य के ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी, दोनों के लिए पानी की कमी एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर रही है। इस समस्या से निपटने के लिए मनरेगा योजना से हस्तक्षेपों के साथ संयोजन किया जा सकता है।

4. घास और अन्य रोपण सामग्री के लिए मनरेगा (एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.) और अन्य योजनाओं के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में नर्सरियों बनाने की जरुरत है।

5. औषधीय और सुगंधित पौधों की क्षमता अच्छी है लेकिन वर्तमान में यह एक लाभकारी गतिविधि के रूप में नहीं उभरा है। राज्य में इसकी वास्तविक क्षमता का लाभ उठाने और इसे महत्वपूर्ण आजीविका उत्पादन गतिविधियों में से एक में बदलने के प्रयास किए जाने चाहिए।

6. आजीविका पैदा करने के लिए स्वयं सहायता समूह (SHGs) अधिक बढ़ावा देते हैं और सभी ब्लॉक में इन ग्रामीण विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि स्थायी आजीविका की उत्पत्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, इस प्रकार पलायन रोकने में मदद करेगी। स्वयं सहायता समूह संघों में कमी है या वे गैर–कार्यात्मक हैं और इन्हें मजबूत किया जाना चाहिए।

7. मनरेगा योजना में कार्य के लिए मांग हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगवाये जाय ताकि ग्रामीणों को कार्य की मांग हेतु भटकना ना पडे। इससे निष्क्रिय जॉबकार्ड भी सक्रीय किये जा सकते हैं।

8. मनरेगा की कार्य योजना ग्राम पंचायत की बैठक में ग्रामीणों के मध्य ग्रामीणों की आवश्यकता के आधार पर, ग्रामों की मैपिंग करते हुए, तैयार की जानी चाहिए।

9. 100 दिनों का कार्य करने वाले परिवारों को प्रोत्साहन का प्राविधान किया जाना उचित होगा, इससे ग्रामीणों की रूचि मनरेगा में कार्य करने की होगी।

10. जनपद में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दिये जाने की अति आवश्यकता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिकी को सुदृढ़ करने एवं पलायन पर अंकुश लगेगा।

कृषि

जनपद में खरीफ की मुख्य फसलों के माध्यम से हो रहे आच्छादित क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता का विगत दो वर्षों के विश्लेषण करने से ज्ञात होता हैं कि जनपद में उक्त समयावधि में चावल, मक्का, मंडुवा और सांवा (झंगोरा) आदि फसलों का वर्ष 2018–19 में वर्ष 2016–17 की तुलना से उत्पादकता में कमी देखी जा सकती है जबकि रामदाना, गहत, तुअर, भट्ट, उड़द आदि फसलों की उत्पादकता में वृद्धि व मूंगफली, अन्य तिलहन, में प्रगति शून्य देखी जा सकती है।

विगत दो वर्षों में खरीफ की मुख्य फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता का वर्षवार विवरण दिखायी देता है। वर्ष 2017–18 की अपेक्षा वर्ष 2018–19 के लिए क्रमशः क्षेत्रफल में **5%** तथा उत्पादन में **3%** वृद्धि एवं उत्पादकता में **2%**

की कमी हुई है। खरीफ की फसल का उक्त विवरण बहुत ही न्यून है जिसमें वृद्धि करते हुए रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है।

रबी की मुख्य फसलों के माध्यम से जनपद में हो रहे आच्छादित क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता का विगत दो वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है जिससे स्पष्ट हुआ कि जनपद में उक्त समयावधि में गेहूँ, जौ, चना और मसूर आदि फसलों का वर्ष 2018–19 में वर्ष 2016–17 की तुलना से उत्पादकता में वृद्धि देखी जा सकती है जबकि मटर की फसल में उत्पादकता में कमी व अलसी, अन्य धान्य तथा अन्य दालों के लिए प्रगति शून्य देखी जा सकती है।

विगत दो वर्षों में रबी की मुख्य फसलों का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता का वर्षवार विवरण दिखायी देता है जो निम्न ग्राफ से भी स्पष्ट होता है। वर्ष 2017–18 की अपेक्षा वर्ष 2018–19 के लिए क्रमशः क्षेत्रफल में **4%**, उत्पादन में **3%** एवं उत्पादकता में **2%** की कमी हुई है। रबी की फसल का वर्षवार कमी देखी जा सकती है।

जनपद में राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा सहकारिता बैंकों की अपेक्षा अधिक के0सी0सी0 का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 से वर्ष 2019–20 के मध्य बैंकों द्वारा जनपद में क्रमशः 36.44**%,** और 63.56**%** के0सी0सी0 का वितरण किया गया है, जो बहुत न्यून है, जिसमें वृद्धि करते हुए कृषि क्षेत्र में रोजगार का बढ़ावा दिया जा सकता है। भविष्य में कृषि क्षेत्र में रोजगार की अपार सम्भावनायें हैं, क्योंकि कोविड–19 के कारण वापस आये प्रवासियों की इस ओर रूचि बढ़ती दिखाई दे रही है।

कृषि के क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की जा रही हैं :–

a) जंगली जानवरों द्वारा फसलों को अत्यधिक क्षति की जाती है, इस हेतु फसलों को बचाने के लिए बन्दरबाड़ों/सोलर पावर फैन्सिग का निर्माण किया जाना उचित होगा। जंगली जानवरों से होने वाली क्षति को प्राकृतिक आपदा मानते हुए फसल क्षति को फसल बीमा के अन्तर्गत आच्छादित करते हुए किसानों को क्षतिपूर्ति का प्राविधान किया जाना उचित होगा।

b) जनपद में कृषकों के कृषि उत्पाद के विपणन हेतु मण्डी की व्यवस्था नहीं है इस हेतु संग्रहण केन्द्र तथा उत्पादों के विक्रय की समुचित व्यवस्था की जाय।

c) जनपद में जड़ी–बूटी की खेती को बढ़ावा देने हेतु प्रयास किये जाय। जड़ी–बूटी के प्रसार से किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी।

d) कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाय।

e) न्याय पंचायत स्तर पर जैविक ग्राम, मधु ग्राम तथा शिल्प ग्राम विकसित करने का प्राविधान किया जाय। जैविक उत्पाद एवं व्यंजनों को विकसित करने की कार्य योजना बनाई जाय।

f) जनपद में किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producers' Organisations) का गठन किया जा सकता है जिससे सहकारी रूप से खेती की जा सके।

उद्यान

जनपद में पॉली हाउस निर्माण के प्रति लोगों की रूचि बढ़ी है, जो विगत वर्षों की तुलना वर्ष 2019–20 में 52% तक पहुँचा है। सघन एवं बेमौसमी सब्जी उत्पादन हेतु लाभार्थियों की संख्या में वर्ष 2016–17 की अपेक्षा वर्ष 2019–20 के लिए

दोगुनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। निजी उद्यानों की घेरबाड़ में भी 11% की वृद्धि देखी जा सकती है अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में नयी वैज्ञानिक तकनीकी को बढ़ावा दिया गया है, जो ग्रामीणों को अधिक लाभ प्रदान कर रहा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों की रूचि वर्तमान समय में इस ओर बढ़ी है।

जनपद बागेश्वर में विगत चार वर्षों के दौरान सब्जी विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत टमाटर, बन्दगोभी तथा फूलगोभी के लिए आच्छादन क्षेत्रफल में गिरावट देखी जा सकती है, जबकि ब्रोकली का उत्पादन वर्ष 2019–20 में मात्र 15% क्षेत्रफल में शुरू किया गया है। शिमला मिर्च उत्पादन के आच्छादन क्षेत्रफल में मात्र 3% की बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है।

जनपद बागेश्वर में विगत चार वर्षों के दौरान मसाला विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत अदरक, मिर्च, लहसुन तथा हल्दी के आच्छादित होने वाले क्षेत्रफल में वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 के मध्य घटता बढ़ता विचलन देखा जा सकता है।

जनपद में मसाला, पुष्प, फल तथा सब्जी आदि के उद्यानीकरण कर रोजगार उपलब्ध होने की अधिक सम्भावनायें हैं। इन सभी की स्थानीय बाजार के साथ–साथ राष्ट्रीय बाजारों में भी अधिक डिमाण्ड है, जिनके उत्पादन एवं विपणन के लिए विभाग को कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।

आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि जनपद में कृषकों के प्रशिक्षण में कम ध्यान दिया गया है, जबकि नयी वैज्ञानिक यांत्रिकी के अनुसार उद्यानीकरण करना अति आवश्यक है। वर्तमान समय के अनुरूप उद्यानीकरण करवाने के लिए कृषक प्रशिक्षण होना समय की मांग है।

जनपद में उद्यान के क्षेत्र को बढ़ाये जाने हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की जा रही हैः–

1. जनपद में विपणन की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे किसानों को उनकी फसल की सही कीमत प्राप्त हो सके और बिचौलियों से छुटकारा पाया जा सके।
2. जनपद के अन्तर्गत मण्ड़ी एवं प्रसंस्करण इकाई के साथ–साथ कोल्ड स्टोर का खोला जाना उचित होगा जिससे जनपद में उत्पादित होने वाली सामाग्री बेकार/खराब न हो।
3. जनपद में बागवानी के क्षेत्रफल को बढाने की काफी अच्छी सम्भावनायें हैं। फलों की अच्छी मांग हेतु बाजार उपलब्ध है परन्तु इसके लिए उन्नत किस्मों की रोपण सामाग्री उपलब्ध कराना होगा।
4. स्थानीय उद्यमियों के लिए फलों की नर्सरी स्थापित कर रोपण सामग्री उपलब्ध करवाना एक फायदेमंद आजीविका सिद्ध हो सकती है।
5. जिले के लिए बागवानी विकास योजना तैयार की जानी चाहिए जो कि मौजूदा फल उत्पादन की गुणवत्ता (प्रजातियां सहित); विपणन तथा कमियों को ध्यान में रखेगी।
6. जनपद में पुष्प एवं मसाला के क्षेत्र में रोजगार की अधिक सम्भावनायें हैं। जिसके विकास हेतु विभाग को ध्यान केन्द्रित करने की अति आवश्यकता है।
7. जनपद में बंजर और केसरीन भूमि पर मालू के पौध रोपण किये जाने का प्राविधान किया जाय, इससे प्रकृति व परम्परा संरक्षण के साथ–साथ रोजगार के अवसर भी पैदा किये जा सकते है इसकी हर मार्केट में मांग है।

चाय

जनपद में चाय बागानों को स्थापित करने में मजदूर के रूप में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं का अधिक योगदान है। विकासखण्ड गरूड़ में तो महिलाओं द्वारा 67% चाय बागान स्थापित करवाने में हिस्सेदारी है। चाय बागान स्थापना के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि जनपद के विकासखण्ड गरूड़ द्वारा 87.21% का योगदान दिया गया जो अन्य विकासखण्ड़ों से ज्यादा अधिक है।

चाय के क्षेत्र को बढ़ाये जाने हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की जा रही हैं:–

1. चायबोर्ड को जनपद में चाय के क्षेत्रफल को बढ़ाये जाने की ओर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

2. महिला मंगल दल, युवक मंगल दल एवं स्वयं सहायता समूहों को चाय उत्पादन के क्षेत्र से जोड़ा जाना उचित होगा।

3. चाय के माध्यम से अतिरिक्त आय के स्रोत के रूप में विकसित किये जाने की पहल करनी होगी।